GENERAL STUDIES HINDI

www.gshindi.com

Presents Monthly Magazine: January

Other products :

The HINDU Analysis English Classes

GENERAL STUDIES HINDI

8800141518 facebook/gsforhindi

WWW.GSHINDI.COM

- **Road Map to Mussoorie** – एक ऐसी रणनीति जिससे ही UPSCPre नहीं mainsपास करे महीनो 6 मे
- **Daily Mains Answer Writing**–सीखे उत्तर लिखने की विधि जो मुख्य परिक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है
- **Monthly Magazine**–पूरे महीने की समसामयिक एक साथ
- **Current Affairs** –दिन प्रतिदिन घटनाओं का विश्लेषण
- **RSTV/LSTV**–विशेषज्ञोंके वाद विवाद का सार
- **PIB + AIR**–अत्यंत महत्वपूर्ण

GENERAL STUDIES HINDI

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

Topic	Page
Polity	3-11
Programme &Schemes	11-13
Geography, Environment& Ecology	13-19
Science & Technology	19-24
International Relation& International events	24-28
Editorials	28-42
National Issues	42-48
Security issues	48-50
Economy	50-64
Social issues	64-68
Governance/Ethics	68-78
Miscellaneous	78-81

GENERAL STUDIES HINDI

8800141518 facebook/gsforhindi

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

Polity

1. चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रणाली, धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत: SC

- उच्चतम न्यायालय ने जाति व धर्म के नाम वोट मांगने को गैरकानूनी बताया है।
- इतना ही नहीं कोर्ट ने समुदाय और भाषा के नाम पर भी वोट मांगने को अवैध करार दिया है।
- चुनाव में धर्म के इस्तेमाल और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के इस्तेमाल पर दिशानिर्देश तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति व धर्म के नाम वोट मांगना गलत है। दरअसल इस धारा के तहत चुनावी फायदे के लिए धर्म, जाति, समुदाय, भाषा आदि के इस्तेमाल को 'भ्रष्ट आचरण' बताया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मनुष्य और भगवान के बीच का संबंध व्यक्तिगत मामला है। राज्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ऐसे संबंधों में शामिल नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्म निरपेक्ष पद्धति है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत के आधार पर व्यवस्था दी कि चुनाव कानून में 'उनका' शब्द का अर्थ व्यापक है और यह उम्मीदवारों, मतदाताओं, एजेंटों आदि के धर्म के संदर्भ में है। बहुमत का विचार हालांकि यह था कि चुनाव कानून में 'उनका' शब्द केवल उम्मीदवार के संदर्भ में है।

2. चुनाव लड़ने पर रोक: गंभीर आरोप तय होने से भी

in news

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है जिसमें गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मसले पर जल्द ही संविधान बेंच का गठन किया जाएगा।

- अश्वनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर गंभीर अपराध के मामले में आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है।
- मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा था। लेकिन न तो संविधान पीठ गठित हुई और न सुनवाई हुई। इस मामले में उपाध्याय के अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह और एक अन्य एनजीओ की याचिकाएं भी लंबित हैं।
- पांच राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जिनके खिलाफ हत्या व बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। इन्हें रोकने के लिए चुनाव से पहले सुनवाई होनी चाहिए। पीठ ने सहमति जताते हुए कहा कि जल्द ही संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। कोर्ट चुनाव से पहले सुनवाई करेगा।
- पीठ ने चुनाव से पहले फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि सुनवाई में इस का भी ध्यान रखा जाएगा
- अर्जी में कहा गया है कि इस समय देश में 33 फीसद नेता ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध में कोर्ट आरोप तय कर चुका है।
- कई विशेषज्ञ समितियां जिसमें गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, कृष्णामचारी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जस्टिस जीवनरेड्डी कमीशन, जस्टिस वेंकेटचलैया कमीशन, चुनाव आयोग और विधि आयोग राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सिफारिशें लागू नहीं कीं।

3.उम्मीदवारों को बताना चाहिए आय का स्रोत

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

चुनाव आयोग ने चुनाव शुचिता से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उम्मीदवारों को अपने और आश्रितों की आय का स्रोत बताना चाहिए। आयोग का कहना है कि :

- वर्तमान में उम्मीदवार के लिए आमदनी का स्रोत बताना जरूरी नहीं है।
- यहां तक कि यह बताना भी जरूरी नहीं है कि पिछले चुनाव की तुलना में उनकी आमदनी की बढ़ोतरी का स्रेत क्या है।
- अभी मतदाताओं को उम्मीदवार और उनके आश्रितों के पैन नंबर का ही पता होता है।
- आयोग का कहना है कि उसने विधि मंत्रलय से फार्म 26 में संशोधन का आग्रह किया है। उस फार्म में उम्मीदवार और उसके आश्रितों की संपत्ति के ब्योरे और आय के स्रोत का जिक्र होना चाहिए। आयोग ने चुनाव में धन बल के बढ़ते प्रयोग पर भी चिंता जताई है और उस पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी बात कही

4. चुनाव में धर्म और जाति के इस्तेमाल रोकने के कार्यान्वयन में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल बाद एक बार फिर भारतीय राजनीति के चुनावी मुद्दों की आचार संहिता तय करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है लेकिन, सवाल यह है कि क्या यह फैसला दिशा-निर्देश की तरह काम करेगा या फिर व्यवहार में इसे कानूनी तौर पर लागू किया जा सकेगा?

- अदालत ने कहा है कि चुनाव में कोई भी **उम्मीदवार, उसका एजेंट या उम्मीदवार की तरफ से कोई और व्यक्ति** मतदाता के धर्म, जाति, नस्ल और भाषा का हवाला देकर न वोट मांग सकता है न किसी को वोट देने से रोका जा सकता है।
- चुनाव में धर्म के इस्तेमाल और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के इस्तेमाल पर दिशानिर्देश तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति व धर्म के नाम वोट मांगना गलत है। दरअसल इस धारा के तहत चुनावी फायदे के लिए धर्म, जाति, समुदाय, भाषा आदि के इस्तेमाल को 'भ्रष्ट आचरण' बताया गया है
- यह देश को चुनावी राजनीति की संकीर्ण गलियों से निकालकर एकता और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक राजमार्ग पर लाने वाला कदम है।
- Majority ने एक सार्वभौमिक नागरिक की बात की है जो संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर अपने व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक जीवन से अलग रखता है और अपने विवेक के ऊपर दलगत तथ्यों को हावी नहीं होने देता |

माननीय न्यायमूर्तियों ने यह फैसला देते हुए टैगोर के उस राष्ट्रवाद का हवाला दिया है, जो तमाम संकीर्णताओं के पार वैश्विक मानवता के विशाल क्षितिज की ओर ले जाता है।

तीन के मुकाबले चार जजों की तरफ से आए इस फैसले के साथ कई सवाल उठते हैं जिन पर विचार किए बिना चुनाव और राजनीतिक माहौल में अपेक्षित सुधार होता नहीं दिखता। सवाल यह है कि

- क्या धर्म जाति और भाषा जैसे तमाम मुद्दों को पूरी तरह से राजनीति से बाहर कर पाना संभव है, जबकि महात्मा गांधी से लेकर भीमराव आंबेडकर व डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे धर्मनिरपेक्ष नेताओं तक ने राजनीति को प्राणवान करने के लिए धर्म के उदात्त मूल्यों का सहारा लिया और जाति को विमर्श का मुद्दा बनाया। यह बात इस फैसले से असहमति जताने वाले तीन जजों ने भी उठाई है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- यंहा सवाल यह भी है की जिस सार्वभौमिक नागरिक की majority ने बात की है क्या वो सम्भव है | वो परिस्थितियाँ जिसकी वजह से कुछ समुदाय या जाती जो हाशिये पर है और वो अगर उन्हीं परिस्थितियों को एक मुद्दा बनाकर सार्वजनिक जीवन में आना चाहती है , तो क्या यह फैसला बाधक नहीं बनेगा |
- कई बार जाति का मसला जातिवाद का नहीं होता, बल्कि कमजोर समुदायों के साथ हुई किसी ज्यादती की मुखालफत या उनकी किसी सामाजिक, शैक्षिक मांग से भी जुड़ा हो सकता है। क्या ऐसे मुद्दों को उठाना गैर-कानूनी होगा?

निश्चित तौर पर इस फैसले पर गहन राजनीतिक विमर्श होना चाहिए और इससे कुछ सूत्र निकाले जाने चाहिए। इस फैसले के अम्ल के लिए सामाजिक सन्दर्भ को देखना होगा | निश्चितत: पंथ निरपेक्षता हमारा आधारभूत तत्व है पर हम ऐतिहासिक सत्य को भी झुठला नहीं सकते

5. क्या चुनाव सुधार आवश्यक चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए

- उम्मीदवारों की तरह सियासी दलों के लिए भी खर्च की सीमा तय की जाए।
- सियासी दलों को (चुनावों को नहीं) राज्य द्वारा फंड दिए जाने पर विचार हो और निजी चंदे पर पूरी तरह रोक लगे।
- एक स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव कोष का गठन हो, जहां सभी कर-मुक्त चंदे जमा किए जाएं और जिसका संचालन चुनाव आयोग या कोई अन्य स्वतंत्र निकाय करे।
- एक स्वतंत्र ऑडिटर सभी दलों का सालाना ऑडिट करे और उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली जाए, ताकि आम लोग भी देख सकें।
- दलों के कामकाज में आंतरिक लोकतंत्र व पारदर्शिता लागू हो।
- केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के फैसले के अनुसार सभी दल सूचना के अधिकार के दायरे में लाए जाएं।
- चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को माना जाए कि जिस चुनाव में पैसे के दुरुपयोग के विश्वसनीय सबूत हों, उसे रद्द करने का कानूनी अधिकार उसके पास हो।
- उन उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगे, जिनके खिलाफ अदालत में जघन्य आपराधिक मामले चल रहे हों।
- चुनाव आयोग को यह अधिकार मिले कि वह उन तमाम दलों की मान्यता रद्द कर सके, जिन्होंने दस वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़ा हो और अभी तक करों में छूट का फायदा उठा रहे हों। और
- पेड न्यूज (पैसे देकर मीडिया द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करना) को चुनावी अपराध बनाया जाए और इसे जन-प्रतिनिधित्व कानून की धारा 100 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' और धारा 123 (2) के तहत 'अनुचित प्रभाव' मानते हुए ऐसा करने वालों के लिए दो साल की कैद का प्रावधान हो।

GENERAL STUDIES HINDI

6. SEZ के लिए लैंड एक्विजिशन पर SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

Why in news:

- स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) बनाने के लिए ली गई जमीन में से अब तक उपयोग न की गई जमीन को किसानों को लौटाने और सेज के नियमों का कुछ कंपनियों की ओर से कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और सात राज्यों से जवाब मांगा।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

ये नोटिस एक पीआईएल पर जारी किए गए, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सेज के लिए ली गई जमीन का 80 पर्सेंट हिस्सा जस का तस पड़ा है और उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है।

What is the matter:

- याचिका में आरोप लगाया गया कि पिछले पांच वर्षों में ही 4,842.38 हेक्टेयर जमीन कई सेज के लिए ली जा चुकी है और उसमें से केवल 362 हेक्टेयर का इस्तेमाल हुआ है।
- किसानों को न केवल उनकी जमीन से वंचित कर दिया गया, बल्कि रोजगार के मौके बनाने और ली गई जमीन पर औद्योगिक गतिविधि शुरू करने जैसे फायदे भी सामने नहीं आ सके।
- पीआईएल में कहा गया कि जिन कंपनियों के सेज के लिए जमीन ली गई थी, उनमें से कुछ कंपनियों ने जमीन के दस्तावेजों को बैंकों के पास गिरवी रखकर लोन उठा लिया, लेकिन हैरत की बात *यह* रही कि लोन की रकम का इस्तेमाल इन सेज के डिवेलपमेंट में नहीं किया।

7.मार्च तक सभी एनजीओ का करें ऑडिट : सुप्रीम कोर्ट

किस लिए यह मत

देशभर के करीब तीस लाख गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के हिसाब-किताब का लेखा-जोखा न होने और एनजीओ को नियमित करने का कोई तंत्र न होने पर

और क्या कहा न्यायालय ने

- कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह एनजीओ को नियमित करने, उन्हें मान्यता देने और उनकी फंडिंग के बारे में दिशानिर्देश तय करे।
- कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एनजीओ को दिया गया फंड जनता का पैसा है। जनता के पैसे का हिसाब-किताब रखा जाना चाहिए।
- फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए।
- CBI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में करीब 32 लाख 97 हजार एनजीओ हैं जिसमें से सिर्फ 3 लाख सात हजार ने ही अपने खर्च का लेखाजोखा सरकार को दिया है। बाकी एनजीओ ने कोई बैलेंसशीट दाखिल नहीं की है।
- कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका के दाखिल होने के छह साल बाद भी सरकार ने एनजीओ के नियमन के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। केंद्र और उसके विभागों ने उन्हें करोड़ों रुपये दिए, लेकिन वे इससे अवगत नहीं हैं कि ऑडिट न होने का क्या प्रभाव है।

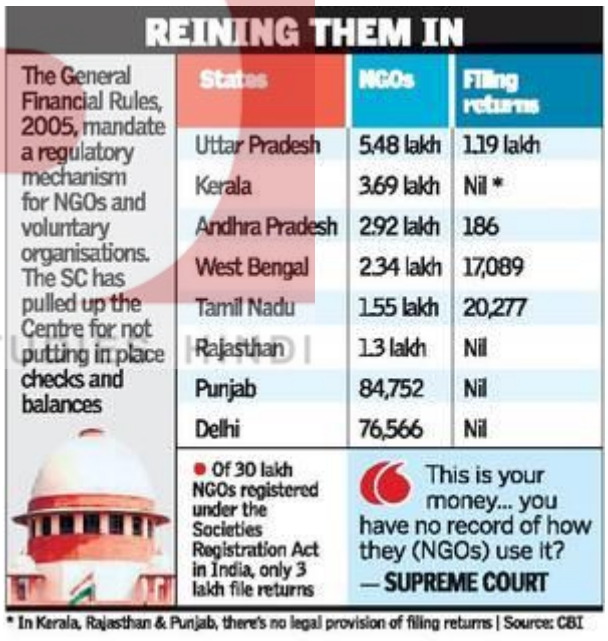

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और उसके विभागों के बीच एनजीओ की ऑडिटिंग को लेकर और वित्त मंत्रलय द्वारा जारी जनरल फाइनेंशियल रूल 2005 को लागू करने के बारे में भ्रम है।
- कोर्ट ने ग्रामीण विकास मंत्रलय और कपार्ट तथा अन्य जिम्मेदार एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे 31 मार्च तक सभी NGO का ऑडिट पूरा करके रिपोर्ट दाखिल करें। जो एनजीओ बैलेंसशीट देकर अपना लेखाजोखा न दें उनके खिलाफ वसूली के लिए कार्रवाई हो।

8. राजनीतिक चंदा सुधार

खबरों में

पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रधानमन्त्री ने राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया और कहा कि उनकी पार्टी अपने कोष का खुलासा करने में सक्रियता दिखाएगी

International experience on funding to parties

- इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी ऐंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आईडीईए) हैंडबुक के मुताबिक करीब 60 देशों में राजनीतिक दल चंदा देने वालों का खुलासा करने को बाध्य हैं। भारत उनमें शामिल नहीं है।
- 45 से अधिक देशों में राजनीतिक दलों को गुप्त दान पर रोक है। भारत इस सूची में भी शामिल नहीं है।

चूंकि देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का अधिकांश हिस्सा अस्पष्ट स्रोतों से आता है इसलिए अंत:कई क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।

- पहला कदम है उन खामियों को रोकना जिनकी बदौलत भ्रष्ट लोग राजनीतिक दलों के कानूनी प्रावधान का दुरुपयोग करके काले धन को सफेद करते हैं।
- निर्वाचन आयोग के मुताबिक 1,900 पंजीकृत दलों में से केवल 400 राजनीतिक दल ही हाल के वर्षों में चुनाव लड़े हैं। यह खुला प्रश्न है कि शेष 1,500 दल करते क्या हैं। आयोग ने इन दलों का पंजीयन खत्म करने की अनुमति मांगी है। उसने यह सुझाव भी दिया है कि राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले अंकेक्षण रहित चंदे की सीमा को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया जाना चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI

2,000 रुपये की सीमा का औचित्य तथा और एक कदम आगे बढ़ते हुए और क्या सुधार आवश्यक

- 2,000 रुपये की सीमा का भी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उसका भी फायदा उठाया जा सकता है।
- हर तरह के नकद चंदे को रोकने का प्रावधान होना चाहिए और राजनीतिक दलों के लिए केवल डिजिटल चंदे को ही मान्य कर देना चाहिए।
- राजनीतिक दलों के अंकेक्षण का काम भी तीसरे पक्ष के अंकेक्षकों से कराया जाना चाहिए। तथा सख्त जुर्माने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राजनीतिक दल भ्रामक और गलत वित्तीय घोषणाएं नहीं कर सकें।
- राजनीतिक दलों के लिए भी बढिय़ा शुरुआत यह होगी कि वे केंद्रीय सूचना आयोग के नियम का पालन करें और खुद को सूचना के अधिकार के दायरे में लाएं।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- इससे जुड़ी एक बात यह भी है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और लोकपाल जैसे भ्रष्टाचार विरोधी और निवारण संस्थानों को और अधिक मजबूत बनाया जाए। उनको सही अर्थ में स्वायत्तता प्रदान करने की जरूरत भी है। फिलहाल ऐसी एजेंसियां या तो नेतृत्वहीन हैं या फिर उनको सत्ताधारी दल के राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का जरिया माना जाता है।
- ताकत के दुरुपयोग का एक मामला तब सामने आया जब सरकार ने राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा नियमन अधिनियम 2010 के उल्लंघन के मामले में साफ तौर पर बरी कर दिया। इसके लिए कानून में पुरानी तिथि से बदलाव किया गया। ऐसा करके राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे को जायज बनाया गया।
- आपराधिक छवि वाले राजनेताओं का आना भी दिक्कत की बात बनी हुई है। इससे पता चलता है कि कानून किस कदर सीमित है।

9. 105 अप्रचलित कानूनों को रद करेगी सरकार

- पुराने और अप्रचलित कानूनों को निष्प्रभावी करने के प्रयास में जुटे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे 105 कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निरस्तीकरण एवं संशोधन विधेयक 2017 पेश करने की मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि मई 2014 से अगस्त 2016 के बीच 1,175 कानून निरस्त किए जा चुके हैं।
- सरकार ने 1,824 अप्रचलित एवं बेकार कानूनों की पहचान की है। प्रसाद ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों ने निरस्त करने के लायक 227 अधिनियमों की पहचान की है।
- कानून मंत्रालय के मुताबिक, अप्रचलित कानूनों की सूची सभी मंत्रालयों और विभागों के बीच वितरित की गई थी। विधायी विभाग सहित 73 मंत्रालय या विभाग 105 कानून को निरस्त किए जाने पर सहमत हैं। करीब 139 कानूनों को निरस्त करने पर सभी ने असहमति जताई है।

10. रियल एस्टेट पर केंद्र का कानून नहीं बदल पाएंगे राज्य

- रियल एस्टेट पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में राज्य सरकारों के पास संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को इस सिलसिले में निर्देश दे दिया है।
- इस कानून के लागू हो जाने के बाद पांच सौ मीटर आकार के भूखंडों के उपयोग में बदलाव करना संभव नहीं होगा। रियल एस्टेट कानून-2016 इस साल साल के मई में लागू हो जाएगा।
- रियल एस्टेट अधिनियम-2016 के प्रावधानों से खरीद और बिक्री करने वाले दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। इससे रियल एस्टेट के व्यवसाय के प्रति लोगों में विश्वास जगा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि आगामी मई माह से इसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में राज्यों से अपेक्षा है कि वे इस कानून को इसके मूल रूप में ही अमल करें।
- शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पांच सौ मीटर तक के भूखंडों के उपयोग में तब्दीली करना संभव नहीं होगा। कानून की मंशा को समझते हुए ही राज्य इसे लागू करें।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ में कानून लागू करने की नियमावली अधिसूचित कर दी गई है। बाकी राज्यों में तैयारियां चल रही हैं।

<u>राज्यों को किया आगाह</u>

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- रियल एस्टेट पर प्रस्तावित कानून के प्रावधानों में कई राज्यों ने बदलाव करना शुरू कर दिया है।
- इस पर शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश भेजा है।
- संसद में यह कानून सभी पक्षकारों की सहमति से पारित कराया गया है।
- कुछ राज्यों में कानून बदलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन, यह संभव नहीं है।

11. चर्च-कोर्ट के जरिए मिला तलाक कानूनन वैध नहीं

सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि चर्च कोर्ट के जरिए मिला तलाक कानूनन-वैध नहीं है। अदालत ने इस सिलसिले में दायर याचिका खारिज कर दी।

क्या था मामला

कर्नाटक कैथोलिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष क्लारेंस पेस की तरफ से दायर की गई इस याचिका में गिरजाघर अदालत से मंजूर तलाक को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी।-याचिकाकर्ता ने चर्च-कोर्ट के फैसलों को कानूनन मान्य ठहराने की मांग करते हुए हवाला दिया था कि देश में केवल मुंबई में तलाक के कोई एक हजार प्रार्थनापत्र गिरजाघर अदालतों में लंबित हैं। इस पर सर्वोच्च अदालत ने-वाजिब ही सवाल किया कि आपसी सहमति से तलाक लेने के इच्छुक ईसाई दंपतियों को अलग रहते हुए दो साल इंतजार करने की बाध्यता क्यों होनी चाहिए, जबकि दूसरे समुदायों के लिए यह अवधि सिर्फ एक साल है? यानी विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग कसौटी नहीं हो सकती।-

अदालत का रूख

- अदालत ने कहा कि चर्च कोर्ट का फैसला संवैधानिक प्रावधान की जगह नहीं ले सकता।-ताजा मामले में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार की भी राय मांगी थी।
- याचिका में यह भी दलील दी गई थी कि किसी गिरजाघर द्वारा मंजूर किए गए तलाक को उसी तरह वैध माना जाना चाहिए जैसा कि मुसलमानों के मामले में यानी के सिलसिले 'तीन तलाक' में है। लेकिन अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी। वैसे भी तीन तलाक का मामला कुछ महीनों से सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। जो महिला संगठन तीन तलाक के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं और अदालती लड़ाई भी लड़ते आ रहे हैं उन्हें अदालत के ताजा फैसले से स्वाभाविक ही उम्मीद बंधी होगी। अदालत का फैसला तलाक लेने के इच्छुक ईसाई जोड़ों के लिए भी राहत का संदेश है।

केंद्र का तर्क

केंद्र ने उचित ही याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ईसाई पर्सनल लॉ को भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1972 और तलाक अधिनियम, 1869 की जगह लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

अदालत के पुर्व फैसले

अदालत ने ताजा फैसले से पहले भी, 1996 में, इसी आशय की व्यवस्था दी थी। तब मोली जोसेफ बनाम जॉर्ज सेबस्टियन के मामले में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि का धर्मशास्त्रीय महत्त्व 'कानून-गिरजाघर' तो हो सकता है, पर वह ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की बाबत विवाह को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, वह तो संवैधानिक प्रावधान से ही हो सकता है।

विश्लेषण

- अदालत का यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप तो है ही, साथ ही इसे ईसाई महिलाओं के भी पक्ष में कहा जा सकता है। ईसाई विवाह अधिनियम और ईसाई तलाक अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं जो एक सदी से भी ज्यादा पुराने हैं। इतने लंबे अरसे में समाज काफी बदल

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

चुका है। फिर, चर्च कोर्ट की भूमिका को संसद से बनाए गए कानूनों की जगह लेने की इजाजत- कैसे दी जा सकती है?

- अदालत के ताजा फैसले का मतलब यह नहीं है कि उसने पर्सनल कानूनों को सिरे से खारिज कर दिया है।

Programme & Schemes

1. डिजिटल इंडिया के सामने कई मोर्चों पर हैं चुनौतियां

Assocham and deloitte की एक साझा रिपोर्ट के अनुसार

- नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत दिक्कतों के चलते केंद्र की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया परियोजना के सफल कार्यान्वयन के सामने अनेक चुनौतियां हैं।
- इसके मुताबिक टैक्सेशन व अन्य नियामकीय दिशा निर्देशों से जुडे मुद्दों के कारण इस कार्यक्रम के आगे बढ़ने में दिक्कत है।
- रिपोर्ट में कहा गया है,'कुछ सामान्य नीतिगत बाधाओं में से एक एफडीआई नीतियों में स्पष्टता का अभाव भी है जिसने ईकॉमर्स सेक्टर की ग्रो-थ को प्रभावित किया है।
- नीतिगत ढांचे को लेकर उबर जैसी परिवहन सेवा फर्म का बार बार स्थानीय सरकारों से विवाद-'होता है।
- इसके अनुसार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ढांचागत विकास में देरी है।
- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 80 लाख से अधिक वाईफाई हॉटस्पॉट की जरूरत होगी-, जबकि इस समय इनकी उपलब्धता लगभग 31000 है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया अभियान का लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। इसके लिए सुदूर गांवों में भी पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराकर डिजिटल गैप को खत्म करने की जरूरत है। देश में अब भी 55,000 से अधिक गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल कनेक्टिविटी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

What is Digital India:

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-

- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
- डिजिटल साक्षरता।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

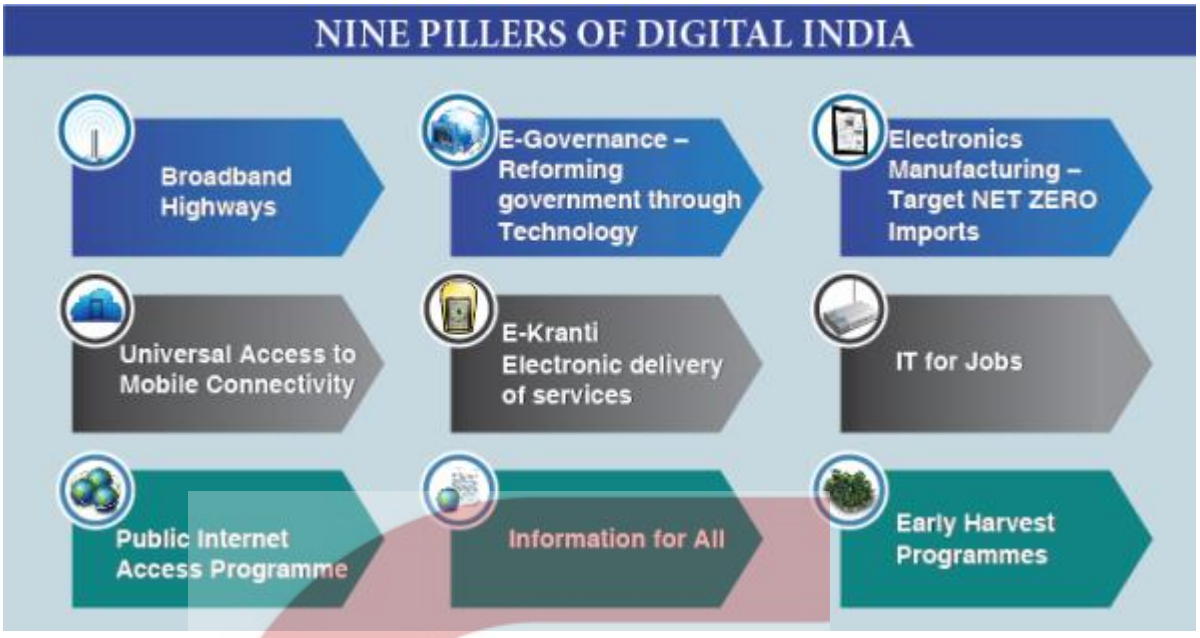

2. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 'एसईजेड इंडिया' नामक एप लॉन्च

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 'एसईजेड इंडिया' नामक एक मोबाइल एप लॉन्च किया गया है।

उद्देश्य:- वाणिज्य विभाग के एसईजेड प्रभाग ने अपनी व्यापक ई-गवर्नेंस पहल अर्थात एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए मोबाइल एप का विकास किया है।

- यह एप एसईजेड इकाईयों और डेवलपरों को सूचनाओँ को आसानी से प्राप्त करने तथा एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर उनकी लेनदेन को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करेगा
- अब एसईजेड डेवलपर और इकाईयां एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपने लेनदेनों को डिजिटल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और एसईजेड इंडिया मोबाइल एप के जरिए उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- यह एप एसईजेड डेवलपरों, इकाईयों, अधिकारियों एवं अन्य लोगों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने हेतु एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

इस एप के चार खंड हैं : एसईजेड इनफॉरमेशन, एसईजेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ट्रेड इनफॉरमेशन एवं कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इन चारों खंडों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

GENERAL STUDIES HINDI

- ✓ एसईजेड इनफॉरमेशन - यह एसईजेड अधिनियम 2005, एसईजेड नियम 2006, एमओसीआई परिपत्र, एसईजेड एवं इकाईयों के विवरण आदि का एक सार-संग्रह है। यह उपरोक्त सभी पहलुओं पर व्यापक ताजा विवरण प्रस्तुत करता है।
- ✓ ट्रेड इनफॉरमेशन - यह प्रावधान विदेश व्यापार नीति, प्रक्रियाओं की लघु पुस्तिका, ड्युटी कैलकुलेटर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिसूचनाएं एवं एमईआईएस दरों जैसी महत्वपूर्ण सूचना / टूल्स तक पहुंच प्रदान करता है।
- ✓ कॉन्टेक्ट डिटेल्स - इस खंड में सभी विकास आयुक्त कार्यालयों, डीजीएफटी, डीजी प्रणाली, डीजीसीआई एवं एस तथा एसईजेड ऑनलाइन के संपर्क विवरण दिए गए हैं।
- ✓ एसईजेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन - यह एक गतिशील उपविकल्प सूची है जो एंट्री बिल / शिपिंग बिल प्रोसेसिंग स्टेटस को ट्रैक करता है तथा उनका सत्यापन भी करता है। यह एप

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

आईसीईजीएटीई की ईडीआई प्रणाली में 'एंट्री बिल / शिपिंग बिल' के समेकन तथा प्रोसेसिंग के स्टेटस को ट्रैक करने में आयातकों / निर्यातकों की मदद भी करता है।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम कीट पालन के लिये 820 करोड़ रपये देगा केन्द्र

- सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये रेशम कीट पालन हेतु 820 करोड़ रपये जारी करने की घोषणा की है।
- इससे करीब चार लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध होगा। इनमें 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- अनुमान है कि इससे 3,95,000 परिवार लाभान्वित होंगे जिसमें 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- असम के संभावित एरी सिल्क को शांति और महात्मा गांधी से जोड़ा जिसका मकसद अंतरराष्ट्रीय खरीदारों में इसको बढ़ावा देना है।

Geography, Environment& Ecology

1. उत्सर्जित कार्बन से केमिकल

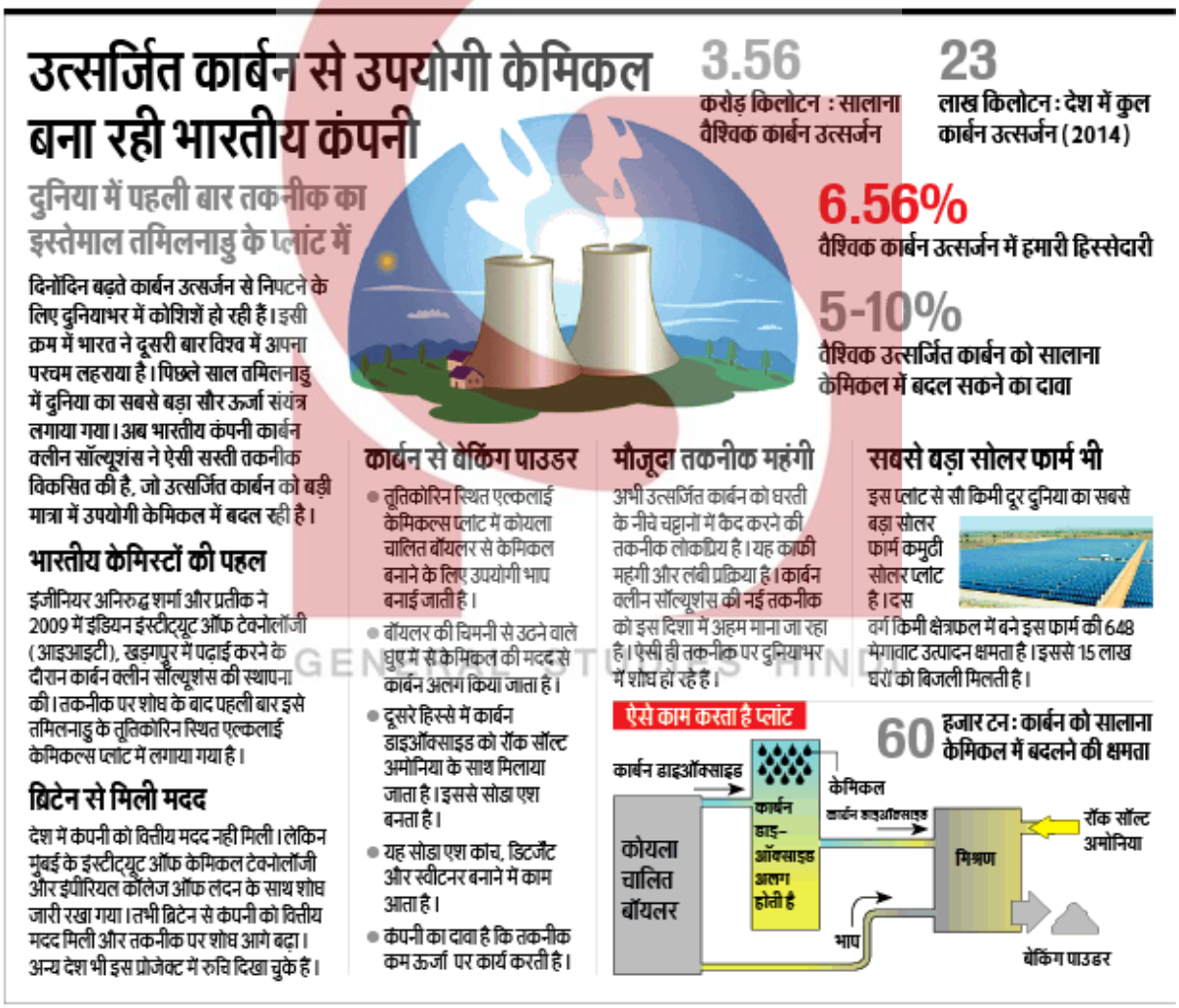

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

जल संरक्षण .2: अनुपम मिश्र की बयान से

यदि अधिकांश भारतीयों के भाग्य का फैसला अभी भी मॉनसून की मेहरबानी पर ही निर्भर करता है तो काफी हद तक इसकी वजह यह भी है कि हमने जल संरक्षण के पंरपरागत तौरतरीकों को भुला दिया है।

- पर्यावरण विद अनुपम मिश्र ने तेजी से बढ़ते शहरों में गांवों से जल आपूर्ति की नादानी को लेकर परंपरागत तरीकों की प्रासंगिकता पर रोशनी डाली थी। उनके मुताबिक 'स्मार्ट सिटी' की परिभाषा में वही शहर माकूल बैठता है, जो अपने जल संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन करता है।
- दिल्ली हवाई अड्डे का टी-3 टर्मिनल तकरीबन 10 तालाबों को ध्वस्त करके बनाया गया है और उसका एक दुष्परिणाम यह है कि मॉनसून के दौरान यहां अक्सर जल भराव हो जाता है। (चेन्नई हवाई अड्डा भी हाल में तकरीबन डूब गया था।) दूसरी ओर फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे को 15 साल पहले पानी के एवज में भारी हर्जाना चुकाने का आदेश दिया गया था, उसने जल संरक्षण की दीर्घकालिक योजनाएं बनाईं, आज वह पानी की जरूरत के पैमाने पर आत्मनिर्भर है।
- **एक व्यंग्य पानी की कमी पर** : एक समय गुजरात के सूखा प्रभावित इलाकों में समंदर के रास्ते पानी पहुंचाया जाता था। फिर मराठवाड़ा के लातूर में रेलगाड़ी के जरिये भेजे गए पानी की तस्वीरें सभी के जेहन में ताजा हैं। चूंकि हम वाइब्रेंट गुजरात से वाइब्रेंट इंडिया की ओर बढ़ चुके हैं तो एक दिन पानी भी शायद हवाई जहाज के जरिये पहुंचाया जाएगा।
- **जैसलमेर जिले की मिसाल** :रेगिस्तान में होने के बावजूद यह उन हालात से बच गया, जिनसे लातूर दो-चार हो रहा था। जैसलमेर ने उस परंपरागत ज्ञान का उपयोग किया। मसलन रेत के नीचे मौजूद जिप्सम नमी को व्यर्थ जाने से रोकता है। अगर आप रेत को थोड़ा उलीचें तो उसमें आपको नमी का अहसास होगा। हम आखिर कहां गलत रह गए?
- 1960 के दशक में दुनिया नई करवट ले रही थी और भाखड़ा नंगल बांध जैसे भीमकाय बांधों का निर्माण इस बुनियाद पर किया गया कि ऐसी परियोजनाओं के जरिये मॉनसून की अनिश्चितताओं से पार पाया जा सकता है और इस तरह हम वर्षा जल के संरक्षण के परंपरागत तौर तरीकों को भुलाते गए।
- राह से भटकने की एक और मिसाल 'मक्के की रोटी' मार्का पंजाब में नजर आती है, जिसने अपनी परंपरागत फसलों के बजाय गेहूं और धान जैसी फसलों (वह भी खराब गुणवत्ता वाली) का रुख कर लिया, जिनमें बेतहाशा पानी की जरूरत होती है और इसका नतीजा यही निकला कि पांच वर्षों के अंदर जमीन का सीना सूखता गया! पानी को लेकर लड़ाई की बानगी देखनी है तो जरा हरियाणा और पंजाब की नहर बनाने पर तल्खी को देखिए, जहां दोनों राज्यों और केंद्र में समान विचारों वाली सरकार के बावजूद समाधान दुश्वार है।
- बाढ़ की विभीषिका के समग्र विश्लेषण में मिश्र का ज्ञान बेजोड़ था। बिहार में अक्सर प्रलयंकारी बाढ़ की वजह बनने वाली कोशी नदी पर उन्होंने काफी अध्ययन किया था। वर्ष 2008 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद उन्होंने कोशी के प्रवाह के नियंत्रण को इसका बड़ा कारण बताया था। भारत-नेपाल सीमा पर बांध कोशी के लिए अपेक्षित रूप से उपयोगी साबित नहीं हुआ।
- बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन फिर भी वे अचानक से तबाही का सबब बनती हैं। अगर सरकार इलाके की जानकारी रखने वाले मल्लाहों और आबोहवा से वाकिफ लोगों को राहत कार्यों में लगाए तो यह महंगे हेलीकॉप्टर के जरिये मिलने वाली मदद से सस्ता और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। पहले तमाम इलाकों में प्रचुर प्राकृतिक और मानव निर्मित गड्ढे हुआ करते थे, जो बाढ़ के दौरान बचाने और सूखे में राहत दिलाने का सबब बनते थे। फिर कालांतर में अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए वे काल के गाल में समाने लगे। मौजूदा दौर में जो बाढ़ आती है, उसकी रोकथाम के लिए ऐसे ठिकाने गायब हैं और बाढ़ सीधे मानव बस्तियों से टकराकर कोहराम मचाती है।
- मौजूदा दौर में नहर निर्माण से लेकर बांधों के अंबार तक पानी को लेकर होने वाले तमाम विमर्श में मिश्र का ज्ञान मूल्यवान साबित होगा। अगर आप इन मुद्दों से जुड़े फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें तो

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

बांधों के विरुद्घ उनका अभिमत अधिक प्रभावी होगा और पिछले 60 वर्षों के दौरान सिविल आभियांत्रिकी के दम पर बने बांध प्रश्नों के घेरे में आएंगे, जो मौजूदा दौर में अनुपयोगी से ज्यादा खराब हैं।

3. क़ानून से नहीं बल्कि विकल्प खोजने से ही मिलेगी पोलीथिन से मुक्ति

हर एक कोई यह मानता है कि पॉलीथिन बहुत नुकसान कर रही है, लेकिन उसका मोह ऐसा है कि किसी न किसी बहाने से उसे छोड़ नहीं पा रहा है। देश भर के नगर निगमों के बजट का बड़ा हिस्सा सीवर व नालों की सफाई में जाता है और परिणाम शून्य ही रहते हैं। इसका बड़ा कारण पूरे मल-जल प्रणाली में पॉलीथिन का अंबार होना है।

सेहत और पर्यावरण पर असर

- पॉलीथिन एक पेट्रो उत्पाद है, जो इंसान और जानवर, दोनों के लिए जानलेवा है।
- घटिया पॉलीथिन का प्रयोग सांस व त्वचा संबंधी रोगों के साथ कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। पॉ
- लीथिन की थैलियां नष्ट नहीं होती हैं और धरती की उपजाऊ क्षमता को नष्ट करके इसे जहरीला बना रही हैं।
- साथ ही मिट्टी में इनके दबे रहने के कारण मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी कम होती जा रही है, जिससे भूजल-स्तर पर असर पड़ता है। पॉ
- लीथिन खाने से गायों व अन्य जानवरों के मरने की घटनाएं तो अब आम हो गई हैं।

फिर भी बाजार से सब्जी लाना हो या पैक दूध या फिर किराना या कपड़े, पॉलीथिन के प्रति लोभ न तो दुकानदार छोड़ पा रहे हैं, न खरीदार। मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों, पार्कों, अभयारण्यों, रैलियों, जुलूसों, शोभा यात्राओं आदि में धड़ल्ले से इसका उपयोग हो रहा है। शहरों की सुंदरता पर इससे ग्रहण लग रहा है।पॉलीथिन न केवल वर्तमान, बल्कि भविष्य को भी नष्ट करने पर आमादा है।

विकल्प की दुविधा

इंसान जब किसी सुविधा का आदी हो जाता है, तो उसे तभी छोड़ पाता है, जब उसका विकल्प हो। यह भी सच है कि पॉलीथिन बीते दो दशक के दौरान 20 लाख से ज्यादा लोगों के जीवकोपार्जन का जरिया बन चुका है, जो इसके उत्पादन, व्यवसाय, पुरानी पन्नी एकत्र करने व उसे कबाड़ी को बेचने जैसे काम में लगे हैं।

- पॉलीथिन के विकल्प के रूप में जो सिंथेटिक थैले बाजार में डाले गए हैं, वे एक तो महंगे हैं, दूसरे कमजोर और तीसरे वे भी प्राकृतिक या घुलनशील सामग्री से नहीं बने हैं और उनके भी कई विषम प्रभाव हैं।
- कुछ स्थानों पर कागज के बैग और लिफाफे बनाकर मुफ्त में बांटे भी गए, लेकिन मांग की तुलना में उनकी आपूर्ति कम थी।
- कुछ हद तक कपड़े के थैले को इसका विकल्प बनाया जा सकता है। जिस तरह पॉलीथिन की मांग है, उतनी कपड़े के थैले की नहीं होगी, क्योंकि थैला कई-कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कपड़े के थैले की कीमत, उत्पादन की गति भी पॉलीथिन की तरह तेज नहीं होगी।
- सबसे बड़ी दिक्कत है दूध, जूस, बनी हुई करी वाली सब्जी आदि के व्यापार की। इसके लिए एल्युमिनियम या अन्य मिश्रित धातु के खाद्य-पदार्थों के लिए माकूल कंटेनर बनाए जा सकते हैं।

क्या कर सकते है

- प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बायो प्लास्टिक को विकसित करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बायो प्लास्टिक चीनी, चुकंदर, भुट्टे जैसे जैविक रूप से अपघटित होने वाले पदार्थों के इस्तेमाल से बनाई जाती है। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ साल इन चीजों पर सब्सिडी दी जाए, तो

GENERAL STUDIES HINDI
WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

इनके उपयोग को बढ़ावा मिले। यह सब्सिडी प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के मुकाबले कुछ भी नहीं होगी। साथ ही थोड़ा बहुत जो पॉलीथिन इस्तेमाल होगा, उसके उपयोग की रणनीति भी बनानी होगी।

- प्लास्टिक कचरा बीनकर अपना पेट पालने वालों के लिए विकल्प के रूप में बेंगलुरु के प्रयोग पर विचार कर सकते हैं, जहां लावारिस फेंकी गई पन्नियों को अन्य कचरे के साथ ट्रीटमेंट करके खाद बनाई जा रही है।
- हिमाचल प्रदेश में ऐसी पन्नियों को डामर के साथ गलाकर सड़क बनाने का काम चल रहा है। जर्मनी में प्लास्टिक के कचरे से बिजली का निर्माण भी किया जा रहा है।

4. वायु प्रदूषण से हर साल हो रही 12 लाख मौतें

गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया की जारी रिपोर्ट के

इसके अनुसार

- भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति भयावह है। हर साल इससे 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह तादाद तंबाकू सेवन से मरने वालों के अनुपात से बस थोड़ी ही कम है।
- देश का तीन प्रतिशत जीडीपी जहरीली हवा के धुएं में घुल जाता है। अगर देश का विकास जरूरी

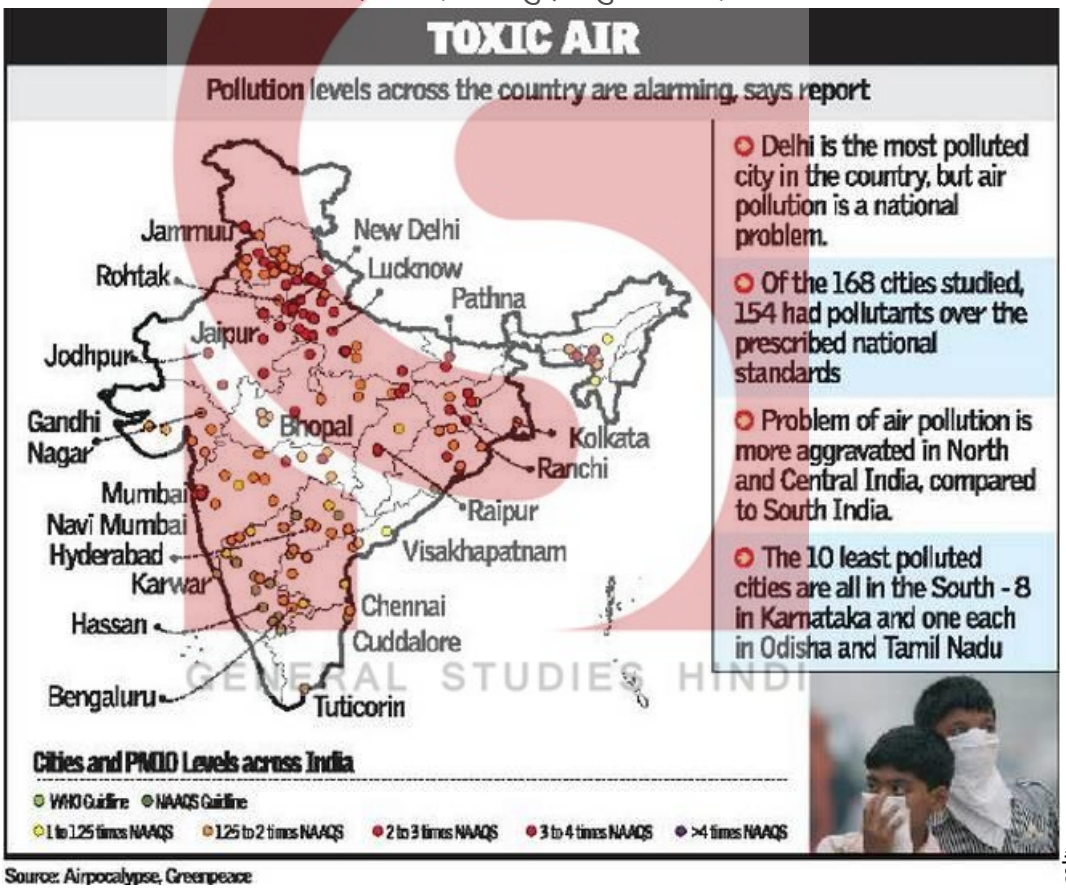

GENERAL STUDIES HINDI
है

तो सबसे पहले वायु प्रदूषण से लड़ना होगा

- वर्ष 2015 में भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में पीएम दस के स्तर का है। यह 268 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और 168 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है।
- 268 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के साथ दिल्ली की हवा सबसे अधिक जहरीली है।
- इसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, इलाहाबाद और बरेली इसके काफी करीब है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, हरियाणा का फरीदाबाद, बिहार का पटना, झारखंड का झारिया, रांची, कुसुंदा व बस्ताकोला और राजस्थान के अलवर में वायु प्रदूषण का स्तर 10 पीएम स्केल पर 258 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से 200 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के बीच है।
- साफ है कि घातक हवा का संकट सिर्फ महानगरों में ही नहीं बल्कि पूरे देश को चपेट में ले चुका है।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वायु प्रदूषण के मामले में सिर्फ दिल्ली के ही हालात गंभीर नहीं हैं, बल्कि कुल 168 भारतीय शहरों में से एक भी विश्व स्वास्थ्य संगठन) डब्लूएचओ (के मानकों के अनुरूप नहीं है।

5. 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक कचरा : रिपोर्ट

- प्लास्टिक कचरे को रीसाइकिल करने की नई योजना का भारत समेत 40 से ज्यादा देशों के उद्योगपतियों ने समर्थन किया है।
- दरअसल, डर इस बात का सता रहा है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य पैकेजिंग में इस्तेमाल हो रही कुल प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना है।
- इस योजना को एक रिपोर्ट की शक्ल में विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) और एलन मैकआर्थर फाउंडेशन ने प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 20 प्रतिशत प्लास्टिक पैकेजिंग को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
- जबकि, पैकेजिंग के डिजाइन और इस्तेमाल के बाद की प्रबंधन प्रणाली में सुधार करके बाकी 50 प्रतिशत प्लास्टिक पैकेजिंग को लाभदायक रूप से रीसाइकिल किया जा सकता है।
- रिपोर्ट यह भी कहती है कि डिजाइन में बिना मौलिक बदलाव और नवीनीकरण के शेष 30 प्रतिशत प्लास्टिक पैकेजिंग को कभी भी रीसाइकिल नहीं किया जा सकता।

6. वन्यजीवों पर मंडराता संकट

हाल ही खबरों में

हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में एसटीएफ ने पुलिस व वन विभाग की टीम के साथ मिल कर एक ट्रक से तस्करी के लिए जा रहे 4.40 टन कछुओं को पकड़ा। देश में अब तक कछुओं की तस्करी का यह सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। बरामद कछुओं की कीमत दो करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। दरअसल, कछुओं की लगभग दो सौ प्रजातियां होती हैं लेकिन हमारे देश में पचपन प्रजातियां ही पाई जाती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज वन्यजीवों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की पिछले दिनों जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक वन्यजीवों का दो तिहाई से भी ज्यादा हिस्सा विलुप्त हो जाएगा।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में 41 फीसद स्तनधारियों, 46 फीसद सरीसृपों, 57 फीसद उभयचरों और नदी-तालाबों की 70 फीसद मछलियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है।
- भारत समेत संपूर्ण विश्व में वन्यजीवों की संख्या तेजी से घट रही है।
- बीते चालीस सालों में पशु-पक्षियों की संख्या घट कर एक तिहाई रह गई। इस दौरान पेड़-पौधों की विभिन्न प्रजातियां भी आश्चर्यजनक रूप से कम हुईं। पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। दरअसल, समृद्ध वन्य-जीवन हमारे पर्यावरण को पोषकता तो प्रदान करता ही है, हमारे जीवन पर भी

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

सकारात्मक प्रभाव डालता है। विडंबना यह है कि वन्यजीवों के संकट को देखते हुए भी हम अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं।

- कुछ समय पूर्व भी वन्य जीवन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में भी बताया गया था कि पिछले चार दशकों में जंगली जानवरों की संख्या तीस फीसद घट गई।
- कुछ जगहों पर तो यह संख्या साठ फीसद घटी। इस अवधि के दौरान मीठे पानी में रहने वाले पक्षियों, जानवरों और मछलियों की संख्या में सत्तर फीसद गिरावट दर्ज की गई।
- विभिन्न कारणों से डाल्फिन, बाघ और दरियाई घोड़ों की संख्या भी आश्यर्चजनक रूप से घटी। 1980 से अब तक एशिया में बाघों की संख्या सत्तर फीसद कम हो चुकी है।
- विभिन्न पक्षियों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पक्षी हमारे देश की समद्ध जैव-विविधता की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। गौरतलब है कि दुनिया में पक्षियों की लगभग9900 प्रजातियां ज्ञात है । एक अनुमान के अनुसार अगले सौ सालों में पक्षियों की लगभग 1100 प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 85 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- तोते पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरतलब है कि विश्व में तोते की लगभग 330 प्रजातियां ज्ञात हैं। अगले सौ सालों में इनमें से एक तिहाई प्रजातियों के विलुप्त होने का अनुमान है।
- भारत में जिन पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है उनमें उपरोक्त पक्षियों के अतिरिक्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुलाबी सिर वाली बत्तख, हिमालयन बटेर, साइबेरियाई सारस, बंगाल फ्लेरिकन और उल्लू आदि प्रमुख हैं।

कारण :

- दरअसल, पशु पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। प्राकृतिक-आवास में ही इनकी जैविक क्रियाओं के बीच एक संतुलन बना रहता है। विभिन्न कारणों से पक्षियों का प्राकृतिक आवास उजड़ता जा रहा है।
- बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं। बाग बगीचे-बाड़ी की जा रही है। जलीय पक्षियों का प्राकृतिक आवास-उजाड़ कर उन जगहों पर खेती भी सुरक्षित नहीं बचा है।
- एक ओर पक्षी मानवीय लोभ की भेंट चढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है।
- तमाम नियम कानूनों के बावजूद पक्षियों का शिकार व अवैध व्यापार किया जा रहा है। लोग-सजावट, मनोरंजन तथा घर की शान बढ़ाने के लिए तोते व रंग बिरंगी गौरैया जैसे पक्षियों को-पिंजरों में कैद रखते हैं
- पक्षी विभिन्न रसायनों व जहरीले पदार्थों के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। ऐसे पदार्थ भोजन या फिर त्वचा के माध्यम से पक्षियों के अंदर पहुंच कर उनकी मौत का कारण बनते हैं।
- डीडीटी, विभिन्न कीटनाशक और खरपतवार खत्म करने वाले रसायन पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं।
- मोर जैसे पक्षी कीटनाशकों की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं।
- गिद्ध मरे हुए पशुओं का मांस खाकर पर्यावरण साफ रखने में मदद करता है। पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा के अंश मरने के बाद भी पशुओं के शरीर में रह जाते हैं। जब इन मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के शरीर में पहुंच कर उनकी मौत का कारण बनती है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- **Exotic species & Biodiversity** : इस दौर में हम अपने बगीचों में सुंदरता बढ़ाने के लिए विदेशी या फिर ऐसे पौधों को ज्यादा उगाते हैं जो प्राकृतिक रूप से उस जगह पर नहीं उगते हैं। ऐसे पौधे स्थानीय पौधों की तुलना में उस जगह पर रहने वाले कीट पतंगों को अपनी ओर-आकर्षित नहीं कर पाते हैं। साथ ही इन पौधोें को ज्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की आवश्यकता होती हैं। ये रसायन वातावरण को प्रदूषित कर लाभकारी सूक्ष्मजीवों और कीट पतंगों को भी खत्म कर देते हैं।-

भाषा और संस्कृति पर प्रभाव

वन्य जीवन पर गहराता संकट पर्यावरण के साथ साथ भाषा और संस्कृति को-भी नष्ट कर रहा है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि जैव विविधता की हानि दुनिया में भाषाओं और संस्कृतियों के नष्ट होने-के लिए जिम्मेवार है। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि:

- पृथ्वी के जैव विविधताओं वाले उच्च क्षेत्रों में उच्च भाषाई विविधता भी होती है।-
- यहां तक कि विश्व की सत्तर प्रतिशत भाषाएं उच्च जैव विविधता वाले स्थलों पर पाई जाती हैं।
- जैव साथ पर्यावरण पर जिस तरह से प्रभाव डाल-विविधता में ह्रास भाषा और संस्कृति के साथ-रहाहै वह यह संकेत देने के लिए काफी है कि भविष्य में हमें अनेक खतरों का सामना करना पड़ेगा।

आवश्यकता किस बात की

- आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आसपास स्थानीय पौधों को ज्यादा उगाएं। ऐसे पौधों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और वे स्थानीय कीटपतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहते हैं।-
- जब भी जीवों के संरक्षण की योजनाएं बनती हैं तो बाघ, शेर तथा हाथी जैसे बड़े जीवों के संरक्षण पर तो ध्यान दिया जाता है लेकिन पक्षियों के संरक्षण को अपेक्षित महत्त्व नहीं मिल पाता है। वृक्षों की संख्या में वृद्धि, जैविक खेती को प्रोत्साहित तथा माइक्रोवेव प्रदूषण को कम करके काफी हद तक पक्षियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है।
- पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार को भी कुछ ठोस योजनाएं बनानी होंगी। हमें समझना होगा कि जीवों पर मंडराता यह खतरा भविष्य में हमारे अस्तित्व पर भी प्रश्नचिह्न लगा सकता है।

Science & Technology

GENERAL STUDIES HINDI

1. **ओमेगा-3**

Why in news:

शोधकर्ताओं के अनुसार, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान 2.4 ग्राम लांग थ्री की खुराक-चेन ओमेगा-लेनी वाली महिलाओं के बच्चे में अस्थमा का खतरा31 फीसद कम पाया गया। लांग थ्री फैटी-चेन ओमेगा-एसिड ठंडे पानी की मछलियों में पाया जाता है। यह मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए काफी महम जाना जाता है।

- ओमेगा-3 फैटी एसिड एक प्रकार की वसा है।
- यह शरीर में हार्मोन्स के निर्माण के साथ शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करती है।
- ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है। यह धमनियों के फैलने में सहायता करता है, जिससे उनमें रक्त प्रवाह ठीक ढंग से हो पाता है और एन्जाइम्स फैट को आसानी से

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

शरीर में घुलने में सहायता करते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। इससे जरूरत से अधिक चर्बी शरीर में जमा नहीं हो पाती।

- यह फैटी एसिड शरीर में नहीं बनता, इसको भोजन के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है।
- शाकाहारी लोगों के लिए अलसी ओमेगा-3 एसिड का सबसे अच्छा स्रोत होता है, जबकि मांसाहारियों को यह मछली के सेवन से मिल जाता है।
- इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से कई प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। यदि रोजाना तीन ग्राम से ज्यादा ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन किया जाए तो ब्लीडिंग होने की आशंका हो जाती है, वहीं इसके अधिक सेवन से हैमोरैजिक (रक्तस्रावी) स्ट्रोक भी हो सकता है। सात ही, इसका अदिक मात्रा में सेवन करने से डायबिटीज से पीड़ित लोगों के शरीर में लो डेनसिटी लिपोप्रोटीन (एलपीएल) कॉलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो काफी हानिकारक होता है।

2. **अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण सफल : मारक क्षमता 4000 किलोमीटर**

भारत ने ओडिशा में परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया.

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मोबाइल लॉन्चर की मदद से, अग्नि-4 को डॉ अब्दुल कलाम द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के परिसर संख्या चार से दागा गया. डॉ अब्दुल कलाम द्वीप को पूर्व में व्हीलर द्वीप के तौर पर जाना जाता था.
- देश में निर्मित अग्नि-4 का यह छठा प्रायोगिक परीक्षण था जिसने सभी मानकों को पूरा किया. पिछला परीक्षण नौ नवंबर 2015 को भारतीय सेना की विशेष तौर पर गठित सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने किया था जो सफल रहा.

=>**विशेषताएं :-**

1- बीस मीटर लंबी और 17 टन वजन वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 4,000 किलोमीटर है
2- यह दो चरणीय मिसाइल है.
3- "अत्याधुनिक एवं सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल आधुनिक एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी से लैस है जो इसे उच्चस्तरीय विश्वसनीयता प्रदान करती है."
4- अग्नि-4 मिसाइल अत्याधुनिक वैमानिकी, पांचवी पीढ़ी के ऑन बोर्ड कंप्यूटर और संवितरित संरचना से लैस है.
5- इसमें उड़ान के दौरान उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को सही करने और मार्गदर्शन की तकनीक है.
6- जड़त्व दिशा-निर्देशन प्रणाली (आरआईएनएस) पर आधारित अति सटीक रिंग लेजर जाइरो तकनीक और अत्यंत विश्वसनीय माइक्रो नैविगेशन सिस्टम अचूक निशाने के साथ मिसाइल का लक्ष्य तक पहुंचना सुनिश्चित करते हैं.
अग्नि-1, 2 और 3 तथा पृथ्वी जैसी बैलेस्टिक मिसाइलें पहले से ही सशस्त्र बलों के बेड़े में हैं जो उन्हें प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं.

3. रेल एकॉस्टिक सेंसिंग बेस्ड सेफ्टी तकनीक

GENERAL STUDIES HINDI

Background:

हाल में कानपुर के समीप हुए दो रेल हादसों से सबक लेते हुए रेल प्रबंधन अपनी परिचालन व्यवस्था को सुरक्षित करने के तहत भारतीय रेल एकॉस्टिक सेंसिंग बेस्ड सेफ्टी तकनीक अपनाने जा रही है।

क्या है यह :

- यह तकनीक ट्रेन की वास्तविक स्थिति के बारे में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से कई गुना सटीक जानकारी देगी।
- इसके लिए रेल ट्रैक के किनारे एकॉस्टिक सेंसर लगा आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाया जाएगा, जो कंट्रोल रूम के डिस्प्ले स्क्रीन से जुड़ा होगा।
- इस सेंसर के जरिये ट्रेन की सही स्पीड के साथ वास्तविक स्थान की जानकारी भी मिलती रहेगी।

तकनीक :

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

ओएफसी सेंसर : ओएफसी सेंसर अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से उच्च ऊर्जा संकेत भेजता है। इससे कंट्रोल रूम में लगे ट्रांसमीटर का अलार्म संकेत देने लगता है। इससे संभावित दुर्घटना को रोकने में मदद मिलेगी। ओएफसी सेंसर से रेल ट्रैक पर लगातार नजर रखी जा सकती है। ट्रैक में किसी भी असमानता का पता चलने पर केबल में लगा सेंसर कंट्रोल रूम में लगे डिसप्ले पर संकेत देने लगेगा।

फायदे

- इस तकनीक के माध्यम से मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटना के साथ कोहरे की वजह से ट्रेनों की लेटलतीफी को खत्म किया जा सकेगा।
- 'कंप्यूटराइज्ड मॉनीटरिंग व विश्लेषण से ट्रेनों की वास्तविक स्थिति कंट्रोल रूम में लगे डिस्प्ले स्क्रीन पर लाइव देखी जा सकेगी।
- 'चूंकि यह तकनीक ट्रैक पर जरा भी इंपैक्ट को रिकॉर्ड करती है, इसलिए सामान्य गतिविधियां भी रिकॉर्ड होंगी।
- 'किस ट्रैक पर ट्रेन है, इसकी सही जानकारी मिलेगी। 1'कोहरे से होने वाली ट्रेन दुर्घटना को रोकने में मदद मिलेगी ।
- 'ट्रेनों का परिचालन समय पर सुनिश्चित कराने में सहूलियत होगी।

4. भारत से फैले सुपरबग पर किसी ऐंटीबायॉटिक का असर नहीं

अमेरिका में एक ऐसे भारतीय सुपरबग का पता चला है जिस पर किसी भी ऐंटीबायॉटिक का असर नहीं होता। डॉक्टरों ने इसे न्यू डेली मेटालो-बीटा-लेक्टामेस (NDM) नाम दिया है।

=>क्या है इसकी कहानी:-

- 70 साल की एक संक्रमित मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों ने इसका पता लगाया है।
- हाल ही में 70 वर्षीय अमेरिकी महिला की मौत हुई। यह महिला दो साल पहले अपने थाइ बोन फ्रैक्चर का इलाज कराने दिल्ली आई थी।
- अब डॉक्टर्स ने महिला के घाव के नमूनों से यह पुष्टि की है कि उसके अंदर न्यू डेली मैटालो-बीटा-लैक्टमेस (NDM) नाम का सुपरबग पाया गया। टेस्ट से यह भी पता लगा है कि पूरे अमेरिका में इस इन्फेक्शन के इलाज के लिए दवाई नहीं है।
- इस खोज ने मेडिकल प्रफेशनल्स को इसलिए परेशान कर दिया है क्योंकि जो सुपरबग महिला में पाया गया उस पर ऐंटीबायॉटिक्स का असर नहीं करते

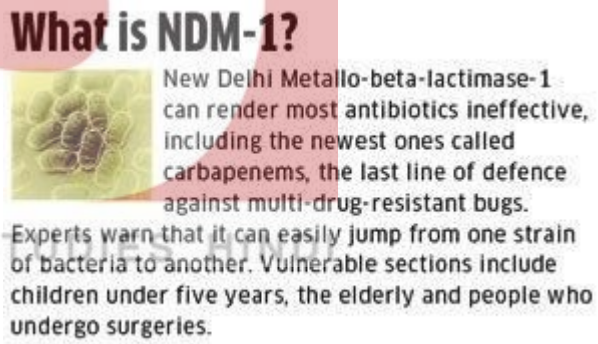

- अटलांटा की लैबरेटरी CDC के मुताबिक यह महिला कई बार भारत के अस्पताल में भर्ती हुई और आखिरी बार जून 2016 में आई थी।

अमेरिका लौटने के कुछ समय बाद अगस्त महीने में निवाडा के एक हॉस्पिटल में महिला को भर्ती कराया गया। लेकिन महिला को सेप्टिक हुआ और सितंबर में उसकी मौत हो गई।

- CDC के मुताबिक पीड़ित महिला के घाव के नमूनों से यह पता लगा कि जो सुपरबग उसमें पाया गया वह 26 ऐंटीबायॉटिक्स के लिए प्रतिरोधक है।
- =>**इतिहास :-**

साल 2008 में भारतीय मूल की स्वीडिश महिला में यह सुपरबग पहली बार पाया गया था। डॉक्टर्स को डर है कि ऐंटीबायॉटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल इस तरह के और सुपरबग को जन्म दे सकता है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- इस सुपरबग का शिकार अधिकतर कैंसर के मरीज, सर्जरी कराने वाले मरीज, टीबी के मरीज या फिर ऑर्गन-हड्डी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोग होते हैं।

5. हाइपरलूप तकनीक भारत में ; चेन्नई से बेंगलुरू के बीच शुरू होगी

- चेन्नई से बेंगलुरू की सड़क मार्ग से दूरी 345 किलोमीटर है। अगर आप बस से इस मार्ग पर सफर करेंगे तो आपको कम से कम 6 घंटे 30 का मिनट का समय लगेगा। वहीं ट्रेन से यह समय 6 घंटे है। अगर आप हवाई जहाज से यह सफर करेंगे तो 50 मिनट का समय लगेगा
- लेकिन एक नई परिवहन प्रणाली से यह समय घटकर केवल 30 मिनट रह जाएगा।
- अमेरिकी आंत्रप्रन्योर तथा आविष्कारक एलन मस्क ने हाइपरलूप नाम की परिवहन प्रणाली का ईजाद किया है। इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर प्रतिघंटा है तथा यह कॉन्क्रीट के पिलर्स पर बनाई गई ट्यूब्स के अंदर चलने वाला खास वाहन है।
- हाल ही में कंपनी ने भारत में यह सुविधा शुरू करने में रुचि दिखाई है। अगर सरकारी अनुमति मिली तो जल्द ही चेन्नई से बेंगलुरू, चेन्नई से मुंबई, पुणे से मुंबई, बेंगलुरू से तिरुवनंतपुरम तथा मुंबई से दिल्ली बीच हाइपरलूप चलाई जाएगी।
- कंपनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से इस संबंध में संपर्क किया है। हाइपरलूप का दावा है कि उनकी परिवहन प्रणाली में यात्रा का खर्च बस टिकट से भी कम होगा।
- हाइपरलूप का पहला प्रोजेक्ट अगले पांच साल में अबुधाबी तथा दुबई के बीच पूरा हो जाएगा। इससे इन दोनों शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम 90 मिनट से घटकर मात्र 12 मिनट रह जाएगा।

=>>**क्या है हाइपरलूप?**

- - हाइपरलूप को भविष्य की परिवहन व्यवस्था कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस व्यवस्था में मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर ही बड़े-बड़े पिलर पर एक खास ट्यूब लगाई जाती है।
- इस ट्यूब के भीतर पॉड में सफर किया जाता है। पॉड को चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिये गति दी जाती है।
- इसकी गति 1,200 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है।

6. शरीर का 79वां अंग मिला

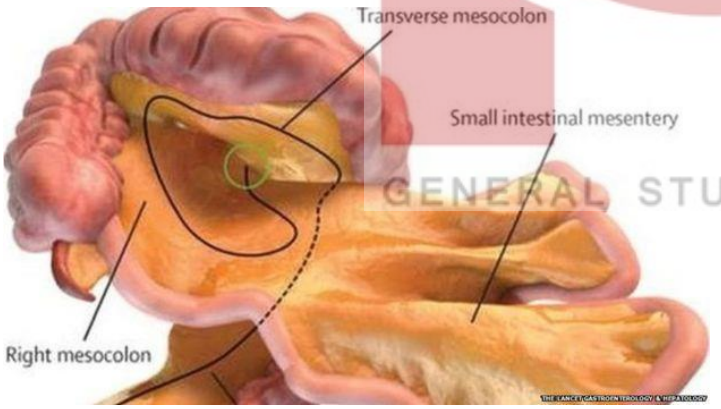

वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर में छिपे एक ऐसे अंग को खोज निकाला है, जिसका पता अभी तक किसी को नहीं था।

- इस अंग को मेसन्टेरी नाम दिया गया है। ये नया अंग हमारे पाचन तंत्र में स्थित है।
- यह पेट को आंत से जोड़ता है.
- पहले माना जाता था कि मेसेन्टरी कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी जे. केल्विन कॉफी के अनुसार यह एकल संरचना है.
- इस खोज से कई लाभ होगें. विज्ञान के उन क्षेत्रों तक भी हम पहुंचेगे जो पहले पता नहीं थे. रोगों को नए सिरे से समझने में आसानी होगी.

7. **बीजीआर-34** : आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान के आधार पर तैयार मधुमेह की देसी दवा क्लीनिकल ट्रायल में सफल

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- केंद्र सरकार के सीएसआइआर) प्रयोगशालाओं में आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान के आधार पर तैयार की गई मधुमेह (डायबिटीज) की देसी दवा ने वैज्ञानिक परीक्षा भी पास कर ली है।
- राष्ट्रीय क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री पर "बीजीआर-34" नाम की इस दवा के सफल परीक्षण के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इस दवा को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया है।
- क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री पर प्रकाशित नतीजों के मुताबिक यह परीक्षण रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड समांतर समूह पर किया गया था। प्राथमिक नतीजों के मुताबिक टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के ग्लाइसेमिक पैमानों के लिहाज से इस दवा का बहुत उत्साहजनक प्रभाव देखा गया है
- हाइपर ग्लाइसेमिया के बेहतर नियंत्रण की वजह से मरीज के स्वास्थ्य में काफी सुधार आता है। इसके आधार पर कहा गया है कि ऐसे मरीजों में ग्लूकोज के नियंत्रण के लिए इसे मोनो थेरेपी या एडजेंक्टिव थेरेपी के तौर पर जम कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- यानी पहले से चल रही एलोपैथिक दवाओं के साथ ही बेहतर नतीजों के लिए इनका भी उपयोग किया जाना चाहिए। रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड समांतर समूह क्लीनिकल ट्रायल का सबसे प्रभावी तरीका है। इसमें आधे मरीजों को वास्तविक दवा दी गई, जबकि दूसरे समूह को ठीक वैसी ही दिखने वाली त्रिफला की गोली दी गई।
- चार महीने की अवधि में दोनों समूहों के अध्ययन के आधार पर दवा के प्रभाव को आंका गया। इस अध्ययन के दौरान असली दवा पाने वाले और प्लेसीबो (दिखावटी दवा) पाने वाले की पहचान एक प्रक्रिया के तहत गोपनीय रखी जाती है।
- मरीज, उसका इलाज करने वाले या आंकड़े रखने वालों में से किसी को पता नहीं होता कि वास्तविक दवा किसे मिल रही है।

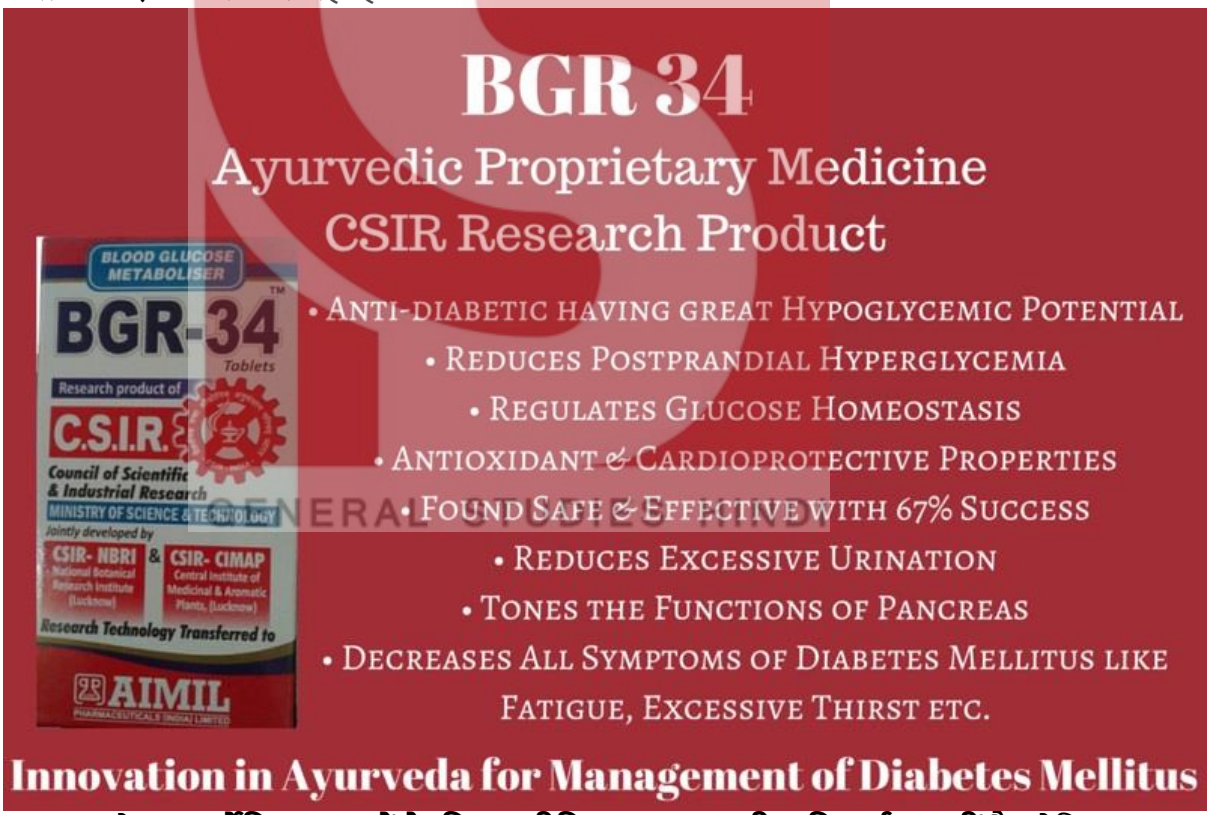

- ज्ञातव्य रहे "**आयुर्वेदिक दवाओं के लिए क्लीनिकल ट्रायल की अनिवार्यता नहीं है।** लेकिन इससे दवा की विश्वसनीयता बढ़ती है।" दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 64 मरीजों पर यह परीक्षण किया गया है

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- इस दवा की बिक्री का अधिकार एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया गया है। क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) चलाती है और देश में एलोपैथिक दवाओं के सभी क्लीनिकल ट्रायल की इस पर रजिस्ट्री होनी जरूरी होती है। अब तक लगभग दो हजार दवाओं के ट्रायल को यहां रजिस्टर किया गया है, लेकिन ये एलोपैथिक दवाएं हैं।

International Relation & International events

1. दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन : "वियतनाम को आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल देगा भारत

- दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन और चीन एवं पाकिस्तान के गठजोड़ की बात भारत कई वैश्विक पटल पर कहता रहा है. पिछले कुछ समय से चीन की पाकिस्तान की लगातार गैरजरूरी तरफदारी ने भारत के लिए चिंता पैदा कर दी है.
- ऐसे में भारत सतह से हवा में मार करने में सक्षम स्वदेशी आकाश मिसाइल को वियतनाम को बेचने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है.
- इतना ही नहीं भारत यह भी साफ कर चुका है कि वह अपने मित्र देशों को उनकी सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर आकाश मिसाइल के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई कर सकता है.
- माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच यह समझौता चीन के एशिया-पैसेफिक क्षेत्र में बढ़ते दबदबे के चलते भी संभव है.

गौरतलब कि आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के आंतकियों की सूची में शामिल करने के भारत के लंबे अर्से से चले आ रहे प्रयासों को लगातार चीन ने विरोध किया है. इतना ही नहीं एनएसजी में की सदस्यता पर भी चीन का रुख आलोचनाओं का कारण बना है.

भारत के विरोध में और इस क्षेत्र में भारत को उभरने न देने के चीन के लगातार बने रुख के चलते भारत अपने लिए कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है. सामरिक दृष्टि से दबाव बनाने के लिए भारत भी चीन को चीन की भाषा में जवाब देने की कोशिश में है.

भारत- वियतनाम करीबी दोस्त है और दोनों के रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं पिछले कुछ समय में रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर वियतनाम की यात्रा कर चुके हैं और वहां के रक्षामंत्री भी भारत का दौरा कर चुके हैं.

GENERAL STUDIES HINDI

इसके तहत भारत ने जापान, मंगोलिया और वियतनाम से रणनीतिक और सैन्य साझेदारी बढ़ाने के प्रयास और बढ़ा दिए हैं.

=>> **आकाश मिसाइल :-**

- आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर के दायरे में एयरक्राफ्ट, हेलिकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बना सकती है.
- वियतनाम ने आकाश मिसाइल में गहरी रुचि दिखाई है.
- इससे पहले भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और वरुणास्त्र एंटी सबमरिन भी ऑफर की थी.

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- भारत इस साल से सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमानों से वियतनाम के फाइटर पायलेट्स को प्रशिक्षण भी देगा. भारत तीन साल से वियतनामी सेलर्स को किलो क्लास पनडुब्बी चलाने का प्रशिक्षण दे रहा है.

- पृष्ठभूमि :-
  भारत और वियतनाम के बीच जुलाई 2007 में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर समझौता हुआ था.

- इसके बाद सितम्बर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इसे विस्तार दिया गया था. इस यात्रा में पीएम मोदी ने वियतनाम के लिए 500 मिलियन डॉलर के क्रेडिट का ऐलान किया था.

विशेष :- इलाके में चीन के बढ़ते दखल के चलते वियतनाम भी काफी चिंतित है और अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है. इसके तहत वह रूस से किलो क्लास पनडुब्बी और सुखोई लड़ाकू विमान ले रहा है.

2. भारत-UAE ऑइल रिजर्व डील

भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से बुधवार को यूएई से ऑइल रिजर्व तैयार करने को लेकर अहम करार किया। इसके तहत भारत की कुल पेट्रोलियम जरूरत का छठा हिस्सा ऑइल रिजर्व में उपलब्ध रहेगा

Some key Points:

1. भारत सरकार ने यूएई के साथ डील में उसे कर्नाटक के मंगलुरु की अंडरग्राउंड क्रूड ऑइल स्टोरेज फैसिलिटी के आधे हिस्से को भरने की अनुमति दी गई है।

2. यह डील भारत सरकार रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम के तहत 36.87 मिलियन बैरल कच्चे तेल को स्टोर किया जा सकेगा। इससे आपातकालीन स्थिति में 10 दिन तक देश की औसत तेल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

3. यूएई की अबु धाबी नैशनल ऑइल कंपनी मंगलुरु में 6 मिलियन बैरल ऑइल स्टोर करेगी। इस साइट पर कुल स्टोरेज क्षमता का यह आधा हिस्सा होगा।

4. अबु धाबी नैशनल ऑइल कंपनी और इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच भारत में ऑइल स्टोरेज और मैनेजमेंट को लेकर यह दूसरा करार है। 2017 की आखिरी तिमाही से आबु धाबी की कंपनी की ओर से भारत को कच्चे तेल की सप्लाइ शुरू कर दी जाएगी।

5. तीन साल पहले भारत सरकार ने अपनी रणनीतिक तेल स्टोरेज क्षमता का एक हिस्सा दुबई की इस कंपनी को लीज पर देने के लिए बातचीत की शुरुआत की थी।

6. देश की इकॉनमी को सुरक्षा प्रदान करने और आपात स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिहाज से यह डील बेहद महत्वपूर्ण है। इन क्रूड ऑइल इन्वेंट्रीज को किसी देश की सरकार या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है।

7. मंगलुरु की ऑइल स्टोरेज फैसिलिटी के आधे हिस्से में भारत ने 6 मिलियन बैरल क्रूड ऑइल रिजर्व किया है। यह रिजर्व ईरान की मदद से किया गया है। इसके अलावा भारत ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भी 7.55 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर किया है। ऐसी ही तीसरी यूनिट कर्नाटक के पाडुरण में है, यहां 18.3 मिलियन बैरल क्रूड ऑइल स्टोर किए जाने की क्षमता है।

8. अमेरिका के ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक दुनिया भर में देशों ने स्ट्रैटेजिक ऑइल रिजर्व में 4.1 बिलियन बैरल क्रूड ऑइल रिजर्व कर रखा है। इनमें से 1.4 बिलियन बैरल पर सरकार का नियंत्रण है, जबकि बाकी हिस्से का प्राइवेट इंडस्ट्री संचालन करती है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

9. अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक 727 मिलियन बैरल का ऑइल रिजर्व है। यदि अमेरिका अपने रिजर्व को पूरी तरह भरकर रखता है तो आपात स्थिति में 60 दिनों तक देश की तेल की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।
10. चीन ने सरकार के नियंत्रण में स्ट्रैटेजिक ऑइल रिजर्व तैयार किया है। चीन की योजना 2020 तक 90 दिनों तक का ऑइल रिजर्व स्थापित करने की है।

3. भारत-यूएई के बीच डिफेंस,सिक्युरिटी, आईटी सर्विस और हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर 14 एग्रीमेंट्स साइन

अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यां और नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस के गार्डन में सैर पर अहम चर्चा हुई। दो साल पहले जब बराक ओबामा रिपब्लिड डे परेड देखने भारत आए थे तब भी मोदी ने उन्हें गार्डन की सैर कराई और चाय पिलाई थी।

- 68th रिपब्लिक डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने के लिए अबू धाबी के प्रिंस भारत पहुंचे।
- 'यूएई भारत का बड़ा एनर्जी पार्टनर है। एनर्जी और इन्वेस्टमेंट पर कई समझौते हुए
- यूएई से भारत ने , भारत में अगले कुछ साल में करीब पांच लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का समझौता किया है।
- ट्रेड पार्टनरशिप पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। यूएई ने भारत के लिए एनर्जी सेक्टर में नई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हरी झंडी दी है।"
- "डिफेंस के लिए एमओयू साइन किए हैं।
- आतंकवाद दोनों देशों के लिए खतरा है। साथ मिलकर इससे लड़ेंगे।
- अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में सहयोग को बढ़ाएंगे।"

=>6 हाईवे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट :-

- यूएई भारत का अच्छा ट्रेड पार्टनर है। कारोबार को आसान बनाने के लिए भी एमओयू साइन हुआ है।
- दोनों देशों के बीच पाइरेसी,सिविल न्यूक्लियर सेक्टर,आईटी सर्विस और 5 से 6 प्रोजेक्ट हाईवे प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल हैं।
- भारत और यूएई अपने डिप्लोमैट्स के लिए फ्री वीजा ट्रैवल और स्पेशल पासपोर्ट की फैसिलिटी को लेकर काम कर रहे हैं।

4. मुस्लिम देशों पर बैन से भारत के आईटी उद्योग पर क्या प्रभाव

GENERAL STUDIES HINDI

सात मुस्लिम देश के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगने का तकनीक के क्षेत्र कौशल अर्जित करने वाले भारतीयों को बहुत कम फायदा मिलने वाला है। वैश्विक तकनीकी कंपनियां शायद प्रतिबंधित देशों के कर्मचारियों की जगह अमेरिका के मित्र देशों के लोगों को रखने में होशियारी समझ सकती हैं।

- अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कदम ग्लोबालाइजेशन की अवधारणा के खिलाफ पूरी श्रृंखला का एक पहलू मात्र है जिसका आईटी जैसे ग्लोबलाइज्ड बिजनस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है
- अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस नाते पाबंदी लगने से टैलंट की आवाजाही प्रभावित होगी जिसे वैश्वीकरण के विरुद्ध माना जाएगा
- कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसका सीधा असर इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। एक बड़ा कदम H-1B और L-1 वीजा प्रोग्राम्स को निशाने पर लेना हो सकता है जिसका उपयोग भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर करती हैं

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

5. भारत और चीन के रिश्ते में कड़वाहट की धुंध

#Business Standard Editorial

हाल ही का सन्दर्भ

भारत और चीन के रिश्ते तीक्ष्ण विवाद की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के कदम पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चीन ने बार-बार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी बताए जाने को तकनीकी आधार पर रोका है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह दोहरा रुख अपना रहा है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ होने की अपनी ही बात से पीछे हट रहा है। दोनों देश लगातार कहते रहे हैं कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसलिए चीन के रुख पर भारत का विरोध कतई अजीब नहीं है।

- चीन ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह में शामिल किए जाने का भी विरोध किया है। उसका कहना है कि ऐसा करने से अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार की व्यवस्था को धक्का पहुंचेगा। लेकिन निजी तौर पर चीन यह कह चुका है कि अगर भारत और पाकिस्तान को एक साथ एनएसजी का सदस्य बनाया जाता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि उपरोक्त दोनों ही मामलों में पाकिस्तान ही साझा कारक है।
- भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में चीन पर दबाव बनाया जिसके चलते उसने पाकिस्तान के समर्थन के बारे में अपनी स्थिति को सार्वजनिक किया। यह बात भारत की चीन के बारे में शत्रुतापूर्ण धारणा को और सही साबित करती है। ऐसे कदम उठाने के बाद चीन के लिए भी अपने कदम पीछे खींचना मुश्किल है।
- भारत ने हाल ही में अग्नि-4 और अग्नि -5 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र (आईसीबीएम) का परीक्षण किया है। भारतीय मीडिया ने इसे ऐसे पेश किया जैसे यह चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हालांकि आधिकारिक वक्तव्य में हमेशा की तरह यही कहा गया कि यह क्षमता किसी खास देश को ध्यान में रखकर नहीं विकसित की गई है। चीन ने अपनी अतीत की नीति के उलट इन परीक्षणों पर पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी।
- उसने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1172वें प्रस्ताव का उल्लंघन है जो 6 जून 2008 को पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को भारत और पाकिस्तान द्वारा एक के बाद एक परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद पारित किया गया था। उसमें इन परीक्षणों की आलोचना करते हुए कहा गया था कि वे तत्काल परमाणु हथियार विकसित करना बंद करें और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण भी रोक दें। चीन के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अग्नि का परीक्षण उपरोक्त समझौते का उल्लंघन है। उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि भारत परमाणु हथियार क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर सकता है या नहीं। यह बात ध्यान दिए जाने लायक है कि चीन ने कभी भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं माना और विभिन्न चर्चाओं में इस संबंध में दबाव बनने पर उसने इस समझौते का सहारा लिया।
- भारत की बात करें तो यहां भी तिब्बत मुद्दे को दोबारा छेडने की मंशा साफ नजर आती है। नोबेल विजेताओं के सम्मेलन में दलाई लामा को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया जाना पिछली नीति से स्पष्ट रूप से अलग है। उस नीति के तहत सरकार तिब्बत के नेता की सक्रियता से खुद को नहीं जोड़ती थी। करमापा भी सार्वजनिक रूप से अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। यह भी नीतिगत बदलाव का ही उदाहरण है। भारत अपने स्तर पर चीन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

आवश्यकता किस बात की

दोनों देशों को अपने कदम पीछे खींचकर द्विपक्षीय रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए ताकि मौजूदा तनाव दूर हो सके। चीन को भी चाहिए कि वह भारत को केवल अमेरिका या पाकिस्तान के साथ रिश्तों से जोड़कर नहीं देखे। वह भारत को अमेरिका के साथ बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के चश्मे से देखना बंद कर दे। ठीक वैसे ही जैसे अतीत में वह भारत को सोवियत संघ के सहयोगी के रूप में देखता था।

अक्सर यह जिक्र किया जाता है कि चीन का जीडीपी भारत की तुलना में पांच गुना है और इसलिए भारत को अपना कद छोटा होने का अहसास रखना चाहिए। चीन शायद यह भूल गया है कि खुद उसका जीडीपी अमेरिका की तुलना में नगण्य है। क्या वह अमेरिका के सामने खुद को छोटा मानता है? नहीं तो फिर भारत ऐसा क्यों करेगा? भारत की बात करें तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हम चीन के भड़काऊ कदमों पर प्रतिक्रिया देना बंद करेंगे। हमें ऐसी परिस्थितियां नहीं बनने देनी चाहिए जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं हो। क्योंकि उसके परिणाम दोनों देशों को भुगतने होंगे। हमें जन भावनाओं को नेतृत्व के निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भारत और चीन के रिश्ते खराब हैं और निकट भविष्य में वे ऐसे ही रहेंगे। ऐसे में यह बात दोनों देशों के हित में होगी कि वे इन्हें और खराब न होने दें।

Editorials

1. राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कुछ सवाल बचते हैं

द इकनॉमिक टाइम्स की संपादकीय

आदर्श रूप में देखा जाए तो राजनेताओं को धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस आदर्श से आगे जाता है. इसमें अदालत ने कहा है कि धर्म जाति या समुदाय के आधार पर वोट देने की कोई भी अपील चुनाव को भ्रष्ट करने जैसी है.

- लेकिन पहचान और राजनीति के बीच का हर घालमेल हमेशा इतना सीधा नहीं होता.
- उदाहरण के लिए एक समुदाय को लें जिसे उसकी सामूहिक पहचान के चलते सताया गया हो. मान लें कि वह समुदाय विधायिका में अपनी भागीदारी और उसके जरिये भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था पर दबाव बनाना चाहे.
  - ऐसे में उसे अपने समुदाय की मुश्किलों का हवाला देते हुए वोट मांगने होंगे. तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसकी इस लोकतांत्रिक कवायद को सिर्फ इसलिए गैरकानूनी बना देगा कि वह अपनी जाति या धर्म का हवाला देते हुए वोट मांग रहा है?
- धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात करते हुए इस मामले में सात जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से फैसला सुनाया. तीन जजों का मानना था कि जाति और समुदाय पर चर्चा अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आती है और सामाजिक सरोकारों पर विचार करने का यही अकेला जरिया है. हम भी इस नजरिये से इत्तेफाक रखते हैं. इसके कुछ और कारण भी हैं.
  -ज्यादातर संस्कृतियों में धर्म ही वह धागा है जिसके जरिये नैतिकता और मूल्य सामाजिक व्यवहार में गुंथे होते हैं.
- यही वजह थी कि गांधी ने रामराज्य के लक्ष्य की बात करते हुए उन धार्मिक मुहावरों का इस्तेमाल किया जिन्हें लोग समझते हैं. धर्म का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए अगर उसे राजनीति से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा तो इसका नतीजा यह हो सकता है कि राजनीति से नैतिकता और मूल्यों का नाश हो जाए.

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

बात इतनी सी है कि लोकतंत्र की समस्याओं का समाधान सिर्फ अदालती फैसलों से नहीं हो सकता. राजनीति को अपनी समस्याएं सुलझानी होंगी- अगर संभव हो तो बातचीत से या फिर तर्क-वितर्क से और जब यह भी संभव न हो तो उन सबकों के जरिये जो तब मिलते हैं जब किसी अलोकतांत्रिक तर्क को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्रवाई का सहारा लिया जाता है और इसकी परिणिति हिंसा के रूप में होती है. अदालतों के बजाय लकीर विधायिका को खींचनी चाहिए. हालांकि सवाल यह भी है कि धर्म और राजनीति के मेल की अमूर्त जमीन पर कोई लकीर खींची भी जा सकती है या नहीं.

2. बार-बार अध्यादेश लाना संविधान के साथ 'धोखा': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को फिर से लाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
- सात जजों वाली संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से अध्यादेश को फिर से लाने को संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य ठहराया। बेंच ने कहा कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की सीमित शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी असर पड़ेगा।

- संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अध्यादेश को विधायिका के सामने न रखना संवैधानिक 'अतिक्रमण' और प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
- फैसले से असहमति जाहिर करने वाले इकलौते जज जस्टिस मदन बी. लोकुर की राय थी कि अध्यादेश को फिर से जारी करना संविधान के साथ धोखा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी अध्यादेश को फिर से लाने की परिस्थितियां बन सकती हैं।

=> **क्या था मामला :-**

संविधान पीठ का ये फैसला बिहार सरकार द्वारा 429 प्राइवेट संस्कृत स्कूलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1989 से 1992 के बीच एक के बाद एक कई अध्यादेशों को जारी करने के खिलाफ दायर याचिका पर आया है।

=>**सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में :-**

- कोर्ट ने अपने फैसले में अध्यादेशों को संविधान के साथ धोखा करार दिया। बहुमत से दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा अध्यादेशों को बार-बार लाना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि संसदिय लोकतंत्र में विधायिका के पास ही कानून बनाने की शक्ति होती है।
- कोर्ट ने कहा कि अध्यादेशों को बार-बार लाना संसद या विधानसभाओं की संप्रभुता के लिए खतरा है।
- कोर्ट ने कहा कि गवर्नर किसी अध्यादेश को उसी समय जारी कर सकते हैं जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। अगर विधानसभा सत्र चल रहा हो तो कोई भी कानून उसी के द्वारा बनाया जाएगा न कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके।
- इसके अलावा अध्यादेश जारी करने से पहले राज्यपाल को उसकी जरूरत और प्रासंगिकता को लेकर संतुष्ट होना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि राज्यपाल को दी गई शक्तियों का यह मतलब नहीं है कि राज्यपाल कानून बनाने वाली समानांतर अथॉरिटी बन जाएं।

3. 20 करोड़ कुपोषितों की तादाद वाले भारत में हर साल 93 हजार करोड़ रु का खाना बर्बाद हो जाता है

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

सन्दर्भ :- फल, सब्जी और अनाज की बर्बादी कम से कम हो इसके लिए कुछ उपायों पर तेजी से अमल हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए.

- खाने की बर्बादी की समस्या वैसे तो सारी दुनिया में है लेकिन, भारत में इसका स्वरूप कुछ ज्यादा ही विकराल है. इसे कम से कम रखना हमारी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए.
- **संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में खाने का एक तिहाई हिस्सा किसी न किसी तरह बर्बाद** हो जाता है. यह आंकड़ा करीब 1.3 अरब टन के करीब बैठता है.
- द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी का अनुमान है कि भारत में 2012-13 में फसल की बर्बादी से हुआ **नुकसान करीब 93 हजार** करोड़ रु के बराबर था. संस्थान के मुताबिक फल और सब्जियों का लगभग 16 और अनाज का करीब छह फीसदी हिस्सा बर्बाद हो रहा है. ज्यादातर मामलों में इसके लिए **ट्रांसपोर्ट और भंडारण के अभाव जैसे कारण जिम्मेदार हैं.**

- अगर हम इस नुकसान को घटा सकें तो इसका मतलब होगा किसानों के लिए उपभोग और बिक्री के लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी. इससे देश को भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद मिल सकती है.

- **देश में इस समय करीब 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और 2016 के भूख सूचकांक में भारत का स्थान 118 देशों की सूची में 97वां है.** खाने की बर्बादी का एक मतलब पर्यावरण को नुकसान भी है क्योंकि इस भोजन के उत्पादन की प्रक्रिया में पानी और मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होने के अलावा ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन होता है.
- अभी तक सरकारों और उद्योगों का ध्यान भंडारण पर ही रहा है. लेकिन जोर अब इस पर भी होना चाहिए कि फसल को जल्दी से जल्दी खेतों से उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाया जाए. हमें किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी देनी होगी.
- अच्छी सड़कें बनानी होंगी. रेफ्रीजेरेटेड वैनों की उपलब्धता से लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को सुगम बनाना होगा. इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग में निवेश करना होगा और ध्यान रखना होगा कि यह उत्पादन वाले इलाकों के पास हो. इससे ट्रांसपोर्ट के दौरान फसल की बर्बादी कम से कम होगी.
- डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड उत्पादों की मांग और बिक्री बढ़ रही है. इसका मतलब है कि हमें **पैकेजिंग को भी बेहतर बनाने पर ध्यान देना** होगा ताकि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके. इस लिहाज से यह भी जरूरी होगा कि खरीद के बाद यूं ही पड़े खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल के लिए भी कोई व्यवस्था हो.

GENERAL STUDIES HINDI

4. सहज नियामकीय संचालन

#Editorial of business standard

Recent context taking global issue

अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के गवर्नर जेरी ब्राउन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाली प्रस्तावित नीतियों का सख्त विरोध किया है। पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रहों के बजट में कमी संबंधी प्रस्तावों का जिक्र करते हुए ब्राउन ने कहा, 'अगर ट्रंप इन उपग्रहों को बंद करते हैं तो कैलिफोर्निया अपने उपग्रह छोड़ देगा। हमारे पास वैज्ञानिक हैं, हमारे पास अधिवक्ता हैं और हम लडने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।'

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

Now situation in India

केंद्र और राज्य के बीच गतिरोध भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरा, ऐसा गतिरोध बुरा भी नहीं। दो चुनी हुई सरकारों के बीच समुचित संवाद न होने से शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन यह आपसी तनाव ऐसी चीज है जो शासन-प्रशासन में संतुलन कायम रखने का काम करता है। बिना वजह आज्ञापालन करना लोकतंत्र की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं होता।

Taking this issue to regulatory bodies and is government interference to their functioning is justified

देश में नियामकों पर लागू होने वाले कानूनों में एक प्रावधान ऐसा है जो हर जगह लागू होता है। इसके तहत सरकार नियामकों के लिए ऐसे निर्देश दे सकती है कि वे नीतिगत मुद्दों पर क्या करें। ऐसे प्रावधानों में नीतिगत मसला क्या होगा यह तय करना सरकार का विशेषाधिकार होता है। अकेले इस प्रावधान की बदौलत ही नियामक हमेशा सरकार के सोच के अनुरूप ही चलते हैं। ऐसे प्रावधान का एक फायदा यह होता है कि नियामक को कभी औपचारिक रूप से नहीं बताना पड़ता है कि उसे क्या करना है। केवल मौखिक संकेत ही पर्याप्त होता है। कुछ ही नियामक अध्यक्ष यह साहस दिखा पाते हैं कि वे सरकार से ऐसे निर्देश जारी करने के पहले औपचारिक निर्देश जारी करने की मांग करें।

- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ही नियामकीय प्रशासनिक बोर्ड ही सरकार के निर्देश से असहमति जता पाते हैं।
- पूंजी बाजार नियामक द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने का एक उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। उस वक्त बाजार नियामक ने बीमा कंपनियों द्वारा बेची जा रही यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं से निपटने के कदम उठाए थे। बाजार नियामक के मुताबिक ये योजनाएं केवल बीमा योजना नहीं बल्कि म्युचुअल फंड योजनाएं भी थीं इसलिए इनके दोहरे नियमन की आवश्यकता थी।
- सरकार का कदम उठाना उसकी मजबूरी थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने पहले दोनों नियामकों से कहा कि वे इस मामले से अदालत में निपटें लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो पूंजी बाजार नियामक की आपत्तियों को खारिज करने के लिए अध्यादेश की सहायता ली गई।

5. प्रवासियों की सुध लेती विदेश नीति

पुरानी मानसिकता :

- तीन-चार दशक पहले तक भारत से बाहर जाकर बसे भारतीयों को हमारा समाज हेय भाव से देखता था
- कहा जाता था कि देश के संसाधनों का उपयोग करके देश को छोड़ना अनुचित ही नहीं, मिट्टी के साथ विश्वासघात है।

GENERAL STUDIES HINDI

पर अब इस मानसिकता में बदलाव

- लेकिन अब वह मानसिकता नहीं रही। अब तो भारत से बाहर जाकर बसे भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों) एनआरआई (को देश के ब्रांड एंबेसेडर के रूप में ही देखा जाने लगा है।
- सरकार के स्तर पर भी सोच बदली है और हमारी विदेश निति भी इस तथ्य को स्वीकार रही है | विदेश नीति के केंद्र में आ गए हैं विदेशों में बसे भारतीय।

इसका साक्ष्य हमें प्रधानमन्त्री की यात्राओ में मिल सकता है

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- सिडनी से लेकर न्यूयार्क और नैरोबी से लेकर दुबई, जिधर भी प्रधानमन्त्री गए वहां पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से गर्मजोशी से मिले।
- बड़ी-बड़ी सभाएं कर उन्हें संबोधित किया। उनके मसलों को उन देशों की सरकारों के सामने उठाया।
- यह अभी तक होता यही था कि जब भारत से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरों पर जाते थे तो उन देशों में स्थित भारतीय दूतावास कुछ खास भारतीयों को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से चाय पर मिलवा देते थे। कुल मिलाकर एक रस्मी आयोजन होता था। वह भी हर बार नहीं। समय मिलने पर।

भारतवंशी बाहर

- देश से बाहर गए और बसे भारतीयों में कोका कोला की सीईओ इंदिरा नूई, ब्रिटेन के लार्ड स्वराज पाल, लार्ड करन बिलमोरिया, मास्टर कार्ड के ग्लोबल हेड अजय बंगा जैसे खासमखास और प्रख्यात लोग कम हैं।
- 1970 के पूर्व बाहर गए अधिकतर तो मेहनतकश कुशल और अकुशल मजदूर ही हैं। खाड़ी के देशों में लाखों भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। इनके बहुत-से प्रतिनिधि पीबीडी में मिलेंगे।
- लेकिन 1970 के बाद बड़ी संख्या में भारतीय डॉक्टर और इंजीनियर, विशेषकर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट विदेश पहुंचे और उन्होंने विदेशों में भारत की छवि बदली।

A paradigm change towards PIOs

- भारत सरकार अब इनके सुख-दुख का खयाल रखने लगी है। सरकार के कठिन व दृढ़ प्रयासों के चलते साल 2015 में यमन में फंसे हजारों भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौटे पाए थे। भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने राहत अभियान चलाया था। भारत के सफल राहत अभियान को देखते हुए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत छब्बीस देशों ने अपने नागरिकों को यमन से निकालने के लिए भारत की मदद मांगी थी। तब विदेश राज्यमंत्री राहत अभियान की शुरुआत से यमन में स्वयं मौजूद रहे और खुद राहत के काम की देखरेख की।
- प्रधानमंत्री बीते महीनों के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। उन्होंने वहां के नेताओं से भारतीय श्रमिकों से जुड़े मसलों के संबंध में भी बात की। उसका तत्काल लाभ हुआ
- यूएई और बाकी खाड़ी देशों में लाखों भारतीय कुशल-अकुशल श्रमिक के तौ पर काम कर रहे हैं, विनिर्माण परियोजनाओं से लेकर दुकानों वगैरह में। निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा से भारतीय मजदूरों की खराब हालत में सुधार शुरू हुआ। यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि खाड़ी देशों में बंधुआ मजदूरों की हालत में भारतीय श्रमिक काम करते रहे हैं।

6.नकदी रहित लेनदेन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या आवश्यक

#Editorial of business standard

कैशलेस के लिए अबाध संयोजकता यानी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं है। बिना उसके इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। कनेक्टिविटी सुविधा के लिए प्रभावी और किफायती

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

संचार संपर्क की आवश्यकता है वह भी उचित दरों पर। इसके लिए ऐसे लक्ष्य तय करने होंगे जो हकीकत के करीब हों और साथ ही ठोस ढंग से क्रियान्वयन भी करना होगा। केवल काल्पनिक योजनाएं बनाने और जल्दबाजी में आंकड़े जुटाने मात्र से काम नहीं चलेगा। इंटरनेट आधारित लेनदेन के लिए सुरक्षा और गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखना होगा।

क्या है जरूरत?

- इसके लिए फाइबर आधारित टिकाऊ इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। इस कनेक्टिविटी को समेकित नेटवर्क के जरिये बेतार ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होगा।
- इन नेटवर्क की स्थापना की संभावना बढ़ जाएगी अगर राजनीतिक दल और सरकारी एजेंसियां इस दिशा में मिलकर काम करें। ऐसा करना दो वजहों से आवश्यक है:
  - हमारी वर्तमान नेटवर्क विकास और स्पेक्ट्रम नीति ऐसी नहीं है कि सभी तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाई जा सके। खासतौर पर शहरी इलाकों से उलट उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वाणिज्यिक संभावनाएं कम हैं।
  - गहन प्रतिद्वंद्विता के बीच नेटवर्क विकास और स्पेक्ट्रम का प्रबंधन करना। वह भी स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद।

सामंजस्य भरा रुख अपनाने की आवश्यकता

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) ट्राई (के पास स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की अनुशंसा का उत्तरदायित्व है। लाइसेंस देने का उत्तरदायित्व दूरसंचार विभाग/संचार मंत्रालय के पास है। सरकारी सेवा प्रदाताओं का जिम्मा भी उसके ही पास है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास भी कुछ स्पेक्ट्रम बैंड है। अन्य बैंड रक्षा मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों के पास हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ब्रॉडबैंड की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार है। इसलिए सामंजस्य भरा रुख अपनाने की आवश्यकता है।

क्या करना होगा?

- network pooling : व्यापक कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क को साझा करने और उसकी पूलिंग करने जैसे बड़े बदलाव लाना आवश्यक है। ऐसे बदलाव आपसी अविश्वास और विवाद की स्थिति में नहीं आ सकते। इसके लिए सहयोग और भरोसा जरूरी है। सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क और स्पेक्ट्रम खरीद में भारी निवेश करना पड़ता है। वे भी उपकरण साझेदारी की दिशा में काम कर सकते हैं। यह सबके लिए हितकर होगा।
- नकदीरहित या अन्य अवास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जगह हम कैशलेस के संकट से निजात पाने की कोशिश करें। कैशलेस पर जोर देने के बजाय कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा सार्वभौमिक संचार ढांचा मुहैया कराया जाए जहां कैशलेस ही नहीं हर तरह की गतिविधि को अंजाम दिया जा सके।
- इसके अलावा इसे अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाया जाना चाहिए। नेटवर्क बुनियादी ढांचे को साझा करने के नीतिगत निर्णय से इस दिशा में शुरुआत हो सकती है।
- हम विरासत में मिली संचार नीतियों के कारण उपजे इस गतिरोध को तोड़ सकते हैं। इसके स्पेक्ट्रम की उच्च नीलामी दर का मोह छोडऩा होगा जबकि सस्ती सेवाओं की चाह भी छोडऩी होगी।
- एक बार नेतृत्व के स्तर पर सहयोग हो जाने के बाद देखने को मिलेगा कि संचार सेवाओं की आपूर्ति काफी सुधरी है। तालमेल और साझेदारी इसमें अहम भूमिका निभाएगी। इससे अन्य पक्षकारों, निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाता, नागरिक और न्यायपालिका भी यह मानेंगे कि साझा पहुंच

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

के जरिये संचार सेवाओं की आपूर्ति में हर किसी का लाभ है। इससे अधिक तार्किक और इस्तेमाल करो -भुगतान करो नीति को स्वीकार करने में मदद मिलेगी। ठीक राजमार्ग, मेट्रो रेल, तेल पाइपलाइन इस्तेमाल के तर्ज पर।

सरकार और अन्य पक्षकार साथ मिलकर ऐसे उपाय निकाल सकते हैं जो व्यावहारिक भी हों और निष्पक्ष भी। उदाहरण के लिए सेवा प्रदाताओं के एक या अधिक ऐसे समूह बनाए जा सकते हैं जो सरकार के साथ सहनिवेशक बनें। उनके पास नेटवर्क का साझा स्वामित्व होगा। ऐसे में सेवाओं की किफायती और प्रभावी आपूर्ति की दिशा में काम किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से होने वाली आय को सरकार तब ले सकती है जब एकबार नेटवर्क व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य हो जाए। ऐसे संग्रह राजस्व साझेदारी और लाइसेंस शुल्क के अलावा नीलामी शुल्क से भी अधिक हो सकते हैं।

7. चीन का भारत विरोध और सौदेबाजी

 # Editorial Jansatta

NSG and South Asia and Pacific Politics:

वर्षों से भारत कोशिश कर रहा है कि वह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) एनएसजी(में दाखिल हो जाए। अड़तालीस देशों के इस समूह में दाखिल होने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग कर रहा है और कई देशों का समर्थन जुटा चुका है। लेकिन अब तक दो बार चीन के विरोध के कारण भारत को सदस्यता मिलने से रह गई। यह मुद्दा ऐसा है, जो न सिर्फ भारत और चीन के संबंधों की पेच बन रहा है, बल्कि दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, विएतनाम जैसे देशों के साथ भारत की कूटनीतिक प्रगाढ़ता से चीन को परेशानी हो रही है। दक्षिण चीन सागर का मुद्दा चीन के लिए अहम है और इसी मुद्दे पर चीन का विरोध कर रहे देशों का भारत को साथ मिल रहा है।

A change scene at world over with respect to India

- अंतरराष्ट्रीय मंच पर समीकरण बदल रहे हैं। परमाणु ताकत बनने में भारत की कवायद रोकने में जो देश अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, वे अब साथ खड़े हैं।
- **Why NSG formed:** मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु आपूतिकर्ता समूह का गठन किया गया। उद्देश्य था भारत को इसकी तकनीक हासिल करने से रोकना। परमाणु क्षमता संपन्न पांच देश -अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस -इस समूह के अग्रणी देश हैं। बाकी तैंतालीस वे हैं, जो परमाणु अप्रसार संधि) एनपीटी (पर दस्तखत कर चुके हैं।
- **Change can be reflected in 2008 :Signing of Nuclear deal** भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन अमेरिका के साथ 2008 के बहुचर्चित परमाणु समझौते से सदस्यता की राह तैयार हुई।

  Promise of India to world community:
  - भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वादा कर रखा है कि वह अपने असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों में घालमेल नहीं करेगा।
  - अपने यहां विकसित तकनीक किसी अन्य देश को नहीं सौंपेगा।
  - इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी) आईएईए (के प्रोटोकॉल का भारत पालन कर रहा है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- जिन रिएक्टरों का इस्तेमाल नागरिकोंउद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, उनमें पारदर्शिता की गारंटी दी गई है।
- अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इन रिएक्टरों का निरीक्षण कर सकती हैं।

Benefit of NSG membership:

एनएसजी में शामिल देश परमाणु आयुध निर्माण में इस्तेमाल होने वाली धातु, उपकरण और तकनीक को नियंत्रित करते हैं। इस समूह में शामिल होने पर भारत को कुछ लाभ होंगे।

- जीवनरक्षक दवाओं समेत परमाणु बिजलीघर बनाने तक में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीक तक भारत की पहुंच बन जाएगी।
- ऊर्जा के फॉसिल स्रोतों का इस्तेमाल घटा कर चालीस फीसद तक लाने की योजना तभी पूरी होगी, जब परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़े। 2008 में अमेरिका के साथ करार के बाद भारत को एनएसजी में छूट मिल गई। इस कारण दुनिया में कहीं से रिएक्टर खरीदने की छूट है। तकनीक लेने के लिए भारत को एनएसजी का सदस्य बनना पड़ेगा।
- **परिष्कृत उत्पादन** :एनएसजी की सदस्यता मिलने पर परमाणु बिजलीघर उपकरणों का उत्पादन भारत बढ़ा सकता है। इससे भारत में ही उन्नत और परिष्कृत उत्पादन संभव होगा। उदाहरण के लिए, हाल में भारत ने श्रीलंका के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता किया है। इसके तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल -मसलन, रेडियो आइसोटोप्स, परमाणु सुरक्षा एवं संरक्षा, विकिरण सुरक्षा, रेडियोधर्मी कचरा प्रबंधन, और परमाणु एवं रेडियोधर्मी आपदा प्रबंधन में भारत प्रशिक्षित करेगा। भारत अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विकसित कर रहा है, जिसे वह श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को बेचेगा। जब तक भारत से सस्ता रिएक्टर नहीं मिलता, काम चलाने के लिए बांग्लादेश रूस से रिएक्टर खरीदना चाहता है और इसके लिए बातचीत चल रही है
- खुद के रिएक्टर तैयार करने का मतलब है कि भारत भी परमाणु रिएक्टर और इसकी तकनीक के बाजार का खिलाड़ी हो जाएगा। भारत भी परमाणु रिएक्टर और इसकी तकनीक के बाजार का खिलाड़ी हो जाएगा।
- NSG का सदस्य होने पर वह पाकिस्तान की राह रोक सकता है। पाकिस्तान भी एनएसजी की सदस्यता पाने की कोशिश में है।

Dilemma in front of India to sign NTP or not:

- NPT पर दस्तखत करना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन तब अपने परमाणु आयुधों की घोषणा करनी होगी। भारत के सामने अपने अस्थिर और कभी भी कुछ भी कर बैठने वाले पड़ोसी मुल्क की चुनौती है, जिस कारण एनपीटी आत्मघाती हो सकता है।
- इसके बाद व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि) CTBT (पर दस्तखत करना होगा। तब परमाणु परीक्षणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा।

Why china morally wrong in opposing India's membership

परमाणु अप्रसार संधि (का तर्क देकर चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और भारत का विरोध। जबकि परमाणु अप्रसार और अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन करने के मामले में भारत का रिकॉर्ड साफ-सुथरा है और पाकिस्तान-चीन की गतिविधियों पर सवाल उठते रहे हैं। दरअसल, मौजूदा दौर में विश्व

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

राजनय और युद्धक्षेत्र, दोनों ही में बदलाव आया है। आमने-सामने की लड़ाई की जगह मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग पर ज्यादा जोर है।

- चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम) एमटीसीआर (की सदस्यता की पुरजोर कोशिश में है, जबकि भारत को इसकी सदस्यता मिल चुकी है।
- परमाणु अप्रसार को लेकर चीन का रिकॉर्ड साफ-सुथरा न होने के चलते उसकी 2004 की सदस्यता की अर्जी खारिज की जा चुकी है।
- उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक बेचने को लेकर चीन की कवायद और परमाणु तकनीक उपलब्ध कराने के मामले में पाकिस्तान की कवायद को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय उंगलियां उठा चुका है।
- एमटीसीआर सदस्यों की चिंता है कि चीन-पाकिस्तान की गतिविधियों के चलते उत्तर कोरिया द्वारा प्रक्षेपणास्त्रों के जरिए रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों का खतरा बढ़ गया है।
- एनएसजी में चीन को 2004 में सदस्यता मिली। तब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स -दोनों ही ने विरोध किया था, लेकिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने चीन का समर्थन किया था। चीन तब एनपीटी पर दस्तखत कर चुका था। हालांकि इसके कुछ ही महीनों बाद अमेरिका ने चीन की आठ कंपनियों पर मिसाइल तकनीक बेचने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया। तब से चीन की एमटीसीआर सदस्यता पर रोक है और अब एनएसजी में भारत का विरोध कर चीन मोलभाव कर रहा है। दक्षिण चीन सागर विवाद का भी वह इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है।

What could be reason for china's opposition for India:

- चीन और पाकिस्तान, दोनों को लगता है कि एनएसजी की सदस्यता पाने के बाद भारत उन मुद्दों को उठाएगा, जिनसे लीबिया, उत्तर कोरिया, ईरान आदि देशों को परमाणु तकनीक पहुंचाने में दोनों की संलिप्तता के सबूत हैं।
- एशिया में परमाणु ऊर्जा ताकत बनने की होड़ भी है। चीन को यह भी लगता है कि एनएसजी के देश दक्षिण-चीन सागर विवाद में उसके विरोध में हैं। हेग के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में फिलीपींस ने चीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र चीन से नाराजगी जता चुका है और कह चुका है कि वह समुद्री जलसीमा को लेकर संयुक्त राष्ट्र संधि का पालन नहीं कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका, रूस, जापान के साथ ही भारत ने फिलीपींस और विएतनाम जैसे देशों के साथ सैन्य सहयोग की संधियां की हैं। हाल में विएतनाम को' आकाश 'मिसाइल बेचने को लेकर भारत के साथ हुए सौदे पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। भारत की इस तरह की कवायद को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को जवाब देने के नजरिए से देखा जा रहा है।
- अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत में विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी का प्रतिकूल असर चीन के निर्यात पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में चीन अभी भारत को अपने प्रमुख कारोबारी-भागीदार का दर्जा याद दिला रहा है।

हाल में चीन ने एशिया-प्रशांत सुरक्षा पर एक नीति-दस्तावेज जारी कर भारत के साथ अपने संबंधों की अच्छी तस्वीर पेश करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच भागीदारी गहरी हुई है। लेकिन एनएसजी और आतंकवाद जैसे मुद्दो पर चुप्पी से भारतीय कूटनीतिकों को चीन के इरादे नेक नहीं लगते।

8. नीतियों में स्पष्टता जरूरी तभी बनेंगे निवेश की धुरी

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

वर्ष 2012 के बाद से भारत में भी कारोबारी चक्र में मंदी देखने को मिली है। भारत में मंदी कम निवेश और कम कारोबारी मुनाफे के मिलेजुले रूप में नजर आती है। एक अतिरिक्त विशेषता जिसने अर्थव्यवस्था पर इस बार नकारात्मक असर डाला है वह है बैलेंस शीट का संकट। मोटेतौर पर देखा जाए तो कारोबारी बैलेंस शीट वर्ष 2016 में दबाव में रही। इन फर्म की बात की जाए तो ये ब्याज चुकाने लायक परिचालन मुनाफा भी नहीं कमा पा रही थीं।

- बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट का तीन चौथाई हिस्सा दबाव में रहा और 20 साल में दूसरे बड़े बैंकिंग संकट का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 2016 के आखिरी दिनों में हालात ऐसे ही उदासीन रहे। नोटबंदी ने तीन झटके दिए। मांग संबंधी झटका क्योंकि लोगों ने खरीदना कम कर दिया।
- उसके पश्चात अनिश्चितता का झटका और नीतिगत जोखिम में इजाफा। इन बातों ने निवेश पर बुरा असर डाला और मांग के झटके को बढ़ावा दिया।
- अनुबंधों और कंपनियों के काम के बाधित होने का असर उत्पादकता पर भी पड़ा है। बैंकों ने नोट की गिनती में व्यस्त रहते हुए बैंकिंग का मूलभूत काम स्थगित रखा।

इन परिदृश्यों में बदलाव के लिए कठिन नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को इस परिस्थिति से किस प्रकार निपटना चाहिए?

- राजकोषीय नीति की बात करें तो देश में ऋण की स्थिरता के लिए जीडीपी में तेज वृद्घि की आवश्यकता है। जब जीडीपी वृद्घि नाकाम होती है तो राजकोषीय दबाव पैदा होता है। जीडीपी में धीमी वृद्घि कर राजस्व पर असर डालेगी। लाभांश वितरण कर और कॉर्पोरेट आय कर से कर राजस्व का 35 फीसदी तक हिस्सा बनता है। मंदी के दिनों में कर राजस्व खासतौर पर कमजोर होता है। नोटबंदी के चलते वर्ष 2016-17 में कारोबारी मुनाफे में कमी आने की संभावना है। वर्ष 2015-16 में सरकार ने घाटे के विस्तार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक बार फिर वही बहस होगी।
- मौद्रिक नीति की बात करें तो प्राय: मांग को लगा बड़ा झटका मुद्रास्फीति में कमी लाता है और आज भी यही देखने को मिल रहा है। अगर किसानों की कृषि संबंधी कच्चे माल की जरूरत पर नोटबंदी का बुरा असर पड़ा तो इससे खाद्य महंगाई उत्पन्न होगी। हमें आशावादी रुख अपनाए रहना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। ऐसे में मुख्य मुद्रास्फीति के चार फीसदी के तय लक्ष्य से नीचे जाने की आशंका है।
- ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति समिति को कम दरों के पक्ष में जाना चाहिए। समस्या यह है कि ऐसा आकलन सामान्य समय के लिए है। फिलहाल मौद्रिक नीति व्यवस्था बाधित है। बैंकों को नोट गिनने के काम से फुरसत निकालकर नकदी की स्थिति बहाल करनी होगी। इस बीच दरों में कटौती करना भी बहुत अधिक प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा मौद्रिक नीति में बदलाव का असर लंबे समय के दौरान देखने को मिलेगा। एक से दो साल में ऐसा हो सकता है। आज 200 आधार अंकों की कमी वर्ष 2017 वर्ष के दौरान खास प्रभाव नहीं छोड़ेगी। वृहद आर्थिक नीति के मानक उपाय अब उपलब्ध नहीं। ऐसे में क्या किया जाए? सबसे अहम बात यह निजी निवेश पर ध्यान केंद्रित करना। निजी कारोबारी निवेश की मदद से ही कारोबारी निवेश चक्र में सुधार लाया जा सकता है। अतीत में हमने इसे जीडीपी के 16 फीसदी से सात फीसदी के बीच विचरण करते देखा है।

Focus should be on Policy making

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

मौजूदा दौर में निजी स्तर पर लोग निवेश करने से बच रहे हैं। सीएमआईई की ओर से निजी परियोजनाओं की ट्रैकिंग की जाती है। ये परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन होती हैं। इसमें वर्ष 2012 में 52 लाख करोड़ रुपये से गिरकर आज 43 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान जताया गया है। अगर हम मुद्रास्फीति को समायोजित करें या जीडीपी से अंतर निकालें तो यह गिरावट और बुरी लगेगी। यानी हमें कार्यक्रमों पर नहीं नीतियों पर जोर देना होगा। कार्यक्रमों की मदद से उठाए जाने वाले सीधे सरकारी कदम मामूली बदलाव ला सकते हैं। अप्रत्यक्ष सरकारी कदम जो नीतियों की मदद से उठाए जाएं, वे निजी स्तर पर लोगों के लिए प्रोत्साहन ला सकते हैं।

सुधार के लिए लंबित सूची

- न्यायिक सुधार
- आपराधिक न्याय सुधार
- कर नीति सुधार
- कर प्रशासन सुधार
- वित्तीय सुधार
- श्रम सुधार
- एनपीएस निर्माण, ईपीएफओ में एनपीएस का प्रवर्तन,
- कंपनी अधिनियम में नीति एवं प्रशासन
- दिवालिया कानून सुधार
- खनन एवं बुनियादी विकास में संस्थागत प्रबंधन
- सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियमन आदि

सरकार ने जीएसटी और दिवालिया कानून सुधार की दिशा में काम शुरू किया है। इन क्षेत्रों में एक मजबूत तकनीकी टीम की आवश्यकता है जो इस काम को स्थायित्व प्रदान कर सके और मूलभूत विचारों पर टिकी रहकर क्रियान्वयन कर सके। देश के भविष्य के बारे में जो भी चिंताएं हैं उनमें निजी निवेश की कमजोरी की अहम भूमिका है। अगर निजी क्षेत्र इन मुद्दों से निपटने की नीति बनाता है और टीम बनाकर क्रियान्वयन करता है तो इससे देश में भरोसा बहाल होगा। वर्ष 2017 में हमें इसी बात को लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए।

9. दावे कुछ भी हों, किसान आत्महत्याओं में 41.7 फीसदी की बढ़ोतरी खेती का हाल खुद बयां कर रही है

GENERAL STUDIES HINDI

#The_Telegraph का संपादकीय

सन्दर्भ :- खेती पर छाए इस संकट को दूर करने के लिए सिर्फ नीतियों को समावेशी बनाने से काम नहीं चलेगा.

- आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं. हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे बताते हैं कि देश में किसानों की खुदकुशी के मामले में कहानी जस की तस है.
- 2015 में उससे पिछले साल की तुलना में किसानों की आत्महत्या के मामलों में 41.7 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे आगे रहे.

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- इस कहानी में सबसे खास बात यह है कि जिन करीब तीन हजार किसानों के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने कर्ज और दिवालिया होने के चलते अपनी जान ली उनमें से 2474 ने यह कर्ज बैंकों या लघु ऋण संस्थाओं से लिया था.
- यह जानकारी कुछ बनी-बनाई धारणाओं को तोड़ती है. माना जाता है कि कर्ज से लदे किसानों के खुदकुशी करने के पीछे की एक बड़ी वजह स्थानीय सूदखोर होते हैं जो ऊंची दर से ब्याज वसूलते हैं.
- उधर, पंजीकृत संस्थाओं के बारे में धारणा है कि वे कर्ज के सुरक्षित स्रोत होते हैं. लेकिन अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े बताते हैं कि ऐसा नहीं है.
- बताया जाता है कि देश में 27 फीसदी गांव ऐसे हैं जिनके पांच किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंक है. लेकिन ऐसे बैंकों तक सरलता से पहुंच रखने वाले भी मुश्किलों से जूझ रहे हैं.
- इसकी वजह यह हो सकती है कि सरकार बैंकों को खेती से जुड़े कर्ज के मामले में कड़े लक्ष्य देती है लेकिन इसके साथ वह कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाती. ज्यादा से ज्यादा किसानों को कर्ज मिले, इस कवायद का लेना-देना राजनीतिक प्राथमिकताओं से भी होता है.
- लेकिन इस तरह की नीति के चलते बैंकों पर डूबने की आशंका वाले कर्ज का बोझ तो बढ़ता ही है, कुदरत और बाजार के मारे किसानों के बारे में यह धारणा भी बनती है कि कर्ज के मामले में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
- यह दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर यह देखते हुए कि भारत में सबसे बड़े डिफॉल्टर बड़े कारोबारी हैं.
- जरूरत इस बात की है कि कृषि क्षेत्र में दिए जा रहे कर्ज की प्रक्रियाओं में सुधार किए जाएं. यह कर्ज जरूरतमंदों यानी छोटे और उपेक्षित किसानों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि आत्महत्या करने वाले किसानों में 72 फीसदी से भी ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन थी.
- इसके अलावा कर्ज जारी करने की प्रक्रिया का समन्वय खेती के कैलेंडर के साथ हो और इसमें कर्जदार की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए. दीर्घावधि ऋण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.
- साथ ही इसकी वसूली की प्रक्रिया कड़ी जरूर हो लेकिन इसमें कर्जदार की मजबूरियों का भी ध्यान रखा जाए.
- लेकिन सिर्फ नीतियों को आर्थिक रूप से समावेशी बनाने या फिर कर्ज प्रक्रिया में सुधार से ही मसले का पूरा हल नहीं होगा.
- रोजगार और आय को बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा राजनीतिक इच्छाशक्ति भी दिखानी होगी. लंबे समय से चल रही यह बीमारी सिर्फ कर्जमाफी या फिर मुफ्त बिजली जैसी घोषणाओं से ठीक नहीं होगी.

GENERAL STUDIES HINDI

10.नुकसानदायक है सेहत के आंकड़े सुधारने की संकीर्ण सोच

#Editorial of Hindustan Times

NARROW VIEW of Health

किसी देश में लोगों की सेहत का क्या हाल है, इसे आंकने और मापने के हमने तीन-चार पैमाने बना लिए हैं। इन्हीं पैमानों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इनमें सबसे अधिक महवपूर्ण हैं-

- शिशु दर,
- बाल मृत्यु दर व

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- मातृ मृत्यु दर।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्हें कम करना व न्यूनतम करना स्वास्थ्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसे उच्च प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब ज्यादातर ध्यान केवल कुछ संकेतकों पर ही केंद्रित होकर रह जाता है, तो इससे कई विसंगतियां भी पैदा होती हैं।

- जैसे जब सबसे अधिक ध्यान पांच वर्ष तक की आयु के स्वास्थ्य पर केंद्रित हो जाता है, तो उससे अधिक उम्र के बच्चों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस वर्ग के बच्चों की सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।
- यहां तक कि प्रमाणिक आंकड़े भी पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों के ही मिलते हैं। उससे अधिक उम्र के बच्चों के बारे में व उनकी मृत्यु दर के बारे में प्रमाणिक आंकड़े तक प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। इस बारे में बहुत चर्चा होती है कि 0-5 वर्ष के आयु-वर्ग में मृत्यु दर क्या है? पर पांच से 10 वर्ष के आयु-वर्ग या 10 से 15 वर्ष के आयु-वर्ग के बारे में चर्चा बहुत कम होती है।
- इस स्थिति में बच्चों के समग्र विकास के बारे में या इस विषय पर समग्र सोच विकसित करने में कठिनाई होती है। किशोर आयु-वर्ग पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है।
- 5 से 10 वर्ष के आयु-वर्ग पर तो और भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मुख्य संकेतकों की प्राथमिकता में यह आयु-वर्ग नहीं आ पाता है।

पर बच्चों के विकास की अपनी स्वाभाविक निरंतरता होती है, जिसे सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड की दृष्टि से रखे जाने वाले विभाजन में बांटा नहीं जा सकता है। मान लीजिए कि आपने पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को किसी तरह इस आयु-वर्ग पर ध्यान केंद्रित करके कम कर भी लिया, पर इसके बाद के आयु-वर्ग में बच्चों के स्वास्थ्य को उचित महत्व नहीं मिला, तो इससे कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी।

Need a holistic view of Health

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई असरदार दवाएं, वैक्सीन व तकनीक उपलब्ध हैं। इनके उपयोग से मृत्यु दर कम किया जा सकता है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मगर मृत्यु दर को टिकाऊ तौर पर कम करने का जो व्यापक उद्देश्य है, वह गरीबी, अभाव, भूख, कुपोषण, और विषमता दूर करने से प्राप्त हो सकता है। इस व्यापक आर्थिक-सामाजिक सोच को दूर रखकर केवल तकनीकी क्षमताओं के आधार पर मृत्यु दर कम किया जाता है, तो यह उपलब्धि बहुत टिकाऊ नहीं होती। ऐसी उपलब्धि का दायरा बहुत संकीर्ण रहता है। दूसरी ओर गरीबी, भूख, कुपोषण व विषमता दूर करके जो उपलब्धि प्राप्त की जाती है, वह अधिक टिकाऊ व व्यापक होती है।

GENERAL STUDIES HINDI

Benefit of Holistic view:

यदि स्वास्थ्य संबंधी समग्र व व्यापक सोच को अपनाया जाए, तो बहुत-सी बीमारियों को एक साथ कम किया जा सकता है। इस स्थिति में अलग-अलग बीमारियों व स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अलग-अलग अभियान चलाने व अलग से कार्यक्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस तरह बहुत या फालतू का खर्च बच सकता है। हाल के समय में अनेक बड़े अभियान अलग से चले। जैसे पोलियो अभियान, एड्स अभियान, जिनमें कुछ सफलता भी मिली, पर उस समय यह ध्यान में नहीं रखा गया कि एक ही अभियान पर बजट व मानव संसाधन अधिक केंद्रित होने से स्वास्थ्य के अन्य क्षेत्रों पर कितना प्रतिकूल असर पड़ता है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

कुछ संकेतकों पर ध्यान केंद्रित होने से कई बार ऊपर से आदेश आते हैं कि और चाहे कुछ भी हो, इनके आंकड़े सफलता दर्शाने वाले होने चाहिए। यदि ये आंकड़े सफलता न दर्शाएं, तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इससे एक दबाव का सिलसिला बन जाता है। इन सब विसंगतियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य के प्रति अधिक व्यापक व समग्र सोच अपनाना जरूरी है। इस व्यापक सोच के तहत विभिन्न बीमारियों व स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज व रोकथाम को विभिन्न स्तरों पर सार्थक सामाजिक बदलाव से जोड़ने के प्रयास भी होने चाहिए तथा समता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को एक अति महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए।

11. शिक्षा की मुहिम में नजरंदाज दिव्यांग बच्चे

 # सम्पादकीय Hindustan times

In news:

संसद द्वारा दिव्यांगों) विकलांगों (के अधिकारों से जुड़े जिस विधेयक को पारित किया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं।

- अब दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जबकि मौजूदा प्रावधान में यह आयु सीमा छह से 14 वर्ष है, जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी वर्ग के बच्चों पर लागू होती है।

इसके पीछे तर्क : दिव्यांग बच्चों की उम्र सीमा बढ़ाने के पीछे नजरिया यह है कि सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों के और गांवों में रहने वाले लोग कई कारणों से अपने दिव्यांग बच्चों को कानून के तहत निर्धारित आयु के अनुसार स्कूल में नामांकन नहीं करा पाते। उनके बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित न रह जाएं, इसी मंशा से यह सुविधा दी गई है। ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भी बढ़ाकर पांच प्रतिशत तक कर दिया गया है।

एक नजर जमीनी आंकड़ो पर

- मुल्क में करीब 30 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। यह संख्या सरकारी प्रयासों के बारे में बहुत कुछ बताती है।
- भारत ने' यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज) 2007)' पर हस्ताक्षर किए हैं और दिव्यांग बच्चों को समावेशी व गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की थी, मगर जमीनी हकीकत यह है कि ऐसे बच्चों को विकलांगता का प्रमाणपत्र तक संबंधित विभागों से समय पर नहीं मिलता।
- साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार, देश में 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं।
- डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट खुलासा करती है कि 31 अगस्त 2015 तक 49.5 प्रतिशत लोगों को ही विकलांगता प्रमाणपत्र जारी हो पाए। विकलांग के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र उसकी हकदारी को साबित करने वाला एक आधारभूत दस्तावेज है।

Challenges to provide quality education to differently abled person:

दिव्यांग बच्चों को समावेशी, गुणात्मक शिक्षा देने के रास्ते में कई चुनौतियां हैं।

- ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूकता अभियान

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- उनकी जरूरतों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था
- विशेष कौशल वाले अध्यापक की नियुक्ति और
- स्कूल भवनों को उनके लिए बाधा मुक्त बनाना।
- इसमें सबसे खास है, लोगों के दिमाग में यह सोच पैदा करना कि पढ़-लिखकर ये दिव्यांग बच्चे किसी के मोहताज नहीं रहेंगे और समाज की एक उत्पादक इकाई बन सकेंगे।

हालांकि, जब तक स्कूल की इमारतों और कक्षाओं को उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आकार नहीं दिया जाएगा, तब तक दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी, स्तरीय तालीम मुहैया कराने में खास प्रगति हासिल नहीं होने वाली।

Need is facilitative infrastructure:

- दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्कूल की इमारत कैसी होनी चाहिए, इसके लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय व यूनीसेफ ने हाल ही में एक गाइडबुक जारी की है। य
- गाइडबुक में बताया गया है कि स्कूल भवन के प्रवेश द्वार व निकासी द्वार पर रैंप है या नहीं, यह जगह समतल है या नहीं, क्या यह बताने वाले साइनबोर्ड हैं या नहीं, स्कूल व शौचालय का फर्श फिसलने वाला तो नहीं है, शौचालय का दरवाजा इतना चौड़ा होना चाहिए कि व्हीलचेयर उसमें आसानी से अंदर जा सके।
- शौचालय के भीतर टॉयलेट सीट कितनी ऊंचाई पर फिक्स होनी चाहिए।
- लाइब्रेरी, स्वच्छ पेयजल, मिड डे मील एरिया तक उनकी पहुंच सुगम होनी चाहिए। कक्षा में डेस्क व टेबल आपस में जुड़े होने से दिव्यांग बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इसी तरह, कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल होता है या नहीं, ग्रीन बोर्ड कमजोर नजर वाले बच्चों के लिए खास उपयोगी है, फिर क्लास की खिड़कियां गलियारे में नहीं खुलनी चाहिए, जैसी कई बातें इस गाइडबुक में हैं।

लेकिन प्रश्न यह है की क्या यह उस देश में संभव है, जहां हमारे ज्यादातर ग्रामीण स्कूल अभी मूलभूत ढांचागत सुविधाओं के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं।

National Issues

1. शिक्षा नीति में क्या नए बदलाव

खबरों में क्यों

केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के कुछ हालिया फैसले जिसमे कहा गया है की 2016 समाप्त होते-होते इस बोर्ड ने फैसला किया कि वर्ष 2018 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा फिर आरंभ होगी।

GENERAL STUDIES HINDI

2011 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने का फैसला विद्यार्थियों और स्कूलों के ऊपर छोड़ दिया गया था, लेकिन व्यवहार में बोर्ड लगभग समाप्त हो गया था। इसको वापस बदलकर पुन: यथावत स्थिति में ला दिया गया जो २०११ में थी | फेल न करने की नीति, दसवीं की बोर्ड परीक्षा, सीसीई आदि शिक्षा अधिकार कानून, 2009 से बंधे हैं। यह कानून पहली अप्रैल 2010 से लागू हुआ था।

बच्चों को फेल न करने की नीति के पीछे पुरानी नीति के पीछे कारण :

- सदिच्छा यह थी कि गरीब साधनहीन और वंचित तबकों के बच्चे फेल होने के बाद अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- बच्चे कच्ची उम्र में मानसिक हताशा और हीनभावना के भी शिकार होते थे।
- विकल्प' सतत एवं पूर्ण मूल्यांकन) 'सीसीई (जरूर था,

लेकिन न उसके अनुपालन की तैयारी प्रशिक्षण स्कूलों के पास थी और न ही सरकार के पास। नतीजा शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी तेजी से गिरी और अनुशासन भी बिगड़ा।

नई नीती में क्या क्या बदलाव

- Xth board exam 2018 से पुन :चालु होंगे
- हर बच्चे को तीन बार मौका देना जिससे वह आवश्यक अर्हता सक्षमता प्राप्त कर ले। साथ ही स्कूल विशेष पढ़ाई का इंतजाम भी करेंगे।
- भाषा नीति : तीन भाषा सूत्र अब दसवीं तक लागू होगा। इस नीति के तहत मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी सभी के लिए दसवीं तक अनिवार्य होगी। तीसरी भाषा के रूप में उत्तर के छात्र दक्षिण की कोई भाषा पढ़ेंगे। विदेशी भाषा जैसे जर्मन, चीनी, रूसी चौथी भाषा के रूप में पढ़ने की छूट होगी।
- प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए समुचित योग्यता परीक्षा का फैसला: अभी तक का अनुभव यही रहा है कि निजी स्कूलों में प्राचार्य पद बिना योग्यता के पुत्र, पुत्री या अन्य निकट संबंधियों को दे दिया जाता है। ऐसा होना किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सुधारों की प्रक्रिया का पक्ष भी जान लेना जरूरी है। यह एक सराहनीय कदम है

Read also: http://gshindi.com/sites/default/files/downloads/hindu-analysis/Hindu_Analysis_22-24_Dec_16_GSHindi.pdf

2. भारत में शिक्षा की समस्या और क्या कदम हो सकते है कारगर

क्या मायने है शिक्षा के

- इसकी सहायता से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता मिलती है, पर इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह समाज के मानस का एक किस्म का आनुवंशिक चरित्र तय करती है।
- शिक्षा के सहारे समाज में एक तरह का बौद्धिक-मानसिक डीएनए आकार लेता है, जो चीजों के होने न होने और सोचने के तरीकों की खास तरह की समझदारी विकसित करता है।
- शिक्षा की संस्थाओं के सहारे यह सब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाता है।

GENERAL STUDIES HINDI

Effect of British policy

- शिक्षा एक प्रकार की बौद्धिक अभियांत्रिकी) मेंटल इंजीनियरिंग जैसी होती है। अंग्रेजों ने इस (बात को समझ कर इसका प्रभावशाली उपयोग किया और जरूरी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा के उद्देश्य, उसकी विषयवस्तु, उसकी प्रक्रिया और उपयोग को ऐसे सांचे में ढाल सकने में समर्थ हो गए कि हमारे पास जो कुछ ज्ञान के रूप में था उसकी स्मृति का लोप शुरू हो गया। उसे अप्रासंगिक ही नहीं करार दिया गया, बल्कि हम उसे हिकारत की नजर से देखने लगे
- । धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा बोझ और ग्लानि का कारण बनती गई। उसे अतीत या इतिहास-की वस्तु मानते हुए ज्ञान के संग्रहालय को सुपुर्द करने योग्य मान लिया। उसे कभी कभी पूजनीय-जरूर माना जाता रहा, पर अक्सर उससे छुटकारा पाने में ही भलाई समझी जाने लगी।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- यह सब जिस तरह से हुआ और जिस मजबूती से स्थापित किया गया वह अद्भुत किस्म का सफल बौद्धिक उपनिवेशीकरण था, जिसके जाल से निकलना असंभवसा हो गया।-

क्या परम्पराएँ आधुनिकरण के खिलाफ है

आधुनिक होने की जरूरत तो स्वाभाविक है, पर इसके रास्ते अपनी परंपरा से भी निकलते हैं। परंपरा सिर्फ पुराने को ज्यों का त्यों ढोना नहीं है, जैसा हम अक्सर मान बैठते हैं, उसमें जो पहले से है उससे आगे जाना भी शामिल है। इस तरह परंपरा आधुनिकता के विरुद्ध नहीं है। साथ ही आधुनिकीकरण को हमने सिर्फ पश्चिमीकरण मान लिया और बिना किसी आलोचना और समीक्षा के परंपरा और आधुनिकता को परस्पर विरोधी मान लिया। परंपरा यानी भारतीयता आधुनिकता की विरोधी ठहरा दी गई। और हमने अपनी राह सीधेसीधे पश्चिम के- अंधानुकरण में खोज ली

शिक्षा की सतत उपेक्षा

स्वतंत्रता मिलने के बाद भी शिक्षा के प्रति कामचलाऊ सोच ही चलती रही। सतत उपेक्षा का परिणाम यह हुआ कि अभी तक हमारा देश शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य भी नहीं प्राप्त कर सका है

- देश में 75 प्रतिशत तक साक्षरता पहुंच सकी है, पर निरक्षरता में कमी जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में नहीं हो पायी है।
- 2001 से 2011 के बीच सात वर्ष से ऊपर की जनसंख्या में 18.65 करोड़ का इजाफा हुआ, पर निरक्षरता में कमी 3.11 करोड़ की ही दर्ज की गई।
- शिक्षा का अधिकार कानून 2010 में पास हुआ था। संविधान की व्यवस्था के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करना आवश्यक है:, पर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के समानांतर नामांकन में वृद्धि दर्ज नहीं होती और साक्षरता ज्यादातर सिर्फ दस्तखत करना सीखने तक सीमित है।
- इसी से जुड़ी समस्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की है। गांवों में हजार में से 326 और शहरों में 383 लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं।
- 2014 में 61 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार बहुत सीमित है। जो है वह भी अधिकतर शहरों में है। मात्र एक प्रतिशत बच्चे ही इसमें जा पाते हैं।
- **माध्यमिक और उच्च शिक्षा** के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। इनमें छात्रअध्यापक अनुपात-, अपेक्षित संसाधनों की कमी तथा अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव प्रमुख हैं। इनसे शिक्षा की- गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

GENERAL STUDIES HINDI

New current to reform education system in India

इस समय भारत में शिक्षा की प्रकृति और उसके संचालन को लेकर गंभीर विचार विमर्श सरकारी- प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन और अकादमिक क्षेत्र आदि में कई स्तरों पर बड़े पैमाने पर चल रहा है।- इस विमर्श की चिंताओं के मोटे तौर पर चार प्रमुख आयाम पहचाने जा सकते हैं।

- बच्चों और युवाओं की देश की जनसंख्या में बढ़ते अनुपात की चुनौती के समाधान के लिए शिक्षा मुहैया कराने वाले अवसरों को बढ़ाना।
- शिक्षा को रोजगार की ओर उन्मुख करना ताकि समाज में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके।
- शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना ताकि वह विश्व में किसी से पीछे न रहे।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- भारतीय शिक्षा को सामाजिकसांस्कृतिक दृष्टि से प्रासंगिक और मूल्यवान बनाना।-

But failed to have impact

ये न केवल व्यावहारिक हैं, बल्कि इनके महत्वपूर्ण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और प्रक्रियागत आशय भी हैं। इन आयामों को औपचारिक विचार का विषय तो जरूर बनाया गया, जैसा कि अनेक शिक्षा आयोगों की रिपोर्टो से पता चलता है, पर कार्य के स्तर पर पंचवर्षीय योजनाओं में हाथ में लिए गए कामों की वरीयताओं में नीचे होने के कारण कुछ विशेष हासिल न हो सका। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं को जुटाने के लिए संसाधनों की कमी और शैक्षिक प्रस्तावों के बारे में संशय के कारण प्रस्तावों को लागू करने में उपेक्षा ही बरती जाती रही।

Need of hour is

21वीं सदी में हमें शिक्षा की चुनौती पर विशेष ध्यान देना होगा और पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। तभी देश की युवा ऊर्जा को देश निर्माण के कार्य में संलग्न किया जा सकेगा।

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक आंकलन

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया है।
- सरकार की इस योजना से खरीफ 2016 में फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ी है।
- यही नहीं, समय पूरा होने से पहले ही बड़ी संख्या में किसानों को बीमा की राशि तात्कालिक राहत के तौर पर मिलने लगी है।
- उत्तर प्रदेश है में खरीफ मौसम में बाढ़ या अत्यधिक वर्षा होने के चलते फसल नुकसान होने पर 71,679 किसानों को बीमा दावा की राशि मिली है। खास बात यह है कि यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिली है।
- उत्तर प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र व राजस्थान के किसानों को भी फसल बीमा की राशि मिली है।
- यह राशि तात्कालिक राहत के तौर पर दी गई है, क्योंकि इस योजना में प्रावधान है कि फसल को हुए नुकसान का आकलन बाद में किया जाएगा, पहले किसान को बीमा की राशि में से 25 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाएगा।
- खरीफ में उप्र के 30 जिलों 71,679 किसानों को ऑन एकाउंट तात्कालिक राहत के तौर पर 30.75 करोड़ बीमा राशि का भुगतान किया गया। इन किसानों की फसलों को बाढ़ व अत्यधिक बारिश से नुकसान हुआ था।
- इस तरह यूपी के बीमा कराने वाले किसान को औसतन 42,00 रुपये से अधिक बीमा राशि मिली।
- सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत खरीफ 2016 में की थी।
- यह योजना पंजाब व कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी बड़े राज्यों में लागू है।
- खरीफ के दौरान इस योजना के तहत 3.57 करोड़ से अधिक किसानों ने 3.79 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र का बीमा कराया है। अगर इसमें रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम)आरडब्ल्यूबीसीआइ एस (के तहत कराए गए बीमा को भी जोड़ लें तो बीमित किसानों की संख्या बढ़कर 3.70 करोड़ हो जाती है। यह आंकड़ा खरीफ 2015 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है
- पुरानी बीमा योजनाओं की कमियां दूर कर पीएमएफबीवाई शुरू की गई।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

what is PMFBY

क्या है यह योजना:

- योजना के अन्तर्गत किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- योजना में सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अर्थात बचा हुआ प्रीमियम 90 प्रतिशत होता है, तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- * शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये राज्य तथा केंद्रीय सरकार में बराबर- बराबर बाँटा जाएगा।
- * योजना की प्रीमियम दर बेहद कम रखी गई है ताकि किसान इसकी किस्तें आसानी से वहन कर सकें।
- * योजना किसानों के हित के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी काम करेगी।
- * प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत किसान मोबाइल के माध्यम से भी अपनी फसल के नुकसान के बारे में आंकलन कर सकता है।
- Note:- ध्यान रहे कि मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है।

5. जानें क्या है जलीकट्टू और इससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं? और क्या है इससे जुड़ा हुआ विवाद

तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के दौरान खेला जाना वाला लोकप्रिय खेल जलीकट्टू पर प्रतिबंध हटाने को लेकर राज्य में बवाल मचा हुआ है। राज्य में कई जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ★ तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। अध्यादेश के जरिए कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है।

=>**जलीकट्टू पर प्रतिबंध कब और क्यों ?**

- साल 2011 में यूपीए सरकार ने जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार ने 8 जनवरी 2016 में इसको हरी झंडी दे दी।
- बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाते हुए राज्य सरकार की याचिका भी खारिज कर दी थी जिसमें 2014 के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा एक प्रस्ताव भी पास कर चुकी है। प्रस्ताव के तहत जल्लीकट्टू पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है।

GENERAL STUDIES HINDI

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

TAMING THE BULL

MARCH, 2006: Madurai bench of the Madras HC bans Jallikattu after father of a boy killed by an enraged bull seeks a ban on the sport

MARCH 2007: TN government and associations that organise Jallikattu successfully get ban overturned by HC. Four months later, SC reimposes ban on a petition by the Animal Welfare Board of India

JANUARY, 2008: SC allows Jallikattu to be held as part of Pongal festivities, which was promptly challenged by AWBI

2009-2011: Jallikattu allowed under supervision and monitoring after state passes law to regulate it. AWBI pursues cases, compiling instances of rules and conditions being flouted to harm animals

MAY, 2014: SC bans Jallikattu, strikes down Tamil Nadu government's 2009 law that had paved the way for conducting the sport

Bull fighting has historically been a part of the Tamil culture, with the present day iteration celebrated on Pongal. HT PHOTO

DECEMBER, 2015: Tamil Nadu government urges Union government to introduce a bill to amend laws to enable conduct of Jallikattu

JANUARY, 2016: Central government orders removal of bulls from the list of prohibited animals that can be used for public display

=>>**क्या है जलीकट्टू ?**

- जलीकट्टू तमिलनाडु का चार सौ वर्ष से भी पुराना पारंपरिक खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है।
- इसमें 300-400 किलो के सांड़ों की सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है, ताकि लोग सींगों से पकड़कर उन्हें काबू में करें।
- सांड़ों को भड़काने के लिए उन्हें शराब पिलाने से लेकर उनकी आंखों में मिर्च डाला जाता है और उनकी पूंछों को मरोड़ा तक जाता है, ताकि वे तेज दौड़ सकें।

GSHINDI

=>>**जलीकट्टू का मतलब**

कहा जाता है कि जल्ली/सल्ली का अर्थ ही होता है 'सिक्का' और कट्टू का 'बांधा हुआ। सांडों के सींग में कपड़ा बंधा होता है जिसे खिलाड़ी को पुरस्कार राशि पाने के लिए निकालना होता है।

=>**क्या हैं खेल के नियम ?**

खेल के शुरु होते ही पहले एक-एक करके तीन सांडों को छोड़ा जाता है। ये गांव के सबसे बूढ़े सांड होते हैं। इन सांडों को कोई नहीं पकड़ता, ये सांड गांव की शान होते हैं और उसके बाद शुरु होता है जलीकट्टू का असली खेल। मुदरै में होने वाला ये खेल तीन दिन तक चलता है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

=>**सालों पुरानी है जलीकट्टू परंपरा**

- तमिलनाडु में जलीकट्टू 400 साल पुरानी परंपरा है। जो योद्धाओं के बीच लोकप्रिय थी।
- प्राचीन काल में महिलाएं अपने वर को चुनने के लिए जलीकट्टू खेल का सहारा लेती थी।
- जलीकट्टू खेल का आयोजन स्वंयवर की तरह होता था जो कोई भी योद्धा बैल पर काबू पाने में कामयाब होता था महिलाएं उसे अपने वर के रूप में चुनती थी।

=>>**जलीकट्टू और बुलफाइटिंग कितना में अंतर**

जलीकट्टू की तुलना स्पेन में खेले जाने वाली बुलफाइटिंग से भी की जाती है। हालांकि समर्थकों का कहना है कि जल्लीकट्टू यूरोपीय देश स्पेन में होनेवाली बुलफाइटिंग से अलग है और इसमें स्पैनिश स्पोर्ट्स की तरह हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता और न ही खेल का मतलब है अंत में जानवर का खात्मा।

Security issues

1. आइएनएस खांदेरी/ खंडेरी

- स्कॉर्पीन क्लास की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी
- स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियां डीजल और बिजली से चलती हैं।
- मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल जंग में हमले के लिए होता है।
- आईएनएस खंडेरी में दुश्मनों की नजर से बचने के लिए स्टील्थ फीचर है।
- यह दुश्मन पर प्रीसेशन गाइडेड मिसाइल के जरिए सटीक और घातक हमला कर सकता है।
- हमले करने के लिए इसमें पारंपरिक टारपीडो के अलावा ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जिसे पानी के अंदर या सतह से दागा जा सकता है।
- भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण करते हैं।
- भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत एमडीएल में फ्रांस के मैसर्स डीसीएनएस के साथ मिलकर छह पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।

2. रायसीना डायलॉग २017

यह भारत के geo-political और geo-economic परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाती है | इसका पहला भाग २०१६ में आयोजित किया गया था |

GENERAL STUDIES HINDI

प्रधानमन्त्री के भाषण से कुछ अंश :

- पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होने पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी और चीन को हिदायत दी।
- प्रधानमन्त्री ने कहा कि उनका सपना है कि अच्छी तरह से एकीकृत पड़ोस हो। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर भारत से बात करना चाहता है तो उससे आतंक का रास्ता छोड़ना होगा।
- जो पड़ोसी देश अहिंसा, नफरत को बढ़ावा देकर आतंकियों को भेजते हैं वह अलग रहते हैं और उनपर कोई ध्यान नहीं देता।
- प्रधानमन्त्री ने चीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दो बड़े पड़ोसियों के बीच मतभेद होना आम बात नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि रिश्ते बनाए रखने के लिए दोनों देशों को संवेदनशीलता और मूल चिंताओं के प्रति सम्मान दिखाना होगा।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

क्या है रायसीना डायलॉग

रायसीना डायलॉग का पहला कार्यक्रम पिछले साल एक मार्च से तीन मार्च के बीच हुआ था। उसमें 35 देशों से 100 से ज्यादा स्पीकर्स बोलने के लिए आए थे। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय और Observer Research Foundation (ORF) द्वारा मिलकर करवाया जाता है। कार्यक्रम में भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के मुद्दों पर चर्चा होती है।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और चीफ ऑफ स्टाफ समिति का स्थायी चेयरमैन: सैन्य बलों में होगा एक और शीर्ष पद

भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में होने वाली सालाना संयुक्त कमांडर्स कांफ्रेंस में सशस्त्र बलों के लिए जनरल का एक नया पद सृजित जायेगा। **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रक्षा मंत्रालय की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ समिति के स्थायी चेयरमैन** का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

- यह पद सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख के बराबर होगा। रक्षा विशेषज्ञों की मानें तो यह कदम देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
- इसके तहत एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सैनिकों के प्रशिक्षण, हथियार प्रणालियों और संयुक्त अभियान जैसी सेवाओं के मुद्दों से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी दी जाएगी। नए अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रधानमंत्री द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगी।
- यदि यह प्रक्रिया समय पर शुरू कर दी जाती है तो संभवतः लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी सबसे प्रबल दावेदार हैं। हाल ही में पूर्वी कमान के सेना प्रमुख ले. जनरल बख्शी की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर जनरल बिपिन रावत को थल सेनाध्यक्ष बनाया गया है।
- नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने विगत वर्ष 31 मई को पदभार संभाला था, जबकि जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह ने दिसम्बर में पदभार ग्रहण किया। तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री को हथियारों के आधुनिकीकरण और कमियां दूर करने में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की भी जानकारी देंगे।
- म्यांमार और पाकिस्तान में सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति और जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर भी चर्चा होने की संभावना है।

4. सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने के शेकटकर समिति के सुझाव

शेकटकर समिति : सरकार द्वारा सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था।

- समिति यह स्पष्ट कर चुकी है कि यदि अगले पांच वर्ष में उसकी अधिकतर सिफारिशें लागू कर दी जाती हैं तो सरकार अपने व**र्तमान खर्च में से 25,000 करोड़** रुपये तक की बचत कर सकती है। इसका इस्तेमाल भारतीय सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने में होगा।
- समिति ने भविष्य के संभावित खतरों को भांपकर सिफारिश की हैं।
- समिति कहती है कि नौसेना और वायुसेना से उलट भारतीय थलसेना को कर्मचारियों के बाहुल्य वाली सेना बनकर रहना होगा। क्योंकि उसे भारत के प्रमुख शत्रुओं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ पहाड़ों पर भारी संख्या में तैनाती करनी पड़ती है।
- परिणामस्वरूप भारतीय सेना के लिए बजट बाकी दोनों सेनाओं की अपेक्षा अधिक रहेगा और खरीद के लिए बहुत कम पूंजी बचेगी।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- समिति ने सिफारिश की है कि नई खरीद के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में रकम वापस कर देने की परंपरा समाप्त करने के लिए नई खरीद हेतु योजना बनाई जाए।

5. साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बनेगा केंद्र

देश में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में साइबर सुरक्षा के खतरों को देखते हुए सरकार ने अलग से एक सुरक्षा ऑपरेशन केंद्र गठित करने का फैसला किया है।

उद्देश्य :- यह केंद्र एनआइसी के एप्लीकेशन और देश के आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित साइबर गतिविधियों की निगरानी करेगा।

- सरकार देश में डिजिटल संचालन को तेज करने के लिए नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) का इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार कर रही है। देश के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में एनआइसी की भूमिका काफी अहम होगी।
- वर्तमान में मौजूद चार डाटा सेंटरों के अलावा **भोपाल** में एक और डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर और पुणे में डाटा सेंटर हैं।
- डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में जमीन पर वास्तविक बदलाव लाने के लिए एनआइसी को अपनी धारणा को बदलने की सलाह दी है।
- इसके लिए एनआइसी को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से जुड़ने को कहा गया है। पिछले कुछ समय में लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने में सीएससी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। सीएससी ने डिजिटल भुगतान के लिए 1.96 करोड़ ग्रामीणों और 6.15 लाख दुकानदारों को प्रशिक्षित किया है।
- अब सरकार इस क्रम में एनआइसी के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रही है। इसके तहत एनआइसी के सभी जिला कार्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साल 2017-18 के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तहत 150 जिला एनआइसी कार्यालयों को तकनीकी तौर पर अपग्रेड किया जाएगा।

Economy

1. उच्चतम न्यायालय ने मांगी देनदारों की सूची

बैंकों के फंसे कर्ज) एनपीए (की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कर्ज वसूली टिब्यूनल) डीआरटी (में ढांचागत संसाधनों की कमी पर सरकार से सवाल किए हैं। अदालत ने पूछा है कि क्या मौजूदा संसाधनों में तय समयसीमा के भीतर कर्ज वसूली का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

- कोर्ट ने सरकार से कर्ज वसूली के समूचे तंत्र की जानकारी मांगी है।
- इसके अलावा कर्ज वसूली के पुराने लंबित मामलों और करोड़ से ज्यादा देनदारी वाली कंपनियों की सूची पेश करने को भी कहा है।
- पीठ ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फंसे कर्ज का मुद्दा उठाने वाली गैर सरकारी संस्था सेन्टर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन की याचिका पर दिये हैं।
- कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर पांच बिन्दुओं पर जवाब मांगा है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- ✓ कोर्ट ने पूछा है कि क्या डीआरटी और डीआरटी अपीलीय ट्रिब्युनल के मौजूदा ढांचागत संसाधनों और उपलब्ध स्टाफ के साथ संशोधित कानून में तय की गई समय सीमा में कर्ज वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
- ✓ क्या नये कानून में कर्ज वसूली की जो नयी समयसीमा तय की गयी है उसके पहले मौजूदा ढांचागत संसाधनों के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था।
- ✓ क्या सरकार की मंशा ट्रिब्युनल्स में न्यायिक और गैर न्यायिक स्टाफ तथा अन्य ढांचागत संसाधन बढ़ाने की है अगर हां तो ट्रिब्युनल के कामकाज को प्रभावी करने के लिए संसाधन बढ़ाने की दिशा में क्या उपाय किये जाएंगे।
- ✓ संशोधित कानून में तय की गयी समयसीमा में ट्रिब्युनल के लंबित मुकदमें निपटाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधन बढ़ाए जाने की समयबद्ध कार्ययोजना पेश की जाये।
- ✓ इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह कर्ज वसूली ट्रिब्युनल में लंबित दस साल से ज्यादा पुराने मामलों और 500 करोड़ से ज्यादा की देनदारी वाली कंपनियों के नामों की सूची पेश करे।

Background

- ➢ ऋण वसूली टिब्यूनलों (डीआरटी) गठन के पहले सितंबर, 1990 तक अदालतों में कर्ज वसूली के करीब 15 लाख मुकदमे लंबित थे।
- ➢ इनमें बैंकों का 5,622 करोड़ व वित्तीय संस्थानों का 391 करोड़ फंसे थे।
- ➢ 1993 में डीआरटी एक्ट बना और टिब्यूनल गठित हुए। देशभर में 34 डीआरटी और पांच अपीलीय टिब्यूनल हैं। इनमें 2015-16 में 34,000 करोड़ की राशि से जुड़े करीब 16,000 मामले निपटे

New data on recovery:

- ➢ 29 दिसंबर, को जारी आरबीआइ की नई रिपोर्ट इस नाकामी की की पोल फिर खोल रही है।
- ➢ वर्ष 2015-16 की बात करें तो लोक अदालतों व ऋण वसूली टिब्यूनलों और प्रतिभूति (डीआरटी) के तहत बैंक (सरफेसी एक्ट) कानून कुल 4,429.48 अरब रुपये के फंसे कर्जे के मामले लेकर आये थे। इसमें से सिर्फ 455.36 अरब रुपये की वसूली ही संभव हो पाई थी।
- ➢ यह कहानी पिछले पांच छह वर्षो से दोहराई जा रही है। इन वसूली तंत्रों के पास जितनी राशि के-फंसे कर्जे लाए जाते हैं, उसका 10 से 20 फीसद ही वसूल हो पाता है।
- ➢ इस दौरान सरकार डीआरटी को ज्यादा अधिकार दे चुकी है। प्रतिभूति कानून को मजबूत बनाने के लिए इसमें कई बार संशोधन कर चुकी है। वित्तीय स्थायित्व पर आरबीआइ की ताजा रिपोर्ट बताती है कि सरकार चाहे जो भी दावा करे अगले दो वित्त वर्षों तक एनपीए की समस्या दूर होने नहीं जा रही है। अगर अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार नहीं हुआ तथा विभिन्न उद्योगों की मांग नहीं बढ़ी, तो फंसे कर्ज के जाल में सरकारी बैंक और जकड़ेंगे।
- ➢ सितंबर, तक के आंकड़ों के मुताबिक देश के 41 बैंकों का शुद्ध एनपीए 5.65 लाख करोड़ रुपये का है। देश के इतिहास में एनपीए का आकार इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ है। फंसे कर्जे बढ़ने का असर यह हो रहा है कि बैंकों को अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा अलग करना पड़ रहा है।

2. अर्थव्यवस्था पर 2017 में नोटबंदी के क्या हो सकते है असर

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी अपने आप में एक बड़ा झटका था।अब रोचक प्रश्न यह है कि सुधार की गति क्या होगी तेज या धीमी? हालांकि संभावना तो धीमे सुधार की ही है|

- मौद्रिक :नौ नवंबर के बाद से नई मुद्रा का आगमन खासी धीमी गति से हो रहा है। कुछ जगहों पर तो लेनदेन में पुरानी मुद्रा भी चलती रही। अब नए नोट नजर नहीं आ रहे हैं जनवरी की | शुरुआत में जब भुगतान का वक्त होगा उस समय मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर वास्तव में पुराने नोटों को बदलना हो तो यह काम मई 2017 तक चलता लेकिन वास्तव में इतना अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि बैंक नोट प्रेस में 2,000 रुपये के नोट छापे जा रहे हैं और जो पुरानी नकदी बंद हुई है उनमें से सारी की सारी लेनदेन के लिए चलन में नहीं थी। लेकिन 2,000 रुपये के नोट के साथ छुट्टे की समस्या आती है। इस बीच नोटबंदी के चलते लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया है। अब हर कोई नोट जमा करके रखना चाहता है।
  वर्ष 2008 में मौद्रिक नीति का प्रदर्शन अच्छा रहा था। आरबीआई ने समझदारी दिखाते हुए विनिमय दर की अनदेखी कर दी थी और दरों में कटौती के मामले में फुर्ती दिखाई थी। कम दरों और कमजोर रुपये की बदौलत अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिली थी। वर्ष 2016 और 2017 में मौद्रिक व्यवस्था में असुविधा पैदा हुई और मौद्रिक नीति का इसमें मददगार हो पाना मुश्किल नजर आया।
- **निर्यात** : सितंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स के झटके के बाद मौसमी समायोजन के बाद गैर तेल क्षेत्र के निर्यात में सालाना 161 फीसदी की गिरावट आई थी। इस बार निर्यात की मांग में कमी आई है लेकिन कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों ने घरेलू उत्पादन को प्रभावित किया है। नवंबर 2016 में यह गिरावट सालाना आधार पर 76 फीसदी थी। यह आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा है। खासतौर पर यह देखते हुए कि निर्यात मांग में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे यह भी पता चलता है कि उत्पादन में अहम विसंगति पैदा हुई है।
- **निवेश के मोर्चे पर** :विमुद्रीकरण ने अनिश्चितता पैदा कर दी है क्योंकि इसकी वजह से वर्ष 2017-18 में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर असर पडने की आशंका है। इससे यह भी पता चलता है कि नीतिगत स्तर पर नया जोखिम है जबकि हम सोचा करते थे कि हमारे यहां ऐसे कदमों की : गुंजाइश नहीं। वर्ष2008 में भी व्यापक अनिश्चितता थी जिसने निवेश पर नकारात्मक असर डाला था। वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख लोगों के लिए यह स्वर्णिम अवसर था जहां उनके कदमों ने देश की नीतिगत क्षमताओं की बेहतरी दिखाते हुए विश्वास बहाली में मदद की। इस बार विमुद्रीकरण ने आर्थिक नीति संबंधी नेतृत्व को क्षमता प्रदर्शन नहीं करने दिया।
- **बैंकिंग** : वर्ष 2008 में बैंकों की राजकोषीय गतिविधियां कुछ दिक्कत की शिकार रहीं। इसका पहला संकेत फंसे हुए कर्ज की समस्या के रूप में सामने आया था। तब देश भर में खाते खोलने, क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण आदि का नीरस काम अबाध चलता रहा। इस बार बैंकों के अधिकांश कर्मचारी नकदी गिनने के काम में लगे हुए थे। ऐसे में कुछ महीनों तक देश की बैंकिंग सेवाओं की उत्पादकता बाधित रही। वृहद आर्थिक मंदी ने कार्पोरेट जगत के एनपीए की समस्या को और खराब कर दिया। ऐसे में नोटबंदी के चलते लोगों के देनदारी में चूक करने की आशंका बढ़ गई है।
- **मांग को झटका** : बड़ी कंपनियों में उत्पादन की योजना बनाने वाले अपने निर्णय बिक्री के अनुमान के आधार पर करते हैं। नौ नवंबर को देश भर की कंपनियों को अपने उत्पादन अनुमान संशोधित करने पड़े और इस आधार पर उत्पादन अनुमान भी। आंकड़े इस बात का समर्थन करते हैं। सितंबर 2008 में निर्यात की मांग प्रभावित हुई थी लेकिन देश में कुछ खास नहीं हुआ। यही वजह है कि सितंबर 2008 में वाहन उद्योग में अच्छी बिक्री हुई। अक्टूबर से दिसंबर तक बिक्री में गिरावट रही। आगे की उत्पादन योजना इसे देखकर बनी। इस बार नवंबर 2016 में बिक्री पर

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

सीधे असर पड़ा। सस्ती वस्तुओं में इसका असर अधिक दिख रहा है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 169 फीसदी की गिरावट आई। जबकि तिपहिया वाहनों की बिक्री 37 फीसदी गिरी। उत्पादन से जुड़े प्रबंधक अनुमान लगाने में व्यस्त हैं कि आने वाले महीनों में और गिरावट आएगी। बैंकों में ऋण देना कम हुआ है जिसका असर मांग पर पड़ेगा। अनिश्चितता बढ़ेगी और मार्जिन कम होने से कंपनियां निवेश कम करेंगी। तैयार माल बढ़ेगा और कंपनियां उत्पादन कम करेंगी। लब्बोलुआब यह कि इसका असर कर्मचारियों की छंटनी के रूप में सामने आएगा। इन हालात में कुछ अनुबंध भंग होंगे। कुछ फर्म बंद होंगी। हर कोई इस तूफान को झेलने का प्रयास कर रहा है लेकिन कुछ का विफल होना तय है। एनपीए संकट और गहरा होगा। वर्ष 2017 और उसके बाद भी इनका असर दिखेगा

3. नोटबंदी का कदम और RBI की विश्वसनीयता

Situation before demonetisation

बीते एक दशक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक) आरबीआई (ने स्वतंत्र एवं किफायती मौद्रिक प्राधिकार के रूप में जबरदस्त विश्वसनीयता हासिल की। कई लोग मानेंगे कि वह देश के उन गिनेचुने संस्थानों में से है जिन्हें विश्वस्तरीय करार दिया जा सकता है। हालांकि तकनीकी रूप से वह आरबीआई अधिनियम के तहत सरकार के अधीन है लेकिन एक के बाद एक तमाम गवर्नरों ने प्रभावी स्वायत्तता हासिल की है। इसी ओर

- अभी हाल ही में वह सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंचा है जिसके तहत मौद्रिक नीति के लिए उपभोक्ता महंगाई को एकल लक्ष्य बनाया जाएगा। अब उसके पास अवसर है कि वह अधिक विश्वसनीयता हासिल करे और पारदर्शी नीति निर्माण करे।

यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वसनीयता और स्वायत्त संस्था बनने की दिशा में इस प्रगति का अधिकांश हिस्सा विमुद्रीकरण के बाद की कवायद में छीज गया। मुद्रा की स्थिरता की दिशा में प्राथमिक उत्तरदायित्व केंद्रीय बैंक का ही है।

- इसके बावजूद इस बात में काफी संदेह है कि 500 और 1,000 रुपये की मुद्रा बंद करने का निर्णय आरबीआई के कहने पर लिया गया।
- गौरतलब है कि ये नोट देश की कुल प्रचलित मुद्रा का 86 फीसदी थे। यह जाहिर तौर पर सरकार का फैसला था जिसमें आरबीआई के बोर्ड की सहमति रही होगी।
- मुद्रा की स्थिरता बरकरार रखना उसका काम है। मुद्रा की वापसी पर उसकी मूक स्वीकृति से यह स्थिरता कायम करने में क्या मदद मिली यह समझ से बाहर है। अगर उसका तय काम ही पूरा नहीं हो सका तो उसने अपनी सहमति ही क्यों दी? ये प्रश्न आरबीआई की स्वायत्तता और विश्वसनीयता से प्रत्यक्षत संबंधित हैं। इनका जवाब कहीं अधिक पारदर्शिता के साथ दिया जाना : चाहिए।
- आरबीआई ने विमुद्रीकरण की कवायद की तार्किकता को लेकर क्या अनुमान लगाए थे और इस दिशा में क्या प्रगति हुई। देश के मौद्रिक इतिहास की इस एक अत्यंत अहम घटना को अंजाम देने में आरबीआई की कोई प्रत्यक्ष या सार्वजनिक भूमिका सामने नहीं आई।

उसने नोटबंदी प्रक्रिया में एक के बाद एक कई विरोधाभासी परिपत्र अवश्य जारी किए। इस स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जा सकता है। इस सिलसिले में और अधिक सूचना की आवश्यकता है। दुख की बात यह है कि हर सप्ताह बैंकों में जमा हो रही नकदी जैसी मूलभूत जानकारी तक सामने नहीं आ पा रही

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

है। जब यह जानकारी पूरी पारदर्शिता से उपलब्ध रहा करती थी। इक्कीसवीं सदी के केंद्रीय बैंक का सबसे पहला और अहम काम है पारदर्शिता। इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें दो राय नहीं कि आरबीआई विफल रहा है।

क्या अतीत में ऐसा हुआ है

यह सच है कि अतीत में आरबीआई ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिन्होंने तत्कालीन सरकार को सांत्वना प्रदान की है। पिछले गवर्नरों ने भी अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद संबंधित दबाव के बारे में बात की है जो उन पर पड़ता रहा। लेकिन मौजूदा निर्णय जैसा कोई निर्णय कभी नहीं लिया गया।

हाल का कदम और RBI के कार्यान्वयन पर प्रश्नचिह्न

सरकार और आरबीआई के बीच इस स्तर की मिलीभगत भी इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। इसमें शक नहीं कि हालिया दशकों में आरबीआई इतना कमजोर इससे पहले कभी नजर नहीं आया। उसे अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने की दिशा में काम करना चाहिए और एक बार फिर यह दिखाना चाहिए कि वह एक स्वायत्त संस्था है। अगर वह विमुद्रीकरण को लेकर अपनी संस्थागत स्थिति स्पष्ट कर देता है तो यह बेहतर होगा। उसे इस बात की पारदर्शी तरीके से जांच करनी चाहिए कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया ने बैंकिंग क्षेत्र पर किस कदर दबाव डाला। उसे यह भी बताना चाहिए कि आने वाले महीनों में बैंक ऋण इससे किस प्रकार प्रभावित होगा। विश्वसनीयता दोबारा हासिल करने की राह आसान नहीं है लेकिन आरबीआई को शुरुआत करनी चाहिए।

4. हरित बांड (green bond)

- ये किसी भी अन्य बौंड की ही तरह है जहां एक निकाय धन जुटाने के लिए निवेशकों के लिए ऋण साधन जारी करते हैं।
- ग्रीन बौंड की पेशकश का लाभ 'हरित' परियोजनाओं के वित्त पोषण में उपयोग के लिए होता है और यही है जो इसे अन्य बौंड से अलग बनाता है.
- **'ग्रीन' बौंड और एक नियमित बौंड के बीच का मुख्य अंतर** : green bond में जारीकर्ता सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि वह पर्यावरणीय लाभ जैसे अक्षय ऊर्जा, कम कार्बन परिवहन आदि जैसी 'हरित' परियोजनाओं, परिसंपत्तियों या व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूंजी की उगाही कर रहा है.
- पहली बार विश्व बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा पहली बार 2007 यह लाया गया था
- भारत में सबसे पहले yes bank ने इसको जारी किया था

GENERAL STUDIES HINDI

5. जलवायु परिवर्तन और पशुधन

जलवायु परिवर्तन से पशुधन पर क्या असर पड़ेगा? सवाल कई कारणों से अहम है क्योंकि

- पशुधन कृषि क्षेत्र के कुल सकल घरेलू उत्पाद में करीब 25 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। इतना ही नहीं, पशुधन से प्राप्त होने वाले उत्पाद खाद्य महंगाई की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन उत्पादों में दूध, अंडे, मांस एवं मछली शामिल हैं।
- यह तेजी से बढऩे वाला खंड है, जिसकी सालाना वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत है।
- दूध उत्पादन में सालाना 4.2 प्रतिशत, अंडा उत्पादन में 5 प्रतिशत, मछली उत्पादन में 8 प्रतिशत और मांस उत्पादन में 8.3 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- यह समावेशी विकास के लिए भी अत्यावश्यक है : मवेशी ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले छोटे किसानों और गरीबों के लिए जीविका का साधन भी हैं। देश में पशुधन की कुल संख्या का 70 प्रतिशत आबादी का लालन-पालन यही लोग करते हैं।

climate change and Animals

- मनुष्य के मुकाबले जानवरों में पर्यावरण के घटकों जैसे तापमान, आद्रता, हवा की गति आदि में होने वाले बदलाव के अनुसार अनुकूलन क्षमता सीमित होती है।
- जलवायु में होने वाले किसी तरह के बदलाव से इनके स्वास्थ्य और उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। जलवायु में सीमित बदलाव तक ही वे यथाशक्ति आनुवांशिक उत्पाद क्षमता प्रदर्शित कर पाते हैं।
- अधिक तापपान कृषिगत गतिविधियों से जुड़े जानवरों की क्षमता सबसे अधिक प्रभावित करता है लेकिन दूसरे प्रतिकूल कारक भी इन्हें कई तरह से प्रभावित करते हैं।
- तापमान एक सीमा से अधिक बढने पर दुग्ध उत्पादन में 10-25 प्रतिशत कमी आ सकती है।
- देसी नस्लें पर्यावरण और आस-पास होने वाले बदलावों को अधिक सीमा तक बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन गाय और भैंस की संकर नस्लों में ऐसी क्षमता नहीं होती है।
- मुर्गियों सहित अन्य पक्षी तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति खासे संवेदनशील होते हैं। दूसरे जानवर जैसे बकरी और भेड़ भी पर्यावरण में अचानक हुए बदलाव झेलने का सामथ्र्य नहीं रखते हैं

उत्पादकता पर असर

- करनाल स्थित राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान) एनडीआरआई (के एक सर्वेक्षण के अनुसार गर्मी में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढने और सर्दी में 3 डिग्री सेल्सियस कम होने से गायों और भैंसों की दुग्ध उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। दुग्ध उत्पादन के पहले चरण में उत्पादन 10 से 30 प्रतिशत जबकि बाद में इसमें 5 से 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।
- एनडीआरआई के अध्ययन के अनुसार जलवायु में होने वाले बदलाव से कुल दूध उत्पादन में 2020 तक 16 लाख टन सालाना नुकसान हो सकता है और 2050 तक यह मात्रा बढ़कर 1.5 करोड़ टन रहने की आशंका है।

प्रजनन क्षमता पर प्रभाव

- पशुधन की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। नैशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस)एनएएएस (के अनुसार जलवायु में हुए बदलाव से गर्मी और बरसात में पशुधन की ज्यादातर प्रजातियों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हुई है।
- पशुधन पर इन प्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा जलवायु परिवर्तन के अप्रत्यक्ष असर भी हैं।
- मौसम प्रतिकूल होने पर इनके लिए चारे आदि की भी समस्या हो जाती है, वहीं तापमान बढने पर रोगाणु और परजीवी भी सक्रिय हो जाते हैं। ये पशुधन के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। अधिक समय तक सूखा रहने या बाढ़ की स्थिति बने रहने से भी रोग फैलाने वाले कीटाणुओं और विषाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर से पशुधन की सुरक्षा अहम और आवश्यक हो गई है पर इससे निपटने के लिए उपलब्ध उपाय पूरी तरह कारगर नहीं हैं। अत: क्या आवश्यक

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- परिस्थिति और जानवर को केंद्र में रखकर रणनीतियां बनाई जानी चाहिए।
- फसलों की नस्लें मौजूदा तकनीकों से जलवायु में होने वाले बदलावों से मुकाबला करने योग्य बनाई जा सकती हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा करना आसान नहीं है। जानवरों के साथ जब भी यह प्रयोग होता है तब उल्टा परिणाम देखने को मिलते हैं।
- चारा प्रबंधन, जानवरों के रहने की उत्तम व्यवस्था, सामुदायिक मवेशीगाह और वायु एवं जल आधारित तापमान नियंत्रक उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है
- ज्यादातर उपायों की भी उनकी सीमाएं हैं। संगठित क्षेत्र के पशुधन उद्यमी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन छोटे और पिछड़े किसान और मवेशीपालक ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है। उन्हें इस लायक बनाने के लिए सार्वजनिक नीति के तहत मदद की जरूरत है। सरकार से समर्थन मिलने पर ही वे पशुधन को जलवायु परिवर्तन के कोप से बचाकर उनकी क्षमता बरकरार रख सकते हैं या उसमें इजाफा कर सकते हैं।

6. पर्यटन क्षेत्र IT सेक्टर को भी पीछे छोड़ सकता है : विशेषज्ञ

- मौजूदा समय में आईटी क्षेत्र 150 अरब डॉलर का है जो निर्यातोन्मुख है। वहीं पर्यटन उद्योग का आकार 120 अरब डॉलर है और यह साढ़े सात प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
- भारत में पर्यटन उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी: आईटी :क्षेत्र को भी पीछे छोड़ सकता है यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं। मसलन इसे अधिक संगठित बनाया जाए और नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा दिया जाए।
- Challenge to Indian IT: आईटी सेवाएं वैश्विक स्तर पर काफी प्रतिस्पर्धी हो गई हैं और हम अब क्लाउड और मोबाइल की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे पास योग्यता नहीं है। हमारे पास उद्यम है, हमारा मानना है कि भारतीय आईटी सेवाओं की वृद्धि अब उतनी नहीं होगी जितनी 20 साल पहले थी।
- पर्यटकों के लिए ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेनदेन की सुविधा उनके लिए आसानी बनेगी और इसका विकास न केवल अर्थव्यवस्था में उछल लाएगा बल्कि समावेशी विकास में भी सहायक होगा |

7. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के लिये एकीकृत नियामक : RBI

खबरों में

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से जुड़े विवादों तथा :आईएफएससी: अन्य मुद्दों के समाधान के लिये एकीकृत नियामक और वैश्विक स्तर का कानूनीमसौदा तैयार करने पर जोर दिया।

GENERAL STUDIES HINDI

- देश में वित्तीय अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून पर गौर करने के लिये एक उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह स्थापित करने की जरूरत है।
- समीक्षा के आधार पर वित्तीय अनुबंधों के लिये एक वैश्विक स्तर का कानूनी मसौदा गिफ्ट सिटी में लाया जा सकता है।
- इसके लिये या तो वित्तीय अनुबंधों को संचालित करने वाले मौजूदा कानून में संशोधन किया जा सकता है या नया कानून बनाया जा सकता है।

What is IFSC

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र के बाहर ग्राहकों को सीमाओं के पार वित्त प्रवाह, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति में मदद करता है

8. डिजिटल ट्रांजैक्शन पर राज्यों की रैंकिंग करेगा नीति आयोग

डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता दिखाते हुए इस दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। अब नीति आयोग डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले राज्यों को रैंकिंग देगा।

- नीति आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे अगले 10 दिनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन का डाटा जमा करें। इससे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
- आयोग जल्द ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करना शुरू कर देगा। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र ने पिछले महीने कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मेगा पुरस्कारों की घोषणा की थी
- इसके तहत सरकार 25 दिसंबर से उपभोक्ताओं और दुकानदारों वगैरह को डिजिटल भुगतान पर 340 करोड़ रुपये के पुरस्कार देगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को एक देशी पेमेंट ऐप भीम को भी लांच किया था। इसके जरिये मोबाइल पर तेजी से और सुरक्षित ढंग से कैशलेस ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं।

=>तेजी से बढ़ा डिजिटल भुगतान

- अक्टूबर, 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट और 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड धारक थे। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट, यूएसएसडी और रुपे जैसे डिजिटल भुगतान चैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यूएसएसडी के तहत मुख्य रूप से मोबाइल शॉर्ट कोड मैसेज का इस्तेमाल फीचर फोन के जरिये बैंकिंग सेवाओं के लिए किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 25 दिसंबर को यूएसएसडी ट्रांजेक्शन 5,135 प्रतिशत बढ़कर 5,078 लेनदेन प्रतिदिन पर पहुंच गए।

9. आगामी आम बजट पर होगी त्रिवर्षीय कार्ययोजना की छाप

- पंचवर्षीय योजनाएं बंद करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार अब इसकी जगह तीन वर्षीय कार्ययोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है।
- पहली त्रिवर्षीय कार्ययोजना अगले वित्त वर्ष 2017-18 से लागू होगी और 2019-20 तक चलेगी।
- आगामी आम बजट पर इसकी छाप देखने को मिलेगी। यह बजट एक फरवरी को आएगा।
- नीति आयोग ने त्रिवर्षीय कार्ययोजना तैयार कर ली है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें किसानों की आय दोगुनी करने, खेती की स्थिति सुधारने और देश में मैन्यूफैक्चरिंग के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है।
- साथ ही, इसमें पहली बार देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी मध्यावधि रणनीति पेश की गई है। इस तीन वर्षीय योजना के सार बिन्दुओं को आम बजट में जगह मिलेगी। इससे आने वाले वर्षों में देश के विकास की दिशा भी तय होगी।

=>यह कार्ययोजना वित्त वर्ष 2017-18 से

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- पहले बजटीय आवंटन पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता था। अब यह त्रिवर्षीय कार्ययोजना को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
- इस बार के बजट में एक खासियत यह भी होगी कि विभिन्न मदों में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आवंटन के साथ-साथ आने वाले दो वित्त वर्षों के लिए भी सांकेतिक आवंटन किया जाएगा।
- इससे मध्यावधि में सरकार के खर्च की दिशा स्पष्ट हो सकेगी। मोदी सरकार ने नेहरूयुगीन योजना आयोग को बंद करने के बाद देश में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया को भी खत्म करने का फैसला किया है।
- फिलहाल 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। यह 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नई पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी।
- इसलिए एक अप्रैल, 2017 से यह त्रिवर्षीय कार्ययोजना ही लागू होगी। साथ ही आयोग सात वर्षीय रणनीतिक दस्तावेज और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज भी तैयार करेगा।
- माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मंजूरी देगी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें बतौर सदस्य शामिल हैं।

10. एफडीआई की शर्तें उदार होगी सिंगल ब्रांड रिटेल में

- सरकार बड़ी संख्या में ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के मकसद से सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) एफडीआइ (के नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार इस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआइ निवेश को मंजूरी दे सकती है।
- मौजूदा नियम के मुताबिक इस सेक्टर में 49 फीसद तक एफडीआइ के लिए आटोमेटिक रूट खुला है। जबकि इससे ज्यादा निवेश के लिए सरकारी अनुमति लेनी होती है। इस सेक्टर में निवेश के लिए शर्त है कि कंपनी के स्टोर में सभी उत्पाद एक ही ब्रांड के होने चाहिए। कंपनी के सारे उत्पादन पूरी दुनिया में एक ही ब्रांड के तहत बिकने चाहिए।
- सरकार एक प्रस्ताव के तहत इस सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसद विदेशी निवेश की अनुमति होगी। 30 फीसद स्थानीय खरीद संबंधी शर्त में रियायत देने के प्रस्ताव पर वित्त, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालयों के बीच बातचीत हो रही है।
- मौजूदा नियम के अनुसार 51 फीसद से ज्यादा एफडीआइ होने पर तीस फीसद मूल्यों के उत्पाद घरेलू निर्माताओं खासकर छोटे व मझोले उद्योगों से खरीदने की बाध्यता है।
- यह प्रस्ताव खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए नीति आसान बनाना चाहती है। सरकार का मानना है कि आसान शर्तों से सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में काफी एफडीआइ आ सकता है।
- पिछले साल सरकार ने निर्णय किया था कि नई तकनीक लाने वाले विदेशी निवेशकों को 30 फीसद घरेलू खरीद की शर्त पूरी करने के लिए तीन साल की मोहलत दी जाएगी। सरकार ने सबसे पहले फरवरी 2006 में सिंगल ब्रांड रिटेल में 51 फीसद निवेश की अनुमति दी थी। इससे 2014-15 तक 13.5 करोड़ डॉलर विदेशी निवेश किया गया।

GENERAL STUDIES HINDI

11.FRBM समिति ने राजकोषीय घाटे पर लचीला रख अपनाने का सुझाव दिया

एन के सिंह समिति ने राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने संबंधी अपनी रपट में सरकार को इस दिशा में नरम रख अपनाने का सुझाव दिया है ताकि विकास पर खर्च करने की सरकारी की शक्ति पर ज्यादा अंकुश न लगे।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

Some points to remember:

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और उसके राजस्व :जिसमें कर्ज से प्राप्त धन शामिल नहीं होता: के बीच का अंतर है जबकि प्रथमिक घाटा राजकोषीय धाटे का हिस्सा होता हैर और यह राजकोषीय घाटे और सरकार द्वारा कर्जदारों कोचुकाएं गए ब्याज के बीच अंतर के बराबर होता है।

Background:

सरकार ने मई, 2016 में पूर्व राजस्व और व्यय सचिव और सांसद श्री एन सिंह की अध्यक्षता में .के . अधिनियम की समीक्षा के लिए इस समिति (एफआरबीएम) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन का गठन किया था। इस समिति के अन्य सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक उर्जित .के गवर्नर डॉ (आरबीआई) पटेल .आर, पूर्व वित्त सचिव श्री सुमित बोस, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ अरविंद सुब्रमण्यम और . रथिन राय हैं। .के निदेशक डॉ (एनआईपीएफपी) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी

12. इलेक्ट्रानिक भुगतान क्षेत्र के लिये नियामक बनाने पर विचार

खबरों में

देश में डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में सरकार इस क्षेत्र के लिये एक अलग नियामक बनाने पर विचार कर रही है। नियामक देश में इलेक्ट्रानिक भुगतान को बेहतर बनाने के साथ साथ इसके लेनदेन शुल्कों का भी नियमन करेगा।

- डिजिटल भुगतान को लेकर बनाई गई रतन वाटल समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार को भुगतान का नियमन केन्द्रीय बैंक के कामकाज से अलग स्वतंत्र रूप से करना चाहिये। हालांकि, रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली के नियमन को छोड़ने को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है।
- रिजर्व बैंक एक बैंकिंग नियामक के तौर पर बैंकों के फायदे के लिये नीतियां बनाता है वह भुगतान उद्योग में कंपनियों के कामकाज में प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष उद्देश्यों को लेकर जोर नहीं देता है।
- अब तक नियमन बैंकों पर केन्द्रित हैं। यदि अलग नियामक होगा तो उसका ध्यान लेनदेन को आसान बनाने और लागत को तर्कसंगत बनाने पर होगा। इसलिये भारत में एक सक्षम इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के लिये एक प्राधिकरण स्थापित किये जाने की जरूरत है।
- रिजर्व बैंक ने वाटल समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुये कहा कि भुगतान का नियमन करना केन्द्रीय बैंक के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिये क्योंकि मुद्रा आपूर्ति का नियमन करना उसके कामकाज का हिस्सा है। इसमें लेनदेन के लिये मुद्रा में विश्वास बनाये रखना भी उसके कामकाज का हिस्सा है।

13. जन परिवहन प्रणाली को सहारा देगी रेल सेवा

शहरो में परिवहन की समस्या

शहरों में निजी वाहनों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पा रही है। इसमें सड़क पर उपलब्ध जगह से जुड़ी बाधाओं की अपनी भूमिका है। शहरों के भीतर आवाजाही को बेहतर बनाने की तमाम कवायदों के बावजूद राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 और शहरों में मेट्रो रेल और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए अधिक केंद्रीय

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

मदद के बावजूद शहरों में आवाजाही और जाम के झाम की समस्या बहुत मामूली स्तर तक ही सुलझी है।

क्या आवश्यकता

इसके लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में एकीकृत मेट्रोपॉलिटन परिवहन प्राधिकरण का गठन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सक्षम और आसानी से पहुंच वाला बनाना और इन सभी से बढ़कर शहरी परिवहन को शहरी संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी देने जैसे कदम उठाने होंगे। फिलहाल इन सभी का अभाव है।

- इस परिप्रेक्ष्य में रेल मंत्रालय ने **उपनगरीय रेल प्रणाली** का प्रस्ताव पेश किया है, जो अंतिम रूप लेने और अमल में आने के बाद हमारे बड़े शहरों में बेहद जरूरी अतिरिक्त परिवहन ढांचे को मजबूत बनाएगा।
- इसमें राज्य सरकारों की भूमिका अहम होगी, जिन्हें शहरी आवाजाही समस्याओं को चिह्नित करना है।
- रेलवे तंत्र के बावजूद दिल्ली को वह लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रेलवे की प्राथमिकता माल ढुलाई को लेकर है। इस प्रकार हाल में दिल्ली को आसपास के इलाकों से जोडऩे के लिए रैपिड रेल तंत्र के पक्ष में निर्णय किया गया। हालांकि यह वैसा तरीका नहीं है, जिसमें मौजूदा रेल ट्रैक का इस्तेमाल कर दिल्ली में और आसपास के इलाकों के बीच परिवहन को सुगम बनाया जाए। कर्नाटक ने पहले ही उपनगरीय आवाजाही को बेहतर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें डीजल-इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन से लेकर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कार (मेमू) और पीक आवर्स के दौरान नई मेमू सेवा की शुरुआत जैसे विकल्पों की बात है।

मौजूदा रेल तंत्र और शहर परिवहन

अगर मौजूदा रेल ट्रैक का उपयोग शहर और आसपास के इलाकों में परिवहन को सुगम बनाने के लिए किया जाए तो हमारे अधिकांश बड़े शहर और दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहर बहुत फायदे में रहेंगे। मगर प्रस्तावित नीति में इस विकल्प की गुंजाइश खत्म कर दी गई है क्योंकि रेलवे का कहना है कि वे मौजूदा ढांचे को उपनगरीय सेवाओं के हवाले नहीं छोड़ सकते।

- प्रस्तावित नीति का उचित कार्यान्वयन हमारे शहरों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। मसौदा नीति के मुताबिक संबंधित राज्य को उपनगरीय सेवाओं के संचालन के लिए एसपीवी गठित करनी ही चाहिए, इसमें उसकी 40 फीसदी हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से हो, जमीन का बंदोबस्त भी वही करे और जब परियोजना के लिए 70 फीसदी जमीन मिल जाए तब रेलवे कदम बढ़ाएगा। परियोजना का व्यवहार्य अध्ययन भी राज्य सरकारों का ही जिम्मा होगा, जिसकी रेलवे द्वारा समीक्षा की जाएगी और राजस्व भी रेलवे ही रखेगा और केवल अधिशेष की स्थिति में ही राशि एसपीवी के हिस्से में आएगी।
- यह पूरी तरह एकतरफा है। इस लिहाज से यह ध्यान में रखना होगा कि हम शहरों में आवाजाही को बेहतर बनाने और सड़कों पर भीड़भाड़ घटाने के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में यह संबंधित राज्यों के साथ ही रेलवे और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम अधिक मालूम पड़ता है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में यह खासा उपयोगी होगा कि शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं केंद्र और संबंधित राज्यों का संयुक्त उपक्रम हों, जिनमें नियुक्त निदेशक मंडल प्रभावी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करे।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

इस निति के लिए क्या आवश्यक

- अगर उपनगरीय रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहित करने वाली इस प्रस्तावित नीति को कारगर बनाना है तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भी सक्रिय रूप से भूमिका निभानी होगी।
- साथ ही शहरी परिवहन भी ऐसा विषय है जो उचित रूप से शहरी विकास मंत्रालय को आवंटित हुआ है।
- रेलवे के पास संचालन के लिए एक बड़ा फलक है और अगर अतीत के अनुभव की बात करें तो देश में कोलकाता (जिसका प्रारूप रेलवे ने ही तैयार किया और वही उसे चला रहा है) के रूप में मेट्रो रेल के पहले प्रयोग के बाद से शहरी परिवहन में उसकी भूमिका बहुत प्रभावी नहीं रही।
- राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में संशोधन भी काफी उपयोगी होगा, जिसमें अभी तक बाहर रहे उपनगरीय रेल सेवा के विषय को भी जोड़ा जाए, जिसमें शहरी मेट्रोपॉलिटन परिवहन प्राधिकरण की स्पष्टï रूप से परिभाषित भूमिका को स्थान दिया जाए, जिसमें उपनगरीय रेल तंत्र सहित शहर की सभी परिवहन सेवाओं को एकीकृत किया जाए और यदि संभव हो तो आंतरिक जल मार्गों जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार हो।

अगर नई पहल के मकसद को पूरा करना है तो इसका स्पष्टï रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने तकरीबन 10 से 12 वर्ष पहले रेलवे के पास कुछ राशि जमा कराई थी, जिससे नए रेल खंड का निर्माण हो ताकि दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा में लगने वाला समय कम हो सके। यह नए नवेले राज्य की वृद्घि को नई रफ्तार दे सकता था लेकिन वह परियोजना आज तक फलीभूत नहीं हो पाई। चेन्नई में रेलवे की पहल एमआरटीएस भी कोई बदलाव लाने में नाकाम रही है। अगर उसे शहर की मेट्रो से जोड़ दिया जाए तो शायद आवाजाही के लिहाज से नतीजे और बेहतर हो सकते हैं।

14. जनरल एंटी अवायडेंस रूल्स-गार (GAAR) 1 अप्रैल 2017 से होगा लागू

वित्त मंत्रालय के अनुसार जनरल एंटी अवायडेंस रूल्स-गार (GAAR) 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाएगा.

सीबीडीटी (सेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) ने आज जीएएआर प्रावधानों के लागू करने पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिससे इसके लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. गार अर्थात जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स नियमों का एक ऐसा समूह है जिसके तहत कानून बनाया जाएगा कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करें, वो यहां के टैक्स नियमों के मुताबिक ही टैक्स अदा करें.

गार टैक्स की चोरी और कालेधन पर रोकथाम के लिए बनाया गया खास कानून है जिसे लागू करने में अब सरकार किसी तरह की देरी नहीं करना चाहती है.
★गार के लागू होने से टैक्स अधिकारी टैक्स हैवन देशों में कंपनियां खोलकर या अन्य कंपनियों के जरिए टैक्स एडवांटेज लेने वाले लोगों की रोकथाम कर पाएंगे.

=>>**GAAR के प्रमुख तथ्य :-**

- गार की शुरुआत 2 चरणों में की जाएगी. पहला चरण, आयकर के मुख्य आयकर आयुक्त के स्तर पर और दूसरा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से होगा.
- गार टैक्सपेयर के ट्रांजैक्शन लागू करने के तरीके चुनने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा. गार टैक्सपेयर के लेनदेन के चयन के तरीके के अधिकार में आड़े नहीं आएगा.
- कर अपवर्जन के सामान्य नियम (गार) एक अप्रैल 2017 से प्रभावी होंगे.

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- आयकर नियमों के मुताबिक गार के तहत कन्वर्टेबल इन्स्ट्रूमेंट्स, बोनस इश्योएंसेस या स्पिल्ट या होल्डिंग के कंसॉलिडेशन के लिए 1 अप्रैल 2017 से पहले किए गए निवेश पर लागू होंगे.
- यदि टैक्स ट्रीटी बेनेफिट लिमिटेशन ऑफ बेनेफिट्स प्रोविजन्स के तहत है तो वह गार के दायरे से बाहर होगा. ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर तब गार लागू नहीं होगा जिनका किसी न्याय क्षेत्र (देश) को चुनने का मुख्य टैक्स लाभ हासिल करना नहीं है.
- यानी गार ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर लागू नहीं होगा, जिनका मुख्य उद्देश्य टैक्स बेनेफिट लेना नहीं है.

=>>**क्या है GAAR?**

- टैक्स चोरी और काले धन को रोकने के लिए जीएएआर एक प्रकार का नियम है. इसके पीछे सरकार का एक ही लक्ष्य है, जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे, वह यहां पर तय नियमों के मुताबिक टैक्स दे.
- इसका मुख्य उद्देश्य टैक्सेशन की खामियां दूर करना और टैक्स चोरी करने वालों का पता लगाना है.
- जीएएआर का मुख्य उद्देश्य उन सौदों या इनकम को टैक्स के दायरे में लाना है, जिसको केवल टैक्स का भुगतान से बचने के लिए किया गया है
- टैक्स चोरी को रोक कर सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करना भी इसका उद्देश्य है.
- गार नियम मूल रूप से प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) 2010 में प्रस्तावित है और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आम बजट 2012-13 को प्रस्तुत करते समय गार के प्रावधानों का उल्लेख किया था.

=>>**GAAR का इतिहास :-**

- -गार का प्रस्ताव सबसे पहले 2012-13 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पेश किया था.
- विदेशी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए कई तरीकों से टैक्स बचाती रही हैं. इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने गार कानून को लाने का प्रस्ताव रखा था
- लेकिन तब विदेशी निवेशकों की आशंकाओं के चलते इसे बार बार टाला गया.
- पार्थसारथी शोम कमिटी ने 3 साल बाद जीएएआर लागू करने का सुझाव दिया था. लिहाजा जीएएआर पहले 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का प्रस्ताव था अब यह 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा.
- इसका असेसमेंट 2018-19 में होगा.
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 के बजट में गार के क्रियान्वयन को 2 साल के लिये टाल दिया था. उन्होंने यह भी कहा था कि 31 मार्च 2017 तक किये गये निवेश को गार के तहत नहीं लाया जायेगा.
- गार 3 करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स बेनेफिट वाले दावों पर ही लागू होगा.

GENERAL STUDIES HINDI

15. वैश्विक मानकों से दूर : भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां

देश का निजी कारोबारी जगत जिसे हम इंडिया इंक के नाम से जानते हैं, वह आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है? आमतौर पर जारी किए जाने वाले तिमाही नतीजों के आंकड़ों के अलावा आखिर इनके बड़े लक्ष्य क्या हैं? जहां तक संगठनात्मक आकार और ढांचे में तेजी से बदलाव और उसे किफायती बनाने की बात है तो वर्ष 2000 के दशक के आरंभ में आर्थिक सुधारों ने उसे अंजाम दे दिया। तब से अब तक भारतीय उद्योग जगत ने शायद ही कोई बदलावपरक कदम उठाया हो।

उदारीकरण और भारत

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- छोटे और चुस्त-दुरुस्त संस्थानों ने उदारीकरण के बाद आए अवसरों को भरपूर भुनाया है। ये नए अवसर सूचना प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स और बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में पनपे। इनके लिए नए- और लचीले पूंजी स्रोत सामने आए।
- बड़े कारोबारी घरानों ने विकास के लिए बाहर का रुख किया। इनमें टाटा और आदित्य बिड़ला समूह प्रमुख हैं। वहीं भारत फोर्ज, अपोलो टायर्स, एस्सार और गोदरेज भी कुछ प्रमुख नाम हैं।
- भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अवधारणा, उदारीकरण के बाद की एक अहम अवधारणा है।
- दोपहिया बाजार में बजाज ने नाइजीरिया तथा कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में अच्छी खासी छवि बना रखी है।
- टाटा ट्रक्स, गोदरेज व्यक्तिगत इस्तेमाल के उत्पाद, भारती एयरटेल दूरसंचार सेवा, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और भारत फोर्ज आदि कुछ ऐसे भारतीय ब्रांड हैं जिनकी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका के विश्व बाजार में प्रतिष्ठा है।

फिर भी ब्रांड छवि अभी तक नहीं

- वैश्विक अधिग्रहण की कोशिशों के मिलेजुले नतीजे सामने आए हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। इनमें वर्ष 2008 में आई वित्तीय मंदी शामिल है। लेकिन भारतीय कारोबारी जगत इसकी मदद से अपनी बढिय़ा ब्रांड छवि विकसित नहीं कर सका।
- यह उदारीकरण के बाद के भारतीय कारोबारी जगत के विरोधाभासों में से एक है।
- भारत दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ब्रिक्स देशों में उसका स्थान दूसरा है लेकिन इसके बावजूद चीन के अलीबाबा और श्याओमी या ब्राजील के एंब्रॉयर या पेट्रोब्रास की तरह भारत के पास कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसकी वैश्विक छवि हो।

रक्षा क्षेत्र और भारतीय उद्योग

- वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र पहुंच बेमानी है क्योंकि भारत खुद बहुत बड़ा बाजार है और घरेलू उत्पाद यहीं खप सकते हैं।
- आने वाले समय में भी भारत बड़ा विश्व बाजार बना रहेगा। सच तो यह है कि वैश्विक ब्रांड हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना सिखाते हैं।

अन्य क्षेत्र

- टेलीविजन और मनोरंजन जगत के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार हमें इस बारे में बताते हैं। एक बार ओनिडा, वीडियोकॉन और बीपीएल जैसे भारतीय ब्रांड इस बाजार पर छाए हुए थे।
- सन 1990 के दशक में उन्हें पैनासोनिक, एलजी, सोनी और फिलिप्स का समकक्ष माना जाता था। यात्री कारों में हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर पद्मिनी का बोलबाला था लेकिन मारुति सुजूकी के आगमन के बाद वे बाजार से बाहर हो गईं। दूसरे स्थान पर कोरिया की हुंडई आ गई। टाटा मोटर्स तीसरे स्थान पर है लेकिन उसने कभी ऐसी यात्री कार नहीं बनाई जिसे बेहतरीन करार दिया जा सके। उसने विकसित बाजारों के लायक कोई कार भी नहीं तैयार की। लक्जरी कारों की बात करें तो भारतीय ब्रांड नदारद नजर आते हैं।

क्या है समस्या

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- समस्या यह भी है कि भारतीय ब्रांड लागत और मूल्य पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप दो बातें होती हैं। पहला भारत कम लागत वाला यानी सस्ता उत्पादक बना रहता है लेकिन इस क्षेत्र में भी वह चीन, वियतनाम और बांग्लादेश से पीछे है।
- आज मदुरा, बजाज इलेक्ट्रिकल और हैवेल्स जैसे घरेलू ब्रांड भी अपने कई उत्पाद उपरोक्त देशों से ही मंगाते हैं। विडंबना देखिए कि महाराष्ट्र की कंपनी वीडियोकॉन ने कुछ साल पहले कई वैश्विक ब्रांड के लिए अनुबंधित निर्माता बनने की ठानी। लेकिन फॉक्सकॉन जैसी विनिर्माण दिग्गज कंपनी से तुलना की जाए तो उसकी हालत बहुत बुरी नजर आती है।
- दूसरी बात, कीमत और कारोबार की बात करें तो पैनासोनिक से लेकर मर्सिडीज जैसे ब्रांड हमें यही सिखाते हैं कि उपभोक्ताओं के सामने गुणवत्ता ही असल मूल्य है। उदाहरण के लिए कीमत पर अत्यधिक ध्यान देना ही नैनो के लिए समस्या बन गया। नैनो की विफलता से यह मिथक भी टूटा कि भारतीय ग्राहक कीमत को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हैं। फिर भी कीमत एक वजह है और इसी के चलते रिलायंस जियो ने लंबे समय तक मुफ्त 4जी सेवाओं की घोषणा की। ऐसा लगता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी इस मामले पर तवज्जो नहीं दे सका है।
- अपवाद के तौर पर इसका एकमात्र सबक नागरिक उड्डयन क्षेत्र से मिलता है जहां सरकारी क्षेत्र की कंपनी एयर इंडिया को देसी स्वामित्व वाली निजी विमानन कंपनियों ने काफी पीछे छोड़ दिया है।
- इन कंपनियों ने सस्ती लेकिन स्तरीय विमानन सेवा के रूप में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। एक हद तक उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी टक्कर देनी शुरू कर दी है।

यह सच है कि घरेलू विमानन कंपनियां कई सालों तक वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बची रहीं लेकिन यह दलील तो हर उपभोक्ता बाजार के बारे में दी जा सकती है। एक ऐसे कारोबारी माहौल में जहां उपभोक्ताओं ने रायसीना हिल्स पर कॉर्पोरेट लॉबीइंग की ताकत को पुनस्र्थापित कर दिया है वहां भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक मानकों के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू करनी चाहिए।

SOCIAL ISSUES

1. देश में नए सिरे से गरीबी रेखा खींचेगी

Why in news:

नीति आयोग ने तय किया है कि देश में नए सिर से गरीबी रेखा बनाई जाए। इससे गरीबी दूर करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों की कामयाबी और उसकी पहुंच पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

GENERAL STUDIES HINDI

Why this move:

दरअसल, देश में गरीबी रेखा के लिए बनाया गया टास्क फोर्स सालभर तक चली बहस के बाद भी किसी व्यावहारिक और स्वीकार्य उपाय पर एकमत नहीं हो पाया।

टास्क फोर्स ने हालांकि गरीबी से जुड़े सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स की कामयाबी का जायजा लेने के लिए आंकड़ों के इस्तेमाल को लेकर कुछ सुझाव दिए। इन सुझावों में देश की आबादी में निचले तबके के 40 पर्सेंट लोगों को गरीब करार देना था।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- आयोग की रणनीति में ये बदलाव तब हुआ है जब ज्यादातर राज्यों ने गरीबी के लिए तय न्यूनतम स्तर मानने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि गरीबी के जो आंकड़े दिए जाते हैं वे जमीनी हकीकत वाले आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इसलिए वे सरकार की गरीबी हटाने की योजनाओं की प्रगति का आकलन करने में कारगर साबित नहीं होंगे।

Importance of poverty line

किसी देश में गरीबी रेखा अहम होती है क्योंकि सरकार की तरफ से बनने वाली बहुत सी योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों के लिए होती है। अगर गरीबी रेखा को नीचे कर दिया जाता है तो बहुत से गरीब उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। अगर उसको बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जो उनमें सबसे ऊपर के लेवल पर होंगे और जो सबसे गरीब होंगे ग्रोथ प्रोसेस का हिस्सा बनने से रह जाएंगे।

Poverty line defined by previous committee:

रंगराजन कमेटी ने देश 29.6 पर्सेंट आबादी यानी 36.3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे करार दिया था। उन्होंने तेंदुलकर मेथडलॉजी के हिसाब से तय गरीबी रेखा को ग्रामीण इलाकों के लिए डेली प्रति व्यक्ति खर्च को 27 से बढ़ाकर 32 रुपये और शहरी इलाकों के लिए 33 से बढ़ाकर 49 रुपये कर दिया था।

2. समावेशी विकास सूचकांक में चीन, पाकिस्तान से नीचे भारत, मिला 60वां स्थान

विश्व आर्थिक मंच) डब्ल्यूईएफ (की एक रिपोर्ट के अनुसार समावेशी विकास सूचकांक में भारत को 60वें स्थान पर रखा गया है।

- इस सूचकांक में भारत को पड़ोसी चीन व पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया है। यह सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है।
- समें 79 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में लिथुआनिया पहले स्थान पर है। इसके बाद अजरबाइजान व हंगरी क्रमश :दूसरे व तीसरे स्थान पर आए हैं। भारत को इस सूचकांक में 60 वें स्थान पर रखा गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर देश आर्थिक वृद्धि मजबूत करने व असमानता घटाने के महत्वपूर्ण अवसरों से चूके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीति निर्धारक सालों साल से जिस वृद्धि मॉडल व आकलन उपकरणों का अनुपालन कर रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत है।

GENERAL STUDIES HINDI

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

Top countries in inclusive growth and development

The World Economic Forum's latest report measures countries' performance in areas such as home ownership and productive employment, compared with the traditional Global Competitive Index, which looks at indicators such as macroeconomic environment and market size.

Rank	Country	Global Competitive Index Rank	Rank	Country	Global Competitive Index Rank
1	Norway	11	6	Sweden	6
2	Luxembourg	20	7	Netherlands	4
3	Switzerland	1	8	Australia	22
4	Iceland	27	9	New Zealand	13
5	Denmark	12	10	Austria	19

The Inclusive Development Index measures countries' performances in seven areas and 15 sub-categories. Here's how Singapore fared in the 30 countries that make up the advanced economies of the world.

Areas and sub-categories	Rank (out of 30)
Education and skills	7
• Access	25
• Quality	5
• Equity	5
Basic services and infrastructure	2
• Basic and digital infrastructure	2
• Health services and infrastructure	1
Corruption and rents	8
• Business and political ethics	3
• Concentration of rents	22
Financial intermediation of real economy investment	2
• Financial system inclusion	18
• Intermediation of business investment	1
Asset building and entrepreneurship	5
• Small business ownership	4
• Home and financial asset ownership	7
Employment and labour compensation	7
• Productive employment	4
• Wage and non-wage compensation	10
Fiscal transfers	22
• Tax code	7
• Social protection	29

Bottom 20 per cent — Top 20 per cent

Source: THE INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT REPORT 2017 STRAITS TIMES GRAPHICS

3. भारत की 58 प्रतिशत संपत्ति पर एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य : ऑक्सफैम

- ऑक्सफैम द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत के केवल 57 अरबपतियों के अब कुल 216 अरब डॉलर की संपत्ति है जो देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति के बराबर है।
- भारत की कुल 58 प्रतिशत संपत्ति पर देश के मात्र एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य है जो देश में बढ़ती आय विषमता की ओर संकेत करता है। यह आंकड़ा वैश्विक 50 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है।
- अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 84 अरबपति हैं जिनकी कुल संपत्ति 248 अरब डॉलर है। इनमें 19.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। इसके बाद दिलीप सांघवी की संपत्ति 16.7 अरब डॉलर और अजीम प्रेमजी की संपत्ति 15 अरब डॉलर है। देश की कुल संपत्ति 3100 अरब डॉलर है।
- इस वर्ष विश्व की कुल संपत्ति 2.56 लाख अरब डॉलर आंकी गई है और इसमें से करीब 6500 अरब डॉलर संपत्ति पर अरबपतियों का आधिपत्य है। इसमें 75 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ बिल गेट्स शीर्ष पर हैं। इसके बाद 67 अरब डॉलर की संपत्ति वाले एमैनसियो ऑर्टेगा और 60.8 अरब डॉलर की संपत्ति वाले वारेन बफेट का नाम है।

4. 'गूगल इंटरनेट साथी' सच में भारत को बना रहा है डिजिटल

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

विश्व आर्थिक मंच की की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2016 के अनुसार, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में लैंगिक समानता बराबर हैं।भारत में ऐसा नहीं है और इस सूची में वह 87 वें स्थान पर है। केन्या, बांग्लादेश और ब्राजील जैसे देशों ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।

- मगर, **भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट आबादी वाला देश** है, जहां **डिजिटल लैंगिक अंतर कम** हो रहा है।
- मोबाइल उद्योग व्यापार समूह जीएसएमए द्वारा साल 2015 में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में करीब 2.6 अरब मोबाइल फोन के यूजर्स हैं। इनमें से करीब 1.4 अरब पुरुष औप 1.2 अरब महिलाएं हैं।
- भारत में पुरुषों की तुलना में 11.4 करोड़ कम महिलाएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही हैं। जीएसएमए के अध्ययन में बताया गया कि यदि महिलाओं को टेक्नोलॉजी की पहुंच मिल जाती है, तो न सिर्फ वह अधिक स्वतंत्र महसूस करती हैं, बल्कि रोजगार भी बढ़ा सकती हैं। वह अगले पांच साल में मोबाइल उद्योग के लिए एक अनुमान के अनुसार 170 अरब डॉलर के बाजार को खोल सकती हैं
- शायद यही कारण है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीक दिग्गजों भारत की डिजिटल परिवर्तन पर भारी ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

=>गूगल का इंटरनेट साथी

- करीब दो साल पहले गूगल इंडिया ने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर "इंटरनेट साथी" नामक एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया था। कार्यक्रम के तहत ग्रामीण भारत में महिलाओं को यह सिखाया गया कि कैसे इंटरनेट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को फायदा पहुंचा सकता है।
- महिलाओं के प्रशिक्षित होने के बाद उन्होंने आस-पास के क्षेत्र में अन्य ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया। टाटा ट्रस्ट ने कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया, जबकि गूगल ने इंटरनेट सक्षम उपकरणों और अपेक्षित प्रशिक्षण सामग्री मुहैया कराई।

20 लाख महिलाओं हुआ लाभ

यह कार्यक्रम अब भी दस भारतीय राज्यों के 60,000 गांवों में चल रहा है। गूगल का कहना है कि 20 लाख महिलाओं को कार्यक्रम से लाभ हुआ है। कंपनी अगले कुछ वर्षों में तीन लाख गांवों में कार्यक्रम का विस्तार करना चाहती है, जिससे अगले पांच साल में ग्रामीण भारत के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल किया जा सके।

GENERAL STUDIES HINDI

5. एनपीपीए ने 33 जरूरी दवाओं के दाम तय किए, अब महंगी नहीं होंगी जरूरी दवाएं

- कैंसर, एड्स, इंफेक्शन जैसी बीमारियों की दवाइयों के दाम अब कंपनियां मनमाने तरीके से बढ़ा नहीं पाएंगी.
- केंद्र सरकार ने 11 आवश्यक दवाओं के दाम तय कर दिए हैं और 22 दूसरी दवाओं की कीमत में संशोधन किया है.
- इसमें कैंसर, एड्स, बैक्टीरिया संक्रमण इत्यादि की दवाएं शामिल हैं. इन दवाओं की कीमतों के तय होने से अलग-अलग कंपनियों की दवाओं के दामों में होने वाले अंतर को कम करने में मदद मिलेगी.

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण-नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग पॉलिसी अथॉरिटी (एनपीपीए) ने बताया कि उसने दवा मूल्य निर्धारण संशोधन आदेश-2017 की पहले नोटिफिकेशन में बताई गई 33 दवा फार्मूलेशन के दाम तय या संशोधित किए हैं.
- इसमें 11 आवश्यक दवाओं के दाम तय किए गए हैं जबकि 22 के दामों में संशोधन किया गया है. एनपीपीए शिड्यूल-1 की दवाइयों की कीमत खुद तय करती है. इस सूची से बाहर की दवाइयों की कीमत दवा निर्माताओं को तय करने का अधिकार है लेकिन वे इसमें भी 10 फीसदी सालाना से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं.
- इस तरह इन बड़ी बीमारियों की दवाओं के तय करने से सरकार के तय दायरे के अंदर ही कीमतें होंगी जिससे लोगों को सही कीमत में ये जरूरी दवाएं मिल पाएंगी.

Governance

1. कार्यान्वयन की चुनौतियां

'कार्ययोजना के अभाव में रणनीति जीत की ओर कदम सुस्त कर देती है। रणनीति के अभाव में कार्ययोजना हार से पहले का इशारा करती है।' मौजूदा नोटबंदी को लेकर मची हाराकिरी में हमें 'द आर्ट ऑफ वार' के इन शब्दों का भान होता है। इस बात पर सर्वानुमति है कि इसका कार्यान्वयन बहुत बड़ी नाकामी साबित हो रहा है। कार्यान्वयन हमेशा से भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है और नीति निर्माता काफी अरसे से हमारी जटिलता और विविधता से खुद को दिलासा देते आए हैं।

भारत और कार्यान्वयन की चुनौतियां

कार्यान्वयन की पहेली केवल भारत में हीं नहीं बल्कि सभी जगह पर है। जहां 10 में से 9 कंपनियां अपनी रणनीति सिरे चढ़ाने में नाकाम रहती हैं, वहीं भारत में हमारा शोध यही दर्शाता है कि भारत में अभी तक कोई भी सरकार अपने 'बेहतरीन तरीके से गढ़े' चुनावी घोषणापत्र को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। यह देखते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री के पास भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना और दृष्टिकोण है लेकिन यहां केवल उस दृष्टिकोण को अमल में लाने का सवाल ही आड़े आ जाता है। असल में हमें काम को कुछ अलग ढंग से अंजाम देने की दरकार है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय, विभाग और अफसरशाह सुसंगत तरीके से सामंजस्य बिठाकर काम कर सकें।

- मिसाल के तौर पर 'मेक इन इंडिया', 'कौशल भारत' और 'स्टार्टअप इंडिया' सभी सरकार के लिए खास योजनाएं हैं लेकिन कितने लोग उन्हें वास्तविक वृद्धि का सशक्त संवाहक मानते हैं? इनमें से प्रत्येक का जिम्मा अलग-अलग मंत्रालय के मातहत आता है। क्या उनके बीच कोई कड़ी है और कौन इसका जिम्मेदार है? प्रबंधन परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से यह मूल्य वर्धन श्रृंखला का भाग है, जो देश के लिए ऊंची वृद्धि का सबब बन सकता है।
- रणनीतिक एजेंडा, मापकों, लक्ष्यों, संबद्ध कवायदों और उचित नजरियों के संतुलन के अभाव में प्रधानमंत्री के शीर्ष 16 महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य मंजिल से दूर ही रह जाएंगे।
- सरकार निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ कौशल भारत पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन इसका कोई आकलन नहीं किया जा रहा है कि प्रत्येक मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के तहत ही कितने रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं और उनके लिए किस तरह के कौशल की दरकार होगी। जहां कौशल विकास से जुड़ी फर्म सरकारी कोष के 50 फीसदी मार्जिन पर काम कर रही हैं, ऐसे में यहां अगले बड़े घोटाले की सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष अभी हाल में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया कि सरकार तंत्र में एकरूपता और शासन के स्तर को सुधारने के लिए कैसे कदम उठा सकती है। यह हमारी लक्ष्य-केंद्रित प्रशासन के गैर-लाभकारी मिशन का एक हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने पूरी प्रस्तुति को बहुत ध्यान से सुना। कोई एनजीओ मैकिंजी के माफिक काम कर रहा है, ऐसा सुनना खुद अपने 'कानों को सुकून' देने वाला होना चाहिए। बहरहाल, हमने जो सुझाव दिए वे सरकारी, निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों में कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाले सबसे प्रभावी होंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिïकोण को मूर्त रूप देने के लिए यह न केवल जरूरी बल्कि अपरिहार्य है।
- किसी भी सरकार की भूमिका सामाजिक और आर्थिक मूल्यों के सृजन की होती है। ये मूल्य नेतृत्व, लोगों एवं कौशल, नवाचारी प्रक्रिया, सूचना पूंजी एवं संस्कृति जैसी अचल परिसंपत्तियों से सृजित होते हैं। जिन देशों के पास तेल या अन्य खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, उन देशों में प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से अपेक्षाकृत कम संपन्न देशों से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद) जीडीपी (कम होने के साथ ही नागरिकों के लिए सामाजिक मूल्यों का भी कम ही विकास हुआ। सऊदी अरब, वेनेजुएला और नाइजीरिया लचर मूल्य सृजन की मिसाल हैं। इनकी तुलना में चल परिसंपत्तियों के मोर्चे पर अभावग्रस्त दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इजरायल और हॉन्ग कॉन्ग जैसे देशों ने प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ-साथ अपने नागरिकों लिए जबरदस्त मूल्यों का सृजन किया। कंपनियों के पैमाने पर भी यही प्रारूप नजर आता है, जहां 80 फीसदी बाजार पूंजीकरण जमीन और मशीनरी के बजाय ब्रांड, प्रक्रियाओं और लोगों के जरिये हासिल होता है!

Comparative analysis world over

हाल के दौर में दुनियाभर में सरकारों ने अनुकरणीय कार्यान्वयन की अद्भुत मिसालें पेश की हैं। इसमें अमेरिका शीर्ष पर नजर आता है, जहां व्हाइट हाउस और एफबीआई कार्यान्वयन के लिए संतुलित एजेंडे को अपनाते हैं, वहीं फिलीपींस और सिंगापुर जैसे देश भी इस पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बार्सिलोना, अबु धाबी और ब्रिस्बेन जैसे तमाम शहर चमकने में सफल रहे हैं लेकिन भारत में अभी तक इसका इंतजार है, जिसके लिए सशक्त नेतृत्व की दरकार है।

What is required for good desired results:

- कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माताओं को कई स्तरों पर समझ की जरूरत होती है। अमूमन किसी भी नीतिगत संतुलन में विरोधाभासी ताकतें समाहित होती हैं। जैसे कौशल विकास में निवेश सब्सिडी जैसी कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती की कीमत पर होता है। सरकार को दीर्घावधिक प्रतिबद्घता दर्शानी चाहिए लेकिन उसे तात्कालिक राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक भी कदम उठाने होते हैं। संतुलित कार्यान्वयन के लिए लघु अवधि और दीर्घ अवधि, चल एवं अचल, वृद्घि एवं समावेशन के बीच संतुलन की आवश्यकता है।
- मूल्य खास प्रक्रियाओं के जरिये ही सृजित होते हैं। अगर सरकार अपने वादे के मुताबिक नतीजे चाहती है तो उसे सही प्रक्रियाओं का चयन करना होगा।
- रणनीतिक एजेंडे में साथ ही साथ परस्पर पूरक प्रसंग शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं के प्रत्येक पहलू अलग-अलग समय और बिंदुओं पर लाभ प्रदान करता है, जैसे सब्सिडी खत्म करना तात्कालिक बचत का सबब बनता है लेकिन खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना उस लाभ को बराबर कर सकता है। अपराधों में कमी और रोजगार सृजन के लिए प्रक्रियाओं की जरूरत होगी, जो मध्यम अवधि में नतीजे हासिल कर सकें। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल के नतीजे कुछ समय के बाद ही देखने को मिलेंगे। इन सभी को एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ ही सिरे चढ़ाना होगा। इनमें से तमाम लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपेक्षित नतीजों के लिए उनकी निगरानी की जानी चाहिए।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- नीतिगत एकरूपता अचल परिसंपत्तियों की हैसियत को निर्धारित करती है। नेतृत्व के साथ मिलकर कर्मचारियों का कौशल, प्रतिभा, ज्ञान, तकनीक और नेटवर्क अवसंरचना वास्तविक मूल्य वर्धन को गति देती है। अगर उचित सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सरकारी कर्मचारियों को कौशल सिखाने में निवेश किया जाए तो सक्षमता कुंद होगी। मिसाल के तौर पर डेटा विश्लेषण की उचित तकनीक के बिना उच्च प्रशिक्षित आयकर अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाएगा।

संतुलित कार्यान्वयन एजेंडे को लागू करने में सरकार की राह में मुश्किलें आएंगी। जवाबदेही बढ़ाने और स्पष्टï दृष्टिïकोण के लिए निजीकरण, रणनीतिक एजेंडे और कुछ प्रदर्शन पैमानों की बढ़ती जरूरत पर उसे अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। सफलता तभी हासिल हो पाएगी, जब विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्राधिकारों के बीच एकीकरण होगा, विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित होगा, सभी अंशभागियों को साथ लेकर कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

2. घायलों की मदद करने पर सरकार करेगी पुरष्कृत

दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया है की सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करने वालों को इनाम के तौर पर 2 हजार की राशि मिलेगी। संबंधित अस्पताल से सहायता करने वाले को एक प्रशस्तिपत्र भी दिया जाएगा।

- इससे लोगों का डर दूर होगा।
- लोग नेक कार्य के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- इससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
- दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। पिछले साल भी लगभग 8500 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए और इसमें से 1600 की मौत हुई।
- इसमें से कई ने अस्पताल समय से न पहुंचने के कारण दम तोड़ दिया।
- एक अध्ययन के मुताबिक, कई बार लोग घायलों की इसलिए भी मदद नहीं करते हैं कि उन्हे
- पुलिस द्वारा फंसाने का डर रहता था। अब उन्हें इनाम भी मिलेगा और सम्मान भी।

पेपर iv में इसका उपयोग ले सकते है

3. खेल प्रशासन सुधार की जरूरत

 # Business standard Editorial

GENERAL STUDIES HINDI

हाल की घटना

हाल के दिनों में देश के खेल जगत से जुड़ी दो घटनाओं ने देश के तेजी से विकसित होते खेल उद्योग के नियमन के लिए कानून की आवश्यकता पर बल दिया है।

- पहली घटना जब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर और तमाम अन्य लोगों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) बीसीसीआई (से हटा दिया। ऐसा इनके द्वारा सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर बने एक पैनल की अनुशंसाएं न मानने के चलते किया गया। इस घटना ने देश में खेल प्रशासन की अस्पष्टï प्रकृति को उजागर कर दिया है। देश में खेल प्रशासन निजी उद्यमिता और राष्ट्र हित के बीच में विचरते दिखते हैं।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- दूसरा इसके तहत भारतीय ओलिंपिक महासंघ) आईओए (ने पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बना दिया। गौरतलब है कि इन दोनों को पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद छोडऩा पड़ा था।

आखिरकार अदालतों या सरकार को किसी खेल संस्थान के संचालन में दखल क्यों देना चाहिए?

- बीसीसीआई की बात करें तो क्या ऐसा कोई खतरा है कि अदालत सर्वोच्च प्रशासक बन जाएगी?
- मोटे तौर पर ये आपत्तियां सही हो सकती हैं लेकिन हकीकत में ये संस्थान एक दुविधा में हैं।
- ये स्वैच्छिक स्वायत्त संस्थान हैं परंतु ये राष्ट्रीय स्तर पर एकाधिकार भी चाहते हैं।
- अधिकांश अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थानों मसलन फीफा और ओलिंपिक आंदोलन की बात करें तो भावना यही है कि राष्ट्रीय खेल संस्थानों को सरकारी नियंत्रण से परे होना चाहिए। हालांकि उनको लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और कई बार वित्तीय मदद के मोर्चे पर सरकारी सहायता लेनी पड़ती है।

एक विरोधाभास जिसे हल करना होगा।

यह विरोधाभास है सरकार से सहायता और क्या फिर भी इन संस्थाओं को सरकार से परे होना चाहिए। यह काम सरकार ही कर सकती है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि सरकार को खेल संगठनों के प्रशासन में हस्तक्षेप करना चाहिए।

- मौजूदा अस्पष्ट कर मुक्त न्यास और गैर लाभकारी कानूनों की जगह थोड़ी बहुत विधायी जवाबदेही जरूरी है।
- कानून के तहत कम से कम न्यूनतम जिम्मेदारी और वित्तीय खुलासों की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए।
- इसके अलावा उनकी आचार संहिता निर्धारित की जानी चाहिए और खिलाडिय़ों और कर्मचारियों के लिए अनुबंध अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- इनके लिए व्यापक अर्हता तय की जानी चाहिए। स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इन पर विफल होने की स्थिति में सरकार अपना समर्थन या मान्यता खत्म कर सकती है।
- ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश एमेच्योर, संघीय और अंतरराष्ट्रीय विभिन्न स्तरों पर संचालन के लिए नियम बनाते हैं। भले ही इसमें गहन कानूनी हस्तक्षेप न हो। इससे एक स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता तय होती है। अगर हम ऐसे विविधतापूर्ण खेल उद्योग वाले देशों का अनुकरण करेंगे तो देश के उभरते खेल उद्योग की मदद ही होगी।

4. मनरेगा में आधार अनिवार्य

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) मनरेगा (के तहत कार्य में आधार अनिवार्य होगा।
- मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगों को प्रमाण के तौर पर आधार नंबर दिखाना होगा।
- अगर यह नहीं है तो 31 मार्च 2017 तक उन्हें आधार के लिए नामांकन कराने का प्रमाण देना होगा। आधार कार्ड मिलने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, फोटोयुक्त किसान पासबुक, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने पर योजना के तहत लाभ लिया जा सकेगा।

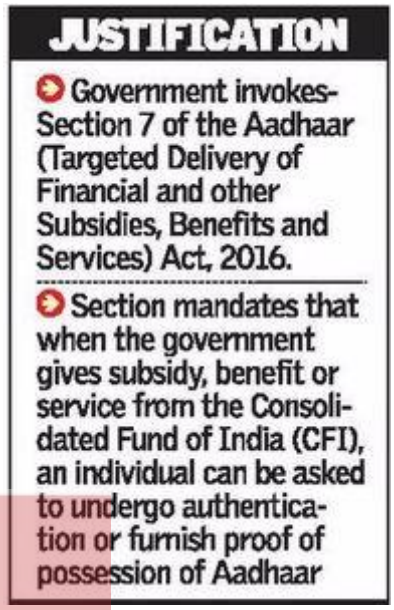

किस क़ानून के तहत

सरकार ने इसके लिए आधार लाभ कानून 2016 की धारा 7 को लागू किया है। इस धारा के तहत भारत की संचित निधि) सीएफआइ (से सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवा के लिए व्यक्ति को पहचान या आधार नंबर का प्रमाण देना होगा।

Why this move

चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 38,500 करोड़ रुपए का बजट दिया। केंद्र सरकार ने 2015-16 में अपनी ग्रामीण रोजगार योजना में 3,800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की। मनरेगा में आधार कार्ड की अनिवार्यता से सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी सरकारी सब्सिडी का बड़ा हिस्सा अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सीधे आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में ही सब्सिडी पहुंचाई जा सकेगी।

5. NGO पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उचित ही नाराजगी जताई कि आखिर गैर सरकारी संगठनों एवं समितियों के कोष और उनके उपयोग की निगरानी के लिए कोई नियामक व्यवस्था क्यों नहीं है?

- किस्म-किस्म के गैर सरकारी संगठन और समितियां कहां से कितना धन हासिल करती हैं और उसे किस तरह खर्च करती हैं, यह सब सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था का निर्माण तो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था।
- यह समझना कठिन है कि इस तरह के संगठनों और समितियों के कामकाज की समीक्षा की जरूरत महसूस करने के बाद भी केंद्र सरकार ने उनके लिए कोई नियामक संस्था बनाने की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाए?
- वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि किस तरह एनजीओ के तौर पर सक्रिय तमाम संगठन सामान्य नियम-कानूनों का भी पालन नहीं कर रहे हैं?
- हाल में केंद्रीय गृहमंत्रलय ने करीब बीस हजार गैर सरकारी संगठनों के विदेश से पैसा लेने के लाइसेंस को इसलिए रद किया था, क्योंकि वे विदेशी चंदा नियमन कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। क्या इस बारे में सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि जो गैर सरकारी संगठन विदेश से पैसा नहीं ले रहे वे अपना काम सही तरह कर रहे हैं?

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

यह सवाल किसलिए :

- यह सवाल इसलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि ऐसे संगठनों के खातों का कोई ऑडिट नहीं होता।
- एक तरह की अंधेरगर्दी ही है कि देश में करीब तीस लाख गैर सरकारी संगठन हैं, लेकिन इनमें से मुश्किल से तीन लाख ही अपने आय-व्यय का विवरण देते हैं।
- नि:संदेह सवाल केवल गैर सरकारी संगठनों की आय और व्यय का ही नहीं, इसका भी है कि वे समाज सेवा के नाम पर कुछ और तो नहीं करते?
- यह ठीक है कि गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ शिकायतें मिलने पर उनकी जांच होती है, लेकिन आम तौर पर जब गड़बड़ी करने वाले ऐसे संगठनों के खिलाफ शासन के स्तर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो वे यह प्रचारित करने लगते हैं कि उनके विरुद्ध बदले की कार्रवाई हो रही है या फिर उन्हें सरकारी नीतियों की खामियां उजागर करने के कारण परेशान किया जा रहा
- कई ऐसे गैर सरकारी संगठन तो इसी आरोप के सहारे अदालतों की शरण में हैं। इनमें कुछ वे भी हैं जिन्होंने अनुचित तरीके से पैसा जुटाया या फिर पैसे को अनुचित तरीके से खर्च किया।

कदम जरुरी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए

- पिछले कुछ समय में गैर सरकारी संगठनों और समितियों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है उससे यह धारणा गहराई है कि समाज सेवा ने एक धंधे का रूप ले लिया है।
- सबसे गंभीर बात यह है कि कई गैर सरकारी संगठन पर्यावरण और मानवाधिकारों की रक्षा के बहाने विकास विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ते दिखे हैं।जैसा IB की रिपोर्ट ने पाया की कुछ NGO विदेशी चंदा पाकर भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए है
- कुछ गैर सरकारी संगठनों के बारे में यह धाenviरणा भी है कि वे परोक्ष रूप से धर्मातरण को बढ़ावा देने का काम करते हैं।
- आम तौर पर संदिग्ध किस्म के गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती, क्योंकि उनके संदर्भ में स्पष्ट नियम-कानूनों का अभाव है। रही-सही कसर निगरानी के अभाव ने पूरी कर दी है।

यद्यपि सरकार का पूरी तरह NGO पर नियंत्रण अवांछनीय है पर फिर भी वित्त का तो audit होना ही चाहिए और दूसरी तरफ NGO को भी चाहिए की वो अपने कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाए और एक प्रक्रिया तैयार करे जिससे की समाज विरोधी गतिविधियों पर उनकी ही बिरादरी में जो और संस्थाए लगी गुई है उस पर लगाम लगाया जा सके इसके लिए उन्हें एक सवैच्छिक नियमन स्थापित करना चाहिए

GENERAL STUDIES HINDI

6. देशभर की जिला अदालतों में लंबित हैं 2.81 करोड़ मुकदमे

क्यों खबरों में

सुप्रीम कोर्ट ने' इंडियन ज्यूडिशियरी एनुअल रिपोर्ट 2015-16' और' सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया : ए रिपोर्ट ऑन एक्सेस टू जस्टिस 2016' शीर्षक से दो रिपोर्ट जारी की हैं। इसमें अदालतों में लंबित मुकदमों की भयावह तस्वीर सामने आई है।

- नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न जिला अदालतों में तकरीबन 2.81 करोड़ मुकदमे लंबित हैं।
- वहीं इन अदालतों में करीब 5,000 जजों की कमी है

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- इन रिपोर्टो में वर्तमान स्थिति से पार पाने के लिए अगले तीन साल में करीब 15,000 और जजों की नियुक्ति की जरूरत जताई गई है।
- आंकड़ों के मुताबिक, जिला अदालतों में 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 की अवधि में 2,81,25,066 मुकदमें लंबित रहे।
- वहीं इस अवधि में कुल 1,89,04,222 मामलों का निस्तारण हुआ। रि
- पोर्ट में लंबित मुकदमों के लिए जजों की कमी को जिम्मेदार बताया गया है। इसके अनुसार, निचली अदालतों में जजों की स्वीकृत संख्या 21,324 है, इनमें से 4,954 पद खाली हैं।

7. "पासपोर्ट इंडेक्स" :जर्मनी का पासपोर्ट है दुनिया में सबसे प्रभावशाली, भारत 78वें नंबर पर

- भारतीय पासपोर्ट को दुनिया के सबसे **प्रभावशाली पासपोर्ट** की रैंकिंग में निचले पायदान पर रखा गया है। उसे **78वां स्थान** दिया गया है।
- **196 देशों की इस सूची में जर्मनी को शीर्ष जबकि अफगानिस्तान को अंतिम स्थान मिला है।**
- "पासपोर्ट इंडेक्स" में जर्मनी 157 वीजा-फ्री स्कोर के साथ शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और स्वीडन हैं। इन दोनों देशों का स्कोर 156 है। तीसरे स्थान पर डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत आठ देश हैं। इन सभी का स्कोर 155 है। ***भारत 48 वीजा-फ्री स्कोर के साथ 78 वें स्थान पर है।***
- जबकि भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान क्रमशः 58वें और 94वें पायदान पर हैं। अफगानिस्तान का स्कोर महज 23 है। दुनिया के इस लोकप्रिय ऑनलाइन संवाद साधन की यह रैंकिंग देशों की वीजा मुहैया कराए जाने की सुविधा पर आधारित है।
- रैंकिंग में वीजा-फ्री स्कोर यह दर्शाता है कि जिस देश का जितना स्कोर है उसके नागरिक उतने देशों में बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश कर सकते हैं। जैसे इस रैंकिंग में भारत का स्कोर 48 है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पासपोर्ट धारक नागरिकों को 48 देशों में बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश मिल सकता है।

8. नौकरशाही और उसकी जवाबदेही

सन्दर्भ : भारतीय पुलिस सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों को कथित तौर पर काम में कोताही बरतने के चलते बर्खास्त

GENERAL STUDIES HINDI

किस नियम के तहत

- अखिल भारतीय सेवा -नियम (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ)1958 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की एक बार पंद्रह साल और दूसरी बार पच्चीस साल की सेवा पूरी होने पर उनके कामकाज की समीक्षा की जाती है। दोनों अधिकारियों का सेवा काल पंद्रह साल पूरा हो चुका है।
- इसी नियम के तहत दोनों अधिकारियों के कामकाज में कोताही बरतने का आरोप पुष्ट पाया गया। विस्तृत समीक्षा के बाद इन दोनों के खिलाफ जनहित में यह कार्रवाई की गई है।
- दो दशक बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ इस तरह का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि इससे दूसरे अधिकारियों को सबक मिलेगा।

एक कदम नौकरशाही में जवाबदेहिता लाने की और

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

लंबे समय से प्रशासनिक सुधार की मांग उठती रही है। इसे लेकर कई समितियां भी गठित की गईं, जिन्होंने कुछ अहम सुधार के लिए सुझाव भी दिए। मगर उन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। यह छिपी बात नहीं है कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी सत्ता पक्ष की मंशा के अनुरूप खुद को ढालने में ही अपना भला समझते हैं। इससे आम लोगों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जन सरोकार के कामों से-लगातार उनकी दूरी बनी रहती है। वैसे भी भारतीय प्रशासनिक ढांचा कुछ इस तरह का है कि आम लोगों और अधिकारियों के बीच काफी दूरी बनी रहती है। इस दूरी को समाप्त करने पर काफी समय से बल दिया जाता रहा है, मगर प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम न बढ़ाए जाने के कारण इसमें अब तक कोई बदलाव नहीं आ पाया है।

- यों अधिकारियों के सरकार के साथ सहयोग का रुख न अपनाने पर तबादले वगैरह के फैसले तो किए जाते रहते हैं, जिसमें अधिकारियों के कामकाज में सरकार के अनावश्यक दखल के आरोप भी लगते रहते हैं। मगर किसी अधिकारी को मुस्तैदी से काम न करने की वजह से सेवानिवृत्त कर दिया जाना निस्संदेह नौकरशाही के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

जवाबदेहिता आज की आवश्यकता

- सरकार की तमाम योजनाएं प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर ही कामयाब हो पाती हैं। अगर वे अपना कर्तव्य निभाने में लापरवाही बरतते हैं, तो योजनाएं चाहे जितनी दूरगामी हों, वे नाकाम ही साबित होती हैं। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि प्रशासनिक अधिकारी अधिक से अधिक जनता से निकटता बनाएं, उसकी जरूरतों को समझें और स्थितियों के अनुरूप कदम बढ़ाएं।
- अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कामकाज से मिसाल कायम की है। मगर उनसे प्रेरणा लेने के बजाय अधिकतर अधिकारी लोगों से दूरी बना कर और उनमें भय का माहौल पैदा कर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते देखे जाते हैं।
- योजनाएं उनके लिए कमाई का जरिया नजर आती हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सेवा निवृत्त करने का फैसला किया है, तो उम्मीद बनी है कि वह प्रशासनिक सुधार की दिशा में कठोर कदम उठाने की पहल करेगी।

हालांकि जिस तरह उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज करके कुछ अधिकारियों को अहम पदों पर बिठाने के आरोप लगे हैं, उससे उसकी मंशा पर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में सरकार अगर सचमुच प्रशासन को चुस्तदुरुस्त करना चाहती है तो उसे प्रशासनिक सुधार- की दिशा में व्यावहारिक पहल करनी चाहिए।

9. राजनीतिक दलों की 69 प्रतिशत आय अज्ञात स्रोतों से:ADR रिपोर्ट

- एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों को 2004-05 और 2014-15 के बीच अज्ञात स्रोतों से 7,833 करोड़ रुपए मिले जो उनकी कुल आय का 69 प्रतिशत है।
- कांग्रेस और भाजपा इस तरह के स्रोतों से अधिकतम धन हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी हैं।
- एडीआर की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कुल 11,367.34 करोड़ रुपये आय हासिल हुई।
- **ज्ञात दानकर्ताओं से दलों को 1,835.63 करोड़** रुपये हासिल हुए जो उनकी कुल आय का 16 प्रतिशत है। साथ ही दूसरे ज्ञात स्रोतों से कुल आय (संपत्ति की बिक्री, सदस्यता शुल्क, बैंक ब्याज,

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

प्रकाशन सामग्रियों की बिक्री, पार्टी लेवी आदि) से राजनीतिक दलों को कुल 1,698.73 करोड़ रुपए की आय हुई जो उनकी कुल आय का 15 प्रतिशत है।

- एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 11 वर्षों में कांग्रेस की कुल 3,323.39 करोड़ रुपये की आय में से 83 प्रतिशत और भाजपा की कुल 2,125.91 करोड़ रुपये की आय में से 65 प्रतिशत अज्ञात स्रोतों से आए।
- क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी (सपा) को मिले कुल दान में से 766.27 करोड़ रुपये या 94 प्रतिशत जबकि शिरोमणि अकाली दल को मिले 88.06 करोड़ रुपये या 94 प्रतिशत धन अज्ञात स्रोतों से हासिल हुआ।
- एडीआर के अनुसार 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय दलों को अग्यात स्रोतों से हुई 274.13 करोड़ रुपये की कुल आय 2014-15 में 313 प्रतिशत बढ़कर 1,130.92 करोड़ रुपये हो गयी।
- क्षेत्रीय दलों की आय भी 37.393 करोड़ रुपए से 652 प्रतिशत बढ़कर 281.01 करोड़ रुपए हो गयी।

10. रेलवे स्टाफ की असफलता की वजह से होते हैं सबसे ज्यादा हादसे :रिपोर्ट

- रेल मंत्रालय के समक्ष पेश की गई सेफ्टी रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल हादसों और ट्रेनों के पटरी से उतरने के लिए रेलवे स्टाफ की लापरवाही जिम्मेदार है।
- इन हादसों में बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई हैं और तमाम लोग घायल हुए हैं
- समिति ने पिछले रेल हादसों के डेटा जुटाए और उनका विश्लेषण किया।
- हाल ही में रेलवे को सौंपी गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकतर 50 से 60 पर्सेंट रेल हादसों के पीछे मानवीय चूक वजह होती है। सबसे ज्यादा मौतें ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण होती हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक में कमी के चलते भी यह हादसे होते हैं। रेल की पटरियों का सही रखरखाव न किए जाने की वजह से यह समस्या बढ़ गई है।
- रिपोर्ट में रेल हादसों के लिए पटरियों के फ्रैक्चर और वेल्डिंग में कमी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है।
- रिपोर्ट में रेल और ट्रैक्स के नियमित रखरखाव का सुझाव दिया गया है।
- रिपोर्ट में मैन्युअल काम की बजाय तकनीक पर अधिक भरोसा जताने का सुझाव दिया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया, 'पटरियों का लगातार निरीक्षण करना कठिन काम है और इसे जितना संभव हो ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। हमें पटरियों के जजमेंट के लिए कर्मचारियों पर निर्भरता कम करनी होगी।'

GENERAL STUDIES HINDI

11. सवालों का वक्त पर रेस्पॉन्स नहीं देते हैं विभाग: सांसद

- संसद के कुछ सदस्यों ने केंद्र सरकार के विभागीय कर्मचारियों के लचर रवैये को लेकर पीएमओ से शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में इन कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि ये लोग किसी सवाल का जवाब देने में लेटलतीफी करते हैं।
- नियमों के अनुसार, अगर कोई सांसद किसी संबंध में सवाल पूछता, शिकायत करता या जानकारी मांगता है तो उसको 15 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। अगर किसी कारणवश देर हो भी जाती है तो अंतरिम जवाब के रूप में जवाब देने में होने वाली देरी के बारे में बताना होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि बेहतरीन संवाद बना रहे।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- कुछ सांसदों की शिकायत है कि उनके सवालों का संबंधित विभाग जल्दी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। सांसदों के सवालों का तात्कालिक जवाब को सुनिश्चित करने के लिए उनके शिकायत पत्रों को तुरंत स्कैन कर ई-आॅफिस में अपलोड कर देने का सुझाव दिया गया है।'
- ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है। इसके बारे में तकरीबन हर संसदीय सेशन में जिक्र होता है।

12. रेल परिवहन के मॉडल में सुधार आवश्यक

#Business_Standard_Editorial

बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में रेल परिवहन को बदलने की आवश्यकता

रेलवे ने हमेशा खुद को देश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ बताते हुए गर्व अनुभव किया है। एक वक्त था जब रेलवे की हड़ताल एक क्षण में अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकती थी और खाद्यान्न, डीजल तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कमी हो सकती थी। आज परिवहन जगत की तस्वीर नाटकीय ढंग से बदल चुकी है। अब उसका कारोबारी मॉडल भंग हो चुका है। उसे नए ढंग से परिभाषित करने के लिए नई सोच की जरूरत होगी। इस काम में ढेर सारी धनराशि और समय भी लगेगा। इन तीनों की पर्याप्त उपलब्धता आसान नहीं।

रेलवे का सिकुड़ता क्षेत्र

- प्रतिद्वंद्वियों ने रेलवे की बाजार हिस्सेदारी छीन ली। रेलवे माल परिवहन और यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है।
- इन दिनों सड़क के जरिये होने वाली माल ढुलाई रेलवे की तुलना में दोगुनी है।
- इस समय 40 और 50 टन ढुलाई क्षमता वाले ट्रक बाजार में हैं जबकि पहले केवल 10 टन क्षमता वाले ट्रक ही हुआ करते थे।
- पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के मामले में रेलवे पहले ही अपनी हिस्सेदारी पाइपलाइन के हाथों गंवा चुका है। जबकि नए बिजली संयंत्रों या इस्पात संयंत्रों में से अधिकांश कच्चे माल के स्रोत के करीब स्थित हैं और इसलिए कोयला ढुलाई, लौह अयस्क आदि के लिए भी बहुत अधिक मांग नहीं हो रही।
- कम माल वाले कारोबारी वैसे भी रेलवे का रुख नहीं करते। उनको ऐसा करने के लिए मनाने में भी काफी कवायद लगेगी क्योंकि माल ढोने वाले ट्रेनों की औसत गति बमुश्किल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है।
- यात्रियों की बात करें तो लंबी दूरी के मामलों में विमान यात्राओं ने तेजी से रेलवे के यात्रियों को अपनी ओर खींचा है जबकि छोटी दूरी में डीलक्स बसें खासी सस्ती पड़ रही हैं।
- **किराए की गणित :** देश में कारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। दिल्ली से जयपुर के बीच कार से चार लोगों का सफर शताब्दी एक्सप्रेस के चार टिकटों की तुलना में सस्ता पड़ेगा। इससे स्थानीय सफर भी किया जा सकेगा। इस वर्ष भारतीय रेल के यात्रियों का आवागमन करीब एक फीसदी बढ़ा जबकि पिछले लगातार तीन साल इसमें गिरावट आई थी। इसके विपरीत यात्री विमानन परिवहन जनवरी से अक्टूबर महीने के बीच 23 फीसदी बढ़ा। इससे किराये के गणित को समझा जा सकता है। हालांकि टिकट बुक करने का समय बहुत मायने रखता है लेकिन भारत में हवाई किराया दुनिया में सबसे कम है। इंडिगो जैसी सस्ती विमान सेवा में यह अक्सर 3.10 रुपये प्रति किमी तक है लेकिन अगर आपने अपनी यात्रा सावधानीपूर्वक बनाई है तो यह दो रुपये प्रति किमी तक भी हो सकता है। रेल किराये में भी अंतर आ सकता है लेकिन यह अंतर

GENERAL STUDIES HINDI

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

श्रेणी का है। इसके अलावा लंबी दूरी के किराये भी प्रति किमी काफी कम होते हैं। लेकिन हवाई यात्रा में जो समय बचता है उसका कोई जवाब नहीं। रेल यात्रा का अनुभव यही बताता है कि उसके समय पर पहुंचने की संभावना कम ही है। भले ही आप प्रीमियम ट्रेन सेवा का इस्तेमाल करें। इस समय हर रोज ढाई लाख से अधिक लोग विमान यात्रा कर रहे हैं। यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यात्रियों की संख्या में यह तेजी रेलवे की उच्च श्रेणी यात्रा करने वालों को पीछे छोड़ चुकी है।

- छोटी दूरी की बात करें तो बसों से बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। दिल्ली-जयपुर मार्ग पर डीलक्स बस की एक सीट शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 25 फीसदी तक सस्ती है। विमानन सेवा और बस सेवा दोनों मुनाफे में हैं जबकि रेलवे को यात्री किराये के मोर्चे पर जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गति के मामले में रेलवे बसों पर बढ़त हासिल कर सकता है लेकिन माल ढुलाई करने वाली ट्रेन उन्हीं पटरियों पर बहुत धीमी गति से चलती हैं। यही वजह है सुपर फास्ट ट्रेन भी 70 किमी प्रति घंटे से अधिक तेज नहीं चल पातीं। अगर माल ढुलाई का अधिकांश काम नए फ्रेट कॉरिडोर में स्थानांतरित हो जाए तो यात्री ट्रेन 100 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार या उससे भी तेजी से चल सकती हैं। तब बसों के लिए उसे पकडऩा मुश्किल हो जाएगा।

आवश्यकता किस बात की

अगर तेल कीमतें एक बार फिर बहुत ऊंची नहीं हो जातीं तो रेलवे के लिए अकेले लागत पर टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वह गति के मामले में ही बढ़त हासिल कर सकता है। इसके लिए उसे माल वहन को यात्री मार्ग से अलग करना होगा, यात्रियों के यात्रा अनुभव को सुधारना होगा। इसमें साफ-सफाई, टर्मिनल सेवाएं और आधुनिक कोच आदि शामिल हैं। उसे उच्च मूल्य के माल परिवहन के लिए लचीले विकल्प पेश करने चाहिए। सरकार का कहना है कि यह सारा काम प्रगति पर है। इस दिशा में प्रगति नजर आए तभी उस पर विश्वास किया जा सकता है।

MISCELLANEOUS:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)

प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) आईएफएससी (में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स का उद्घाटन किया।

GENERAL STUDIES HINDI

- इंडिया आईएनएक्स बंबई शेयर बाजार की अनुषंगी कंपनी है।
- इस एक्सचेंज में दुनिया की सबसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी वाला खरीद-फरोख्त का मंच स्थापित है।
- इस मंच पर ऑर्डर आने और उसके निस्तारण में सिर्फ 0.4 माइक्रो सेकंड का समय लगेगा।
- यह एक्सचेंज दिन के 24 में से 22 घंटे काम करेगा, जिससे इसमें अंतरराष्ट्रीय निवेशक और एनआरआई दुनिया में कहीं से भी खरीद-फरोख्त कर सकेंगे।
- आईएनएक्स शुरुआत में इक्विटी डेरिवेटिव्स, करंसी डेरिवेटिव्स, जिंस डेरिवेटिव्स) इंडेक्स और स्टॉक सहित (में काम करेगा।
- बाद में इसकी योजना डिपॉजिटरी रिसीट्स और बॉन्ड शुरू करने की है।

2. पुर्तगाली पीएम कोस्टा को प्रवासी भारतीय सम्मान

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- राष्ट्रपति ने गोवा मूल के पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा सहित 30 नामचीन हस्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा।
- अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल और ब्रिटिश मंत्री प्रीति पटेल को भी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया
- पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।

3. "पासपोर्ट इंडेक्स: "जर्मनी का पासपोर्ट है दुनिया में सबसे प्रभावशाली, भारत 78वें नंबर पर

- भारतीय पासपोर्ट को दुनिया के सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में निचले पायदान पर रखा गया है। उसे 78वां स्थान दिया गया है।
- 196 देशों की इस सूची में जर्मनी को शीर्ष जबकि अफगानिस्तान को अंतिम स्थान मिला है।
- "पासपोर्ट इंडेक्स" में जर्मनी 157 वीजा-फ्री स्कोर के साथ शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और स्वीडन हैं। इन दोनों देशों का स्कोर 156 है। तीसरे स्थान पर डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत आठ देश हैं। इन सभी का स्कोर 155 है। भारत 48 वीजा-फ्री स्कोर के साथ 78वें स्थान पर है।
- जबकि भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान क्रमशः 58वें और 94वें पायदान पर हैं। अफगानिस्तान का स्कोर महज 23 है। दुनिया के इस लोकप्रिय ऑनलाइन संवाद साधन की यह रैंकिंग देशों की वीजा मुहैया कराए जाने की सुविधा पर आधारित है।
- रैंकिंग में वीजा-फ्री स्कोर यह दर्शाता है कि जिस देश का जितना स्कोर है उसके नागरिक उतने देशों में बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश कर सकते हैं। जैसे इस रैंकिंग में भारत का स्कोर 48 है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पासपोर्ट धारक नागरिकों को 48 देशों में बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश मिल सकता है।

4. डिजिटल लेनदेन के लिए नहीं चाहिए होगा कार्ड या फिर मोबाइल फोन-

जल्द ही सभी अंगूठे में बैंक समा जाएगा. क्योंकि सरकार आधार आधारित नयी व्यवस्था आधार पे शुरु करने जा रही है. उधर, सरकार ने ऐलान किया कि देश में 111 करोड़ लोगों को आधार जारी कर दिए गए हैं.

- 12 अंकों वाला विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार के मामले में सरकार को गणतंत्र दिवस के अगले दिन बड़ी कामयाबी मिली जब आधार नंबर 91 फीसदी से भी ज्यादा आबादी तक पहुंच गयी.
- इतनी बड़ी आबादी को आधार दिए जाने के साथ ही सरकार एक नयी वित्तीय व्यवस्था आधार पे शुरु करने जा रही है. इस नयी व्यवस्था में...
- बगैर किसी कार्ड या फोन के न केवल भुगतान किया जा सकेगा, बल्कि प्राप्त भी किया जा सकता है.
- इस व्यवस्था में भुगतान हासिल करने वाले के पास एक स्मार्ट फोन होना चाहिए जिससे बायोमेट्रिक सेंसर जुड़ा होगा.
- सेंसर की कीमत मात्र दो हजार रुपये है.बस आधार नंबर डालने के बाद सेंसर पर अंगूठा होगी और पैसा एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएगा या आ जाएगा
- इस व्यवस्था के लिए जरुरी है कि आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हो.अब तक 39 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है जबकि हर महीने दो करोड़ बैंक खाते को आधार से जोड़ने का लक्ष्य है.

GENERAL STUDIES HINDI

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- 14 बैंकों के साथ नयी व्यवस्था शुरु करने के लिए बात चल रही है. इसमें से पांच बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, आईडीएफसी बैंक, आंध्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट शुरु किया है
- सरकार ने आधार पे को भीम के साथ जोड़ने का इरादा जताया है. इससे सभी बैंक एक साथ नयी सुविधा मुहैया करा सकेंगे.
- आधार के जरिए सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में करने के लिए आधार पेमेंट ब्रिज की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है.
- आम बोलचाल की भाषा में इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी कहा जाता है. सरकार का दावा है कि
- 31 मई 2014 को जहां आधार पेमेंट ब्रिज के जरिए 4474 करोड़ रुपये का लेन-देन होता था वो 15 जनवरी को 44967 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.इसमें मनरेगा के तहत करीब साढ़े नौ करोड़ लोगों को मजदूरी दी गयी. इसी तरह रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी भुगतान 3970 करोड़ रुपये से बढ़कर 28762 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी.
- सरकार ने ये भी ऐलान किया कि आधार के जरिए सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने से बीते दो सालों में सरकार को करीब 36 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है. सरकार को उम्मीद है कि जैसे-जैसे ज्यादा से ज्यादा बैंक खाते आधार से जुड़ेंगे, ये रकम और भी बढ़ेगी.

5. आईआईएम को मिली पूर्ण स्वायत्तता, अब देंगे डिग्रियां

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे|

- इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।
- आईआईएम अब अपने छात्रों को डिग्री दे सकेंगे=> सोसायटी होने के कारण प्रतिष्ठित आईआईएम वर्तमान में डिग्री देने को अधिकृत नहीं हैं और प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा और फेलो प्रोग्राम की डिग्री देते हैं।

=>**क्या खास है इस विधेयक में :-**

- हालांकि इन पाठ्यक्रमों को क्रमश: एमबीए और पीएचडी के बराबर माना जाता है लेकिन समानता वैश्विक रूप से स्वीकार्य नहीं है खासकर फेलो प्रोग्राम के लिए।
- विधेयक में संस्थानों को पूर्ण स्वायत्ता दी गई है जिसमें पर्याप्त जवाबदेही भी होगी।
- विधेयक में जिस ढांचे का प्रस्ताव है उसमें इन संस्थानों का प्रबंधन बोर्ड से संचालित होगा जहां संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे।
- बोर्ड में विशेषज्ञों और पूर्ववर्ती विद्यार्थियों की ज्यादा भागीदारी होगी।
- विधेयक में एक प्रावधान यह भी है कि बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को शामिल किया जाए।
- विधेयक में स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा का भी प्रावधान है और इसके परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे।
- संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा और उनके खाते का ऑडिट कैग करेगा।
- विधेयक में आईआईएम के संयोजन फोरम का भी प्रस्ताव है जो सलाहकार संस्था के तौर पर काम करेगा।

6. अंत्योदय एक्सप्रेस

GENERAL STUDIES HINDI

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com

- सामान्य श्रेणी के यात्रियों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए रेलवे जल्द ही अंत्योदय सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करेगा।
- इन ट्रेनों के जरिए सामान्य श्रेणी के यात्रियों को अधिक मांग वाले मार्गों पर कई सुविधाएं दी जाएंगी।
- जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उन राज्यों से इस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी।
- अंत्योदय ट्रेनों में पीने के पानी के डिस्पेंसर, मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट, आग बुझाने के यंत्र सहित अन्य चीजें होंगी।
- आधुनिक एलएचबी डिब्बे वाली इस (इन डिब्बों का तेज गति वाली ट्रेनों में इस्तेमाल होता है) ट्रेन को अगले महीने से पटरी पर उतारा जाएगा।
- यह ट्रेनें पूरी तरह से अनारक्षित श्रेणी की होंगी और अधिक यात्रियों वाले मार्गों पर चलाई जाएंगी। इनमें जैव शौचालय होंगे जिससे अपशिष्ट पदार्थ रेलवे ट्रैक पर नहीं गिरेंगे। ट्रेन की सीटें आरामदेह होंगी।

WhatsApp # 8800141518 http://gshindi.com